लोक-सभा

वाद-विवाद

[द्वितीय माला

खण्ड ३०, १९५९/१८८१ (शक)

[२१ अप्रैल से ४ मई, १९५९/१ वैशाख से १४ वैशाख १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 15-11-83
Parliament Library

सातवां सत्र, १९५९/१८८१ (शक)

(खण्ड ३० में अंक ५१ से ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ३०—अंक ५१ से ६०—२१ अप्रैल से ४ मई, १९५९ / १ वैशाख से १४ वैशाख, १८८१ (शक)]

पृष्ठ

अंक ५१—मंगलवार, २१ अप्रैल, १९५९ / १ वैशाख १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९३२ से १९३८, १९४० से १९४२, १९४४ से १९४८ १९५०, १९५२ और १९५३ . ५९२३—४९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २४ से २६ ५९४९—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९३९, १९४३, १९४९, १९५१ और १९५४ से १९५९ ५९५६—६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३१७ से ३३७९ . ५९६०—८४

श्री उषानाथ सेन का निधन . ५९८४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५९८४—८५

प्राक्कलन समिति—

छियालीसवां प्रतिवेदन ५९८५

समितियों के लिये निर्वाचन

(१) प्राक्कलन समिति . ५९८५

(२) लोक लेखा समिति . . ५९८५

लोक लेखा समिति के साथ राज्य-सभा के सदस्यों का संबद्ध किया जाना . ५९८६

वित्त विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ५९८६—६०२८

पाकिस्तान में भारतीय वायु सेना के कैनबरा विमान को गोली मार कर गिराये जाने के बारे में वक्तव्य . . ६०२८—३७

दैनिक संक्षेपिका . . . . ६०३८—४३

अंक ५२—बुधवार, २२ अप्रैल, १९५९/२ वैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९६० से १९६३, १९६५ से १९७०, १९७२ से १९७५, १९७८ और १९८० से १९८२ ६०४५— ६८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २७ और २८ ६०६९—७२

117(Ai) LSD—9.

प्रश्नों के लिखित उत्तर— पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या १६६४, १६७१, १६७६, १६७७, १६७६ और १६८३ से १६६५ . . . . ६०७२—८०

अतरांकित प्रश्न संख्या ३३८० से ३४२३ . . . . ६०८१—६८

स्थगन प्रस्ताव—

पाकिस्तानी विमान द्वारा भारतीय वायु-क्षेत्र का उल्लंघन . ६०६८—६१००

मास्टर नन्दलाल का निधन ६१००

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६१०१

राज्य-सभा से सन्देश ६१०१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तैतालीसवां प्रतिवेदन ६१०२

प्राक्कलन समिति—

इक्यावनवां प्रतिवेदन . . ६१०२

वित्त विधयक, ... ६१०२—२७, ६१२७—५७

विचार करने का प्रस्ताव . ६१०२—२७, ६१२७—३७

खण्ड २ से ३१, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची और खण्ड १ ६१३७—५६

पारित करने का प्रस्ताव . . ६१५७

सभा का कार्य ६१२७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ६१५८—६२

अंक ५३—गुरुवार, २३ अप्रैल, १६५६/३ वैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६६ से १६६८, २०००, २००२ से २००७ और २०१० से २०१६ . . . . . . ६१६३—८७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २६ . . ६१८ —८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६६, २००१, २००८, २००६ और २०१७ से २०२२. ६१८६—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२४ से ३४७८ ६१६२—६२१५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ६२१५

राज्य-सभा से सन्देश . . . ६२१५–१६

पृष्ठ

जनगणना (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ६२१६

भारतीय प्रकाश स्तम्भ (संशोधन) विधेयक ६२१६—२०

विचार करने का प्रस्ताव . . ६२१६—१६

खण्ड २ और १ . . ६२१६–२०

पारित करन का प्रस्ताव . . . ६२२०

शस्त्र धेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . ६२२०—४६

विदेशों से ऊंची कीमतों पर रेलवे स्लीपरों की खरीद . . ६२४६—५६

दैनिक संक्षेपिका . ६२५७—६१

अंक ५४—शुक्रवार, २४ अप्रैल, १६५६ / ४ बैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०२३ से २०३१ और २०३३ से २०३६ . . ६२६३—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०३२, २०३७ से २०४७ . . . ६२८७—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७६ से ३५०२, ३५०४ से ३५२८ और ३५३० से ३५३३ . . . ६२६२—६३१४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६३१४–१५

लोक लेखा समिति—

सोलहवां प्रतिवेदन ६३१५

सभा का कार्य ६३१५-१६

विधेयक पुरःस्थापित ६३१६

(१) काम दिलाऊ दफ्तर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना) विधेयक . ६३१६

(२) दहेज निषेध विधेयक ६३१६

कोयला श्रेणीकरण बोर्ड (निरसन) विधेयक . ६३१७—१६

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ६३१७—१८

खण्ड २,३,४ और १ . . . . ६३१६

पारित करने का प्रस्ताव ६३१६

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा . . . . . . ६३२०—३४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तैंतालीसवां प्रतिवेदन ६३३४

पृष्ठ

बन्दरों के निर्यात के बारे में संकल्प . . . . ६३३४—४७

अंग्रेजी को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के बारे में संकल्प . ६३४८—५४

भारत में विदेशी फर्मों के भारतीयकरण के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ६३५४—५६

दैनिक संक्षेपिका ६३६०—६५

अंक ५५—सोमवार, २७ अप्रैल, १९५९/७ वैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २०४९ से २०५५, २०५७ से २०६१, २०६३ और २०६४ . ६३६७—९०

प्रश्नों के लिखित---

तारांकित प्रश्न संख्या २०५६, २०६२ और २०६५ से २०७३ . . ६३९१—९५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५३४ से ३५७९ . . . ६३९६—६४१४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

"भारत १९५८" प्रदर्शनी के मैदान में आग. ६४१४–१५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ६४१५–१६

विधेयक पर राय . . . ६४१६

राज्य सभा से सन्देश ६४१६

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) १९५९–६० के बारे में विवरण . ६४१६

प्राक्कलन समिति

तिरेपनवां प्रतिवेदन . . . ६४१६

लोक-लेखा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन . . ६४१७

तिब्बत की स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . ६४१८—२२

विधेयक पुर:स्थापित ६४२३

(१) भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक . ६५२३

(२) सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक . ६४२३

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा . . . . . ६४२३—८१

सभा का कार्य . . ६४८२

दैनिक संक्षेपिका ६४८३—८७

पृष्ठ

अंक ५६—मंगलवार, २८ अप्रैल, १९५९/८ वैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७४ से २०८६, २०८८, २०८९, २०९७, २०९९ और २०९० से २०९२ . ६४८९—६५१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०८७, २०९३ से २०९६ और २०९८ . . ६५१५—१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८० से ३६५६ . ६५१७—५३

सभा-पटल पर रखा गया पत्र . . ६५५३

प्राक्कलन समिति

सत्तावनवां प्रतिवेदन ६५५४

लोक लेखा समिति

चौदहवां प्रतिवेदन . . ६५५४

सभा पटल पर रखे गये विवरण की शुद्धि ६५५४

तारांकित प्रश्न संख्या १५९३ के उत्तर की शुद्धि . . ६५५४

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ६५५५—६१

रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में संकल्प . ६५६१—८२

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ४१वें अधिवेशन (समुद्रीय) में गये भारतीय शिष्ट-मंडल के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा . . . ६५८२—९७

दैनिक संक्षेपिका . . . . ६५९८—६६०३

अंक ५७—बुधवार, २९ अप्रैल, १९५९/९ वैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९९क, २१०० से २१०८, २१११, २११२ और २११४ से २११७ ६६०५—२९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३० . . ६६२९—३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१०९, २११०, २११३, २११८ और २१२० से २१२४ ६६३२—३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६५७ से ३७३१ ६६३५—६२

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ६६६३

राज्य सभा से सन्देश . ६६६३

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें १९५५–५६ . . ६६६४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चवालीसवां प्रतिवेदन ६६६४

प्राक्कलन समिति

चव्वनवां, पचपनवां और साठवां प्रतिवेदन . ६६६४

लोक लेखा समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन ६६६४

राजभाषा सम्बन्धी संसद् की समिति के प्रतिवेदन के बारे में याचिका ६६६४

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक ६६६५—७३

विचार करने का प्रस्ताव ६६६५—७२

खण्ड २ और १ . ६६७२—७३

पारित करने का प्रस्ताव ६६७३

नियम ७४ के प्रथम परन्तुक का निलम्बन . . ६६७४—७५

भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक —

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ६६७५—९५

नियम ७४ के प्रथम परन्तुक का निलम्बन ६६९५-९६

भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . . ६६९६—९८

पाकिस्तानी की ओर से डाकुओं के आक्रमण के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . ६६९९– ६७०२

दैनिक संक्षेपिका ६७०३—०९

अंक ५८—गुरुवार, ३० अप्रैल, १९५९/१० वैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१२६ से २१३३, २१३५, २१३७, २१४०, २१४१, २१४३ से २१४५ . ६७११—३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३१ ६७३४—३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१३४, २१३६, २१३८, २१३९, २१४२ और २१४६ से २१५५ . . . ६७३६—४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७३२ से ३७४४ और ३७४६ से ३८०५. ६७४२—७८

पृष्ठ

प्राक्कलन समिति

अट्ठावनवां प्रतिवेदन . ६७७६

तारांकित प्रश्न संख्या १६६० के उत्तर की शुद्धि ६७७६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र . . . ६७७६

भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ६७८०—८६

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . ६७८७—६७

बंगाल वित्त (बिक्री-कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ६७६७—६८१४,
६८१५—२०

प्राक्कलन समिति

उनसठवां प्रतिवेदन ६८१४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ६८२१—२६

अंक ५६—शुक्रवार, १ मई, १६५६ / ११ वैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१५६ से २१६५, २१६७, २१६६ से २१७१, २१७५
से २१७६, २१८२ और २१८३ . ६८२७—५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१६६, २१६८, २१७२ से २१७४, २१८०, २१८१
और २१८४ से २१८८ . . . . ६८५१—५५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८०६ से ३८२६ और ३८३१ से ३८८३ ६८५५—८६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ६८८६—६०

प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश ६८६०

राज्य सभा से सन्देश . . . ६८६०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

अयोध्या टैक्स टाइल मिल्स, दिल्ली के कुछ मजदूरों द्वारा भूख हड़ताल ६८६०—६२

सभा का कार्य . . ६८६२—६४

समवाय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ६८६४

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन ६८६५

पृष्ठ

बंगाल वित्त (बिक्री-कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक . ६८९५—६९००

विचार करने का प्रस्ताव ६८९५—९८

खण्ड २ से १८ और १ . ६८९८–६९००

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ६९००

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ६९००–२०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चवालीसवां प्रतिवेदन . ६९२०

जनसंख्या नियन्त्रण विधेयक—

पुरःस्थापन का प्रस्ताव अस्वीकृत ६९२०—२२

विधेयक पुरःस्थापित—

(१) श्री राम कृष्ण गुप्त का भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ३०९ का संशोधन) ६९२३

(२) श्री राम कृष्ण गुप्त का विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक (धारा २ और २३ का संशोधन तथा धारा १९क, २३घ, २३ङ, तथा २३च का लोप) ६९२३

अधिकृत इंजीनियर संस्था विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—वापस लिया गया ६९२३—२९

समान पारिश्रमिक विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ६९३०—४१

दैनिक संक्षेपिका ६९४२—४८

अंक ६०—सोमवार, ४ मई, १९५९/१४ वैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१८९ से २१९६, २१९८, २१९९ और २२०२ से २२०७ . . . . ६९४९—७४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३२ . ६९७४—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१९७, २२००, २२०१ और २२०८ से २२१४ ६९७६—८०

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८८४ से ३९३८, ३९४० से ३९४३, ३९४५, ३९४६ और ३९४८ से ३९५९ . . ६९८०—७०११

अतारांकित प्रश्न संख्या २१२, ११४८ और ११४९ के उत्तरों में शुद्धि ७०१२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ७०१२–१३

राज्य सभा से सन्देश . ७०१३–१४

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक—

राज्यसभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा-पटल पर रखा गया ७०१५

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . ७०१५

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

चौदहवां प्रतिवेदन ७०१५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दुर्गापुर इस्पात परियोजना में दुर्घटना ७०१५–१६

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन . . . ७०१६

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक . ७०१६—४२

बिचार करने का प्रस्ताव . ७०१६—३६

खण्ड २ और १ . . ७०३६—४२

पारित करने का प्रस्ताव . ७०४२

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ . . ६०४३–४५

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . ७०४५——६०

आधे घण्टे की चर्चा—

कर्मचारी भविष्य निधि योजना ७०६०—६६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ७०६७—७३

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, २३ अप्रैल, १९५९

३ वैशाख, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भाखड़ा-नंगल परियोजना की फालतू मशीनों का निबटारा

+

†*१९९६. **श्री सर्व० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा-नंगल परियोजना की बड़ी संख्या में फालतू मशीनें परियोजना अधिकारियों ने बेच दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बिक्री से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी हां।

(ख) ३,२८,९६,२०१ रुपये। (३१-१-१९५९ तक की बिक्री से)

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि कुछ मशीनें दामोदर घाटी निगम से लायी गयी थीं ? क्या वे लौटा दी गयी हैं या बेच डाली गयी हैं ?

†**श्री हाथी :** विभिन्न परियोजनाओं में जितनी भी फालतू मशीनें होती हैं उनका उपयोग विभिन्न अन्य परियोजनाओं में किया जाता है। कुछ मशीनें भाखड़ा में भी होंगी।

†मूल अंग्रेज़ी में

89 (Ai) LSD—1

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या सरकार इन मशीनों को रखने के लिये कोई केन्द्रीय संग्रह बना रही है ताकि जहां भी जरूरत हो इनका उपयोग किया जा सके ?

†**श्री हाथी :** हमारा केन्द्रीय संग्रह तो है लेकिन हम केन्द्रीय गोदाम नहीं बना रहे क्योंकि यदि इन मशीनों को स्वयं परियोजनाओं में ही रखा जाय तो इनकी अच्छी देखभाल हो सकती है। प्रक्रिया यह है कि जब भी किसी परियोजना में कुछ फालतू मशीनें होती हैं तो उन्हें यहां केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के निदेशालय को उनकी सूचना देनी पड़ती है। वह उनकी सूची विभिन्न परियोजनाओं के पास भेज देते हैं और जब भी कहीं फालतू मशीनों की मांग होती है यह विभिन्न परियोजनाओं में भेज दी जाती हैं।

†**श्री रा० च० माझी :** क्या इन मशीनों को बेचने में कुछ घाटा हुआ है ?

†**श्री हाथी :** इन फालतू मशीनों से कुछ भी घाटा नहीं हुआ है। उनकी बिक्री हो रही है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** जो मशीनें बेची जा चुकी हैं उन के क्रय और विक्रय मूल्यों में कितना अन्तर है ?

†**श्री हाथी :** क्रय मूल्य ३,३१,००,००० रुपये था जब कि विक्रय मूल्य ३,२८,००,००० रुपय है।

†**श्री तंगामणि :** क्या इन फालतू मशीनों को सरकारी क्षेत्र में, जैसे नागार्जुन सागर परियोजना को बेचा गया है ?

†**श्री हाथी :** जी हां। वे नागार्जुन सागर परियोजना, चम्बल परियोजना और कोसी परियोजना को भेजी गयी हैं। हम इन की सूची लगभग १३० सरकारी संगठनों को भेजते हैं।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या सरकार ने पहले इस बात का पता लगा लिया था कि जो मशीनें बच दी गयी हैं उनकी अन्य किसी परियोजना में जरूरत पड़ेगी या नहीं ? यदि उनकी जरूरत हो तो फिर उनको बेचा क्यों गया ?

†**श्री हाथी :** मैं बता चुका हूं कि प्रक्रिया यह है कि किसी परियोजना में जब भी कोई मशीन फालतू होती है, तो उसे ऐसी किसी अन्य परियोजना में भेज दिया जाता है जहां उसकी जरूरत हो। यदि यह वहां भी फालतू हो गयी तो काम लायक रहने पर इसे किसी और परियोजना में भज दिया जाता है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या सभी फालतू मशीनें बेची जा चुकी हैं या कुछ अब भी बची हैं ?

†**श्री हाथी :** सभी मशीनें अभी नहीं बिकी हैं। कुछ अब भी वहां पड़ी हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** तब वह पूछेंगे कि "इनकी कीमत कितनी है ?"

†**श्री हाथी :** ४४ लाख रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई में तेल वाहक पोतों में टक्कर

+

†*१६६७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
　　　　　{ **श्रीमती मफीदा अहमद :**

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २० दिसम्बर, १९५८ को बम्बई के बन्दरगाह में दो तेलवाहक पोतों में टक्कर हो गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का नुकसान हुआ और क्षति पहुंची ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां ।

(ख) एस० एस० 'स्टैनवैक कलकत्ता' के अग्र भाग और खोल प्लेटबन्दी[1] को थोड़ी सी क्षति पहुंची । एम० एस० 'एल्लेफजल' के मध्य मन्दिर के स्थान[2], लाइफबोट और पोत खोलबन्दी[3] को काफी नुकसान पहुंचा । किसी की जान तो नहीं गयी लेकिन 'एल्लेफजल' की तृतीय अफसर की टांग में उड़ते हुए टुकड़ों से हलकी चोट आ गयी ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या इस टक्कर की वजह का पता लगाया गया है ?

†**श्री राज बहादुर :** बम्बई पत्तन न्यास के उप संरक्षक ने आरम्भिक जांच की थी और उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं । दुर्घटना मार्ग दर्शक[4] की किसी त्रुटि के कारण हुई बतायी जाती है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मैं यह कुछ समझ नहीं पाई कि ये दोनों तेलवाहक पोत कौन-कौन से थे । क्या इन में से एक वैस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन का तेलवाहक पोत था या तेल कम्पनियां का निजी पोत था ?

†**श्री राज बहादुर :** उनमें से कोई भी वैस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन का तेलवाहक पोत नहीं था । "स्टैनवैक कलकत्ता" पनामा का था और दूसरा नार्वे का था ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या तेलवाहक पोत 'स्टैनवैक कलकत्ता" में अपरिष्कृत तेल था या परिष्कृत पदार्थ थे ?

†**श्री राज बहादुर :** एस० एस० "स्टैनवैक कलकत्ता" ने अपना माल उतार दिया था और वह समुद्र की ओर जा रहा था ।

इरविन हस्पताल, नई दिल्ली

***१६६८. श्री नवल प्रभाकर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के इरविन हस्पताल में विस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९५८-५९ में बिस्तरों की संख्या में कितनी वृद्धि की गई; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Shell Plating.

[2] Bridge accommodation.

[3] Hull Plating.

[4] Pilot.

(ग) वर्ष १९५९-६० में बिस्तरों की संख्या कितनी बढ़ाई जायेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) (क) से (ग). इस अस्पताल का विस्तार उसकी पूरी क्षमता तक कर दिया गया है और उसका अधिक विस्तार करना सम्भव नहीं है। वर्ष १९५८-५९ में बिस्तरों की संख्या में १३७ की वृद्धि की गई।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री नवल प्रभाकर : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी भी इर्विन अस्पताल के बरामदों में मरीज़ों को रक्खा जा रहा है ?

श्री करमरकर : जी हां उस अस्पताल की टोटल कैपेसिटी १००३ पेशेंट्स की है लेकिन मरीज़ वहां उससे ज्यादा आ जाते हैं और चूंकि उनको वापिस भेज देना मुनासिब नहीं समझा जाता है इसलिये ११०० मरीज़ों तक को वहां पर रक्खा जाता है।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस कमी को देखते हुए इस अस्पताल के पास ही कोई और नया अस्पताल बनाने की योजना है ?

श्री करमरकर : इस सम्बन्ध में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ स्कीम्स हैं जिनके कि मातहत अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जायगी।

श्री नवल प्रभाकर : मैंने तो यह पूछा है कि इर्विन अस्पताल के पास ही में क्या कोई इस तरीक़े का अस्पताल बनाने की या किसी और अस्पताल में अधिक विस्तार करने की कोई सम्भावना है ?

श्री करमरकर : इस अस्पताल का और अधिक विस्तार करना सम्भव नहीं है क्योंकि वहां और अधिक जगह नहीं है और उसकी पूरी कैपेसिटी तक उसका विस्तार कर दिया गया है। अब जहां तक उस अस्पताल के नज़दीक कोई दूसरा अस्पताल बनाने का सवाल है मुझे पता नहीं कि उनकी स्कीम में है या नहीं बहरहाल इस इत्तिला को मैं मंगाऊंगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस अस्पताल में शैयाओं की संख्या अब अनुकूलतम सीमा तक पहुंच गयी है क्या नर्सों की कमी, अर्ह चिकित्सा कर्मचारियों की कमी और चिकित्सा उपकरणों की कमी भी पूरी कर ली गयी है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

†**श्री करमरकर :** उपकरणों के बारे में तो कोई कठिनाई नहीं थी। हां, नर्सों की कमी थी। कभी कभी चिकित्सा कर्मचारियों की कमी भी महसूस होती है। लेकिन तिस पर भी हम कमी को पूरा करने का यथासम्भव प्रयास करते हैं। यह अस्पताल कमियों को पूरा करने का भरसक प्रयत्न कर रहा है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात आई है कि इर्विन अस्पताल केवल दिल्ली की जनता के लिये ही नहीं है बल्कि दूर दूर से भी मरीज़ यहां आकर के इस अस्पताल में अपना इलाज कराने का प्रयत्न करते हैं और इसलिये इस अस्पताल में जो चारपाइयों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ाई जा रही है उसकी गति में तेजी क्यों नहीं लाई जाती है ?

श्री करमरकर : यह तो ठीक है कि इस अस्पताल में बिस्तरों की संख्या में धीमी गति से वृद्धि की जा रही है। माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि इस अस्पताल में केवल दिल्ली से ही नहीं बल्कि बाहर के स्थानों से भी मरीज़ आते हैं और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और कारपोरेशन इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अस्पतालों की संख्या और बिस्तरों की संख्या में कोई बढ़होत्री की जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पिगे :** क्या यह सच है कि स्थान की कमी होने के कारण बहुत से गरीब मरीजों को भर्त्ती करने से इंकार कर दिया जाता है ?

†**श्री करमरकर :** सम्भव है कि जब सब शैयायें भर चुकी हों और फिर कोई मरीज आये तो उसको भर्ती न किया जाता हो। लेकिन इतने पर भी, जिन मरीजों की अवस्था संकटपूर्ण हो उनकी देख रेख प्राथमिकता के आधार पर की जाती है।

रक्सौल हवाई अड्डा

†*२०००. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १० सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्सौल हवाई अड्डे का निर्माण पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां से किन-किन स्थानों को विमान जायेंगे ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) और (ख). जी नहीं। पिछले अनुमानों के अनुसार इस कार्य को ३१ मार्च, १९५९ तक पूरा करना सम्भव नहीं हुआ। टर्मिनल भवन को छोड़ कर इस कार्य के अधिकांश भाग के अब १९५९ के अन्त तक पूरे हो जाने की आशा है। टर्मिनल भवन के पूरे होने में लगभग १८ महीने लगने की सम्भावना है।

श्री विभूति मिश्र : (ख) का जवाब नहीं दिया।

†**श्री मुहीउद्दीन :** हवाई अड्डे का निर्माण केवल पहले से इस बात के निश्चय के ही आधार पर नहीं किया जा रहा कि वहां से कौन कौन सी सर्विसें जायेंगी। यह तो इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन पर निर्भर है कि वह यातायात की सम्भावनाओं का पता लगा कर इस बात का निश्चय करे।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या मंत्री महोदय का तात्पर्य यह है कि क्या वहां से एक भी सर्विस चलाने का प्रस्ताव अभी नहीं है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** जी नहीं, फिलहाल नही है। उस पर विचार किया जायगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** सहारा में हवाई अड्डा बना दीजिये। बाद में लोग एयर-लाइनें बना लेंगे।

†**श्री मुहीउद्दीन :** स्थान का निर्णय विभिन्न बातों---भावी विकास की संभावना और विमान सर्विस चलाने की वांछनीयता---के ख्याल से किया जाता है। वहां सर्विस जानी चाहिये या नहीं इसका प्रश्न बाद में उठेगा।

श्री विभूति मिश्र : इतना रुपया लगा दिया और कहते हैं कि भविष्य में फायदा या नुकसान मालूम होगा। आपका विभाग कमर्शियल विभाग है। रक्सौल में आपने हवाई अड्डा बनाने का इन्तिजाम किया है, लेकिन कहां से सरविस जोड़ेंगे यह भी अभी आपको पता नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है ?

श्री मुहीउद्दीन : आनरेबल मेम्बर को गालिबन यह गलतफहमी है कि इंडियन एअर लाइन्स कारपोरेशन यह हवाई अड्डा बना रहा है। यह बात नहीं है। यह हवाई अड्डे गवर्नमेंट बनाती है और बना के बाद उनसे राय भी ली जाती है कि आयन्दा इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं उस के बाद यह तसफिया किया जाता है कि हवाई सरविस जारी की जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपल सिंह** : क्या इस हवाई अड्डे का निर्माण बिना किसी योजना के ही किया जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय ने कहा है—कि हमारे दिमाग में एक भी विमान सर्विस चलाने की बात नहीं थी ।

†**श्री जयपाल सिंह** : मंत्री महोदय ने कहा है कि भारत सरकार के असैनिक उड्डयन विभाग ने बिना इस बात का विचार किये कि कोई इसका उपयोग करेगा या कर सकता है या नहीं इस हवाई अड्डे का निर्माण कर दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई योजना बनायी गयी थी । मैं यह माने लेता हूं कि योजना बनायी गयी थी । क्या इस हवाई अड्डे पर उन विमानों से बड़े विमान उतर सकते हैं जिनका ग्राम तौर पर फीडर सर्विसों में इस्तैमाल किया जाता है ? उदाहरण के लिये, वहां अभी डकोटा विमान उतर सकते हैं । देश में यहां वहां जो नये हवाई अड्डे बनाये जा रहे हैं क्या वे पहले से ही इस बात की तैयारी करते रहे हैं कि उन पर और भी बड़े विमान उतर सकें ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मुझे पता नहीं कि धावन मार्ग की लम्बाई कितनी होगी । मैं यह माने लेता हूं कि यहां वे डकोटा विमान उतर और उड़ सकेंगे जिनका ग्राम तौर पर आजकल उपयोग किया जाता है । लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो आगे चल कर धावन मार्ग को आसानी से और भी बढ़ाया जा सकता है । जहां तक वहां के लिये योजना बनाने न बनाने का प्रश्न है, मैं सभा को यह विश्वास दिला सकता हूं कि संचार मंत्रालय द्वारा किसी हवाई अड्डे का निर्माण आरम्भ होने से पहले भावी विकास की सम्भावनाओं के बारे में कुछ विचार-विमर्श कर लिया जाता है । माननीय सदस्य स्वयं कुछ स्थानों में हवाई अड्डा बनाने के लिये काफी जोर डालते हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : पहले, हमने जब भी कोई हवाई अड्डा या धावन मार्ग खोलने के लिये कहा है हम से यह कह दिया गया है कि किसी हवाई अड्डे को खोलने के लिये कुछ मानदण्ड निश्चित कर दिया गया है । यह मानदण्ड क्या है और क्या कोई सर्विसें चलाने और यात्रियों तथा माल की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : रक्सौल नेपाल के रास्ते में है । वह गंगा के उत्तर में उत्तरी बिहार में है । विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर यह आशा की जाती है कि नेपाल के रास्ते में पड़ने वाली यह सर्विस निकट भविष्य में बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी ।

†**श्री जयपाल सिंह** : मंत्री महोदय ने जिस विचार विमर्श का संकेत किया है क्या उस में वायुसेना के प्रधान कार्यालय से परामर्श किया गया था ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मुझे पता नहीं है ।

दिल्ली में विश्व कृषि मेला

\+

†*२००२. { **श्री नंजप्पा** : **श्री अ० क० गोपालन** : **श्री वारियर** : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष दिसम्बर में नयी दिल्ली में एक विश्व कृषि मेला आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां।

(ख) भारत का भारत कृषक समाज (फार्मर्स फोरम), जो एक गैर-सरकारी संगठन है, विश्व कृषि मेले का आयोजन कर रहा है। मेले के आयोजन के सिलसिले में सभी व्यवस्था भारत कृषक समाज द्वारा की जा रही है।

†**श्री नंजप्पा** : इस मेले में कौन-कौन से देश भाग लेने वाले हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : आशा की जाती है कि कम से कम लगभग दो-तीन दर्जन देश इस में भाग लेंगे।

†**श्री तिरुमल राव** : इस प्रदर्शनी का आयोजन करने में भारत सरकार की भूमिका क्या होगी ? क्या वह कोई वित्तीय अंशदान देगी, और यदि हां, तो कितना ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मेला समिति के प्राक्कलनों के अनुसार मेले में ७½ लाख रुपयों का घाटा होने का अनुमान है। भारत सरकार से ५ लाख रुपये का अंशदान देने का आवेदन किया गया था। अब तक उन्होंने २ लाख रुपये दिये हैं, और अग्रेतर प्राक्कलनों के अधीन रहते हुए वह ३ लाख रुपये और भी दे सकती है।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या सरकार ने स्वयं अपने तत्वावधान में इस मेले का आयोजन करने के प्रश्न पर विचार किया है ताकि वह इस मेले में अन्य सरकारों का योग पाने में अधिक सफल हो सके ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इस से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। जहां तक सहयोग का प्रश्न है, वास्तव में सरकार स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि यदि मेला सरकार के स्थान पर किसी गैर-सरकारी संगठन के तत्वावधान में हो तो वह अधिक वास्तविकतापूर्ण होगा। लेकिन सरकार भारत कृषक समाज के साथ पूर्ण सहयोग कर रही है।

†**श्री नंजप्पा** : इस मेले में राज्य किस प्रकार से भाग लेंगे ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : अधिकांश राज्यों ने काफी बड़े पैमाने पर इस में आने का निश्चय किया है और अपने अपने स्वतंत्र मंडपों के निर्माण के लिये उन्होंने जमीन के काफी बड़े-बड़े टुकड़ों को सुरक्षित करा लिया है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या कृषि की तकनीक के आधुनिकतम तरीकों को इस मेले में प्रदर्शित किया जायेगा और क्या सरकार देश भर के विभिन्न वर्ग के किसानों को यह मेला देखने की सुविधायें प्रदान करने वाली है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : भारत के अधिक से अधिक किसानों को यह कृषि मेला दिखाने का प्रत्येक सम्भव प्रयास करने का विचार है। कुछ व्यवस्था तो अभी से की जा रही है। जहां तक तकनीकों का सम्बन्ध है, यह तो मेले के प्रमुख उद्देश्यों में ही है कि न केवल भारत के वरन् अन्य देशों के नवीनतम तरीकों और न केवल कृषि के क्षेत्र में वरन् सहकारिता, वन-विद्या मीन-पालन, कुक्कुड़-पालन, आदि में हुई प्रगति का प्रदर्शन किया जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजराज सिंह** : भारत कृषक समाज के सभापति और मंत्री कौन हैं और सरकार ने स्वयं यह मेला आयोजित न कर इस गैर-सरकारी संगठन को यह मेला आयोजित करने देने और उसका घाटा पूरा करने का निश्चय क्यों किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : बाद वाले अंश का उत्तर दिया जा चुका है ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं स्वयं सभापति हूं ।

†**श्री तंगामणि** : क्या इस मेले को देखने के लिये आने वाले किसानों के लिये रेल-भाड़े में कुछ रियायत की जायगी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : हम इसी विचार से रेलवे मंत्रालय से लिखा पढ़ी कर रहे हैं ।

†**श्री पाणिग्रही** : जब भारत सरकार स्वयं इस पूरे संगठन का आयोजन और उसके लिये वित्त व्यवस्था कर रही है तब इसे गैर-सरकारी संगठन क्यों कहा जाता है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : भारत सरकार इसके लिये पूरी वित्त व्यवस्था नहीं कर रही है । भारत सरकार केवल ५ लाख रुपये तक की जिम्मेदारी लेने को तैयार है । जहां तक बाकी वित्त व्यवस्था का सम्बन्ध है, इस संगठन को स्वयं उसका भार वहन करना होगा ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : यह प्रदर्शनी कब तक चलेगी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यह ११ दिसम्बर को आरम्भ होगी और सभवत: १४-४-१९६० तक चलेगी ।

†**डा० मा० श्री० अणे** : इसका बजट कुल कितने का है ? मेरे ख्याल से माननीय सदस्य ने कहा था कि यह ५ लाख और २½ लाख इस प्रकार कुल ७½ लाख रुपये का है ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : बजट तो ३० लाख रुपये का है । २२½ लाख रुपये की आमदनी होने का अनुमान है । इस प्रकार ७½ लाख रुपये का घाटा होगा । इसके सम्बन्ध में भारत सरकार से ५ लाख रुपये का अंशदान देने का आवेदन किया गया था । उन्होंने अब तक २ लाख रुपये दिये हैं ।

†**श्री वेंकट सुब्बैया** : इस कृषि मेले में कौन-कौन से देश भाग ले रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कह चुके हैं कि दो-तीन दर्जन देश इस में भाग लेंगे ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : बड़े देशों में से अधिकांश और कई छोटे देश आयेंगे ।

†**श्री तिरुमल राव** : यदि इस मेले या प्रदर्शनी में कोई घाटा हुआ तो क्या सरकार ने उसे पूरा कर देने का कोई वचन दिया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी नहीं, ५ लाख रुपये से अधिक का नहीं ।

†**श्री क० स० रामस्वामी** : क्या सरकार इस मेले को हैदराबाद जैसे किसी अधिक केन्द्रस्थ स्थान पर करने का विचार करेगी ताकि देश के सभी भागों में रहने वाले गरीब किसान आकर इसे देख सकें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० पं० शा० देशमुख : यह जरा खतरे वाली बात होगी। दल्ली में हम कुछ ऐसी सुविधायें प्राप्त हैं जो हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकतीं। और हम मैदानों आदि का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं।

वंशधारा परियोजना

+
†२००३. { **श्री तंगामणि :**
श्री सत्य नारायण :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री १६ फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वंशधारा परियोजना सम्बन्धी जांच का प्रतिवेदन भारत सरकार को मिल गया है; और

(ख) यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या निकले हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां। फील्ड-यूनिट ने अपनी जांच पूरी कर ली है पर जल तथा विद्युत् आयोग को जांच के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन तैयार करने में अभी कुछ समय लगेगा।

(ख) जांच के परिणामों का पता प्रतिवेदन को अन्तिम रूप प्रदान कर लेने पर ही चलेगा।

†**श्री तंगामणि** : क्या इस जांच से वंशधारा परियोजना के बांध के निर्माण के लिये गुदारी स्थान की उपयुक्तता का पता चला है ?

†**श्री हाथी** : यह जांच गोट्टा स्थान के सम्बन्ध में नहीं थी। यह दूसरे वैकल्पिक स्थान अर्थात् गुदारी के बारे में थी।

†**श्री तंगामणि** : आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग परियोजना प्रतिवेदन कब तक तैयार कर लेगा ?

†**श्री हाथी**: फील्ड-जांच पूरी हो गयी है। परियोजना प्रतिवेदन तैयार होने में अभी लगभग छः महीने लग जायेंगे।

†**श्री तंगामणि** : पिछली बार हमें बताया गया था कि यह बताना सम्भव नहीं है कि यह कार्य १९५९-६० में आरम्भ हो सकेगा या नहीं। यह कार्य १९६० में भी आरम्भ होगा या नहीं ?

†**श्री हाथी** : पारयोजना प्रतिवेदन तैयार होने पर उसे उड़ीसा सरकार के पास भेजना पड़ेगा क्योंकि मूलतः भी उड़ीसा सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार में मतभेद था। बाद में उड़ीसा सरकार को इस विचार से सहमत होने को राजी कर लिया गया था लेकिन उन्होंने कहा है कि अन्तिम कोई निश्चय करने से पहले वह परियोजना प्रतिवेदन देखना चाहती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामी रेड्डी** : क्या यह सच नहीं है कि योजना आयोग ने यह सलाह दी है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री मिल कर इस मसले को तय कर लें ? मैंने यह अखबारों में पढ़ा था ।

†**श्री हाथी** : यह बात सच है । वास्तव में पहले उड़ीसा सरकार ने आपत्ति की थी । यहां वे का कोई भी स्थान परियोजना के लिये लेने देने के लिये तैयार नहीं थे क्योंकि उर्वर भूमि जलमग्न हुई जा रही थी और विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी थी । लेकिन बाद में वह राजी हो गयी और उड़ीसा सरकार ने अब अपनी आपत्ति वापस ले ली है । अब वह केवल अन्तिम निश्चय होने से पहले परियोजना प्रतिवेदन को देखना चाहती है ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या यह परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकारों के संयुक्त प्रयासों से पूरी की जायेगी या इसकी पूरी वित्त व्यवस्था भारत सरकार करेगी ?

†**श्री हाथी** : यह कई बातों पर निर्भर होगा और परियोजना प्रतिवेदन तैयार होने पर इसके बारे में निर्णय किया जायगा ।

रेलवे लाइनों के कारण पानी जमा हो जाना

†२००४. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब से यह शिकायत आई है कि रेलवे लाइनों की वजह से पानी की निकासी न हो सकने कारण वहां कई स्थानों पर पानी जमा हो गया और बाढ़ आ गयी;

(ख) याद हां, तो ऐसी शिकायतों की सख्या कितनी है; और

(ग) इस प्रकार की रेलवे लाइनों में पानी की निकासी के रास्ते बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जी हां, अब तक सात शिकायत आ चुकी हैं ।

(ग) राज्य सरकार के परामर्श से रेलवे अतिरिक्त जलमार्गों के निर्माण और मौजूदा जलमार्गों के विस्तार के लिये समुचित कार्यवाही कर रही है ।

१९५५ के बाद से उत्तर रेलवे पर लाइन के आर पार २६ अतिरिक्त जलमार्ग बनाये जा चुके हैं और चार मौजूदा जलमार्गों को बढ़ाया जा चुका है । १९५८ की बरसात में गुड़गांव और मथुरा जिलों में असाधारण बाढ़ आ जाने से उत्पन्न हुई समस्याओं पर विचार करने के लिये सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभापतित्व में एक समिति की स्थापना भी कर दी गयी है । समिति को इस के प्रकार की बाढ़ को रोकने सम्बन्ध में अभी तो अपने प्रस्तावों को अन्तिम रूप प्रदान करना है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या सरकार रेलवे लाइनों पर जलमार्ग न होने के कारण क्षतिग्रस्त लोगों को मुआवज़ा देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : सरकार उत्तरदायी नहीं है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : यह नुकसान रेलवे लाइनों पर जलमार्ग न होने के कारण हुआ है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि पानी रुक जाय तो सरकार उत्तरदायी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बोस** : क्या उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति है कि पटरियों के किनारे वहां भी पानी जमा हो जाता है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हो सकता है। पृथक प्रश्न पूछा जाय--मैं इसका ऐसे ही उत्तर नहीं दे सकता।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या इस निर्माण को पूरा करने की कोई लक्ष्य तिथि निश्चित की गयी है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं कह चुका हूं कि अभी तो समिति की नियुक्ति भर हुई है। उसके प्रतिवेदन को अंतिम रूप अभी नहीं दिया गया है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या समिति को अगली बरसात आरम्भ होने से पहले अपना प्रतिवेदन दे देने की सलाह दी है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : ऐसा कोई निदेश तो नहीं दिया गया है लेकिन मैं समझता हूं कि वे इस में शीघ्रता कर यथाशीघ्र इसे देने का प्रयास करेंगे।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि रेलवे लाइनों की वजह से पंजाब की कुल कितनी भूमि में पानी भर गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी नहीं, इस बात की जांच वह समिति ही कर रही है।

झींगा मछलियां'

†*२००५. { **श्री कोडियान** :
श्री वारियर : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में केरल तट से ३५ मील दूर कई मीलों के क्षेत्र में झींगा मछलियों के होने का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अनुमान लगाया गया है कि वहां कितनी झींगा मछली हैं; और

(ग) क्या इन झींगा मछलियों का उपयोग करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) प्रारम्भिक सर्वेक्षण से केरल के तट से दूर के पानी में बहुत बड़ी मात्रा में झींगा मछलियों के होने का पता लगा है। सर्वेक्षण-कार्य जारी है।

(ख) अभी पूरी तरह से नहीं।

(ग) ब्यौरेवार जांच पूरी होने पर आगे कार्यवाही की जावेगी।

†**श्री कोडियान** : इन स्थानों में पता लगायी गयी मछलियां अच्छे किस्म की हैं या उन सामान्य मछलियों से भिन्न हैं जो मछुये तटीय जल के पास से पकड़ते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री वें० प० नायर यह कहते रहे हैं ये विश्व में सर्वोत्तम हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

Prawns.

†**डा० पं० शा० देशमुख** : उन्हें अच्छा समझा जाता है । मुझे उनके तुलनात्मक गुणों का पता नहीं है ।

†**श्री बे० ईयाचरण** : क्या मैं जान सकता हूं कि जांच कौन कर रहा है, केरल सरकार या नार्वे की समवाय ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : पहली जांच तो केरल विश्वविद्यालय द्वारा की गयी थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन कुछ अन्य जांच एक सरकारी अभिकरण द्वारा कोचीन, तूतीकोरिन और विशाखापटनम में की जानी है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समुद्री केकड़ों[1] से मूल्यवान विदेशी मुद्रा, विशेषतः दुर्लभ मुद्रा की आय होती है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस सर्वेक्षण में यह पता लगाया गया है कि वहां पर समुद्री केकड़े भी हैं या केवल झींगा मछलियां ? समुद्री केकड़ों और झींगा मछलियों में बड़ा अन्तर है ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं केवल यही कह सकता हूं कि यदि जांच से दोनों का पता चला और यदि उन में कोई अन्तर हुआ, तो हम उचित कार्यवाही करेंगे । स्वास्थ्य मंत्री महोदय के विचार में दोनों एक हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य वर्ष

*२००६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य वर्ष योजना में भाग ले रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : अंग्रेजी में भी ।

(इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह सत्य है कि यद्यपि भारत सरकार ने इस अन्तर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य वर्ष में भाग लेने का निर्णय नहीं किया है, लेकिन ७ अप्रैल को जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, उस में भारत सरकार ने भाग लिया ?

श्री करमरकर : नहीं, अभी तक तो तय नहीं हुआ । वह १९६० में आने वाला है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या भारत सरकार ने भारत वासियों के मानसिक स्वास्थ्य का कभी कोई सर्वेक्षण किया है या वह करने का विचार कर रही है कि हमारे देश में मानसिक रोग, जैसे पागलपन पहले से घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Shrimps.

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय यह बता सकने की स्थिति में तो होंगे हो कि इस समय मानसिक रोग चिकित्सालयों में कितने रोगी हैं?

श्री करमरकर : स्थिति यह है कि खास तौर पर कोई सैंसस नहीं लिया गया है इन मानसिक रोगियों का। फिर भी कोई अंदाजा ऐसा है कि जैसे यू० एस० ए० में यह अंदाजा ५ टू ८ पर थाउज़ेंड है, यू० के० में ३ टू ४ पर थाउजेंड है, यहां पर २ पर थाउज़ेंड अभी तक है। आइंदा क्या होगा, पता नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : मंत्री महोदय ने केवल अंदाजा बताया है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का निकट भविष्य में, देश में मानसिक रोगी, पागलों, झक्कियों और अर्ध-पागल व्यक्तियों का सर्वेक्षण करने का इरादा है?

†**श्री करमरकर** : हम दिल्ली में रोग की प्रवृत्ति सम्बन्धी सर्वेक्षण करने वाले हैं परन्तु हम इसमें मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को शामिल करेंगे और अर्ध-पागलों को नहीं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या मंत्री महोदय को पता है जिन मानसिक रोगियों को पुलिस पकड़ती है या जिनको उनकी सुपुर्दगी में रखा गया है, वे जेलों में अमानवीय दशा में रह रहे हैं-- कम से कम कलकत्ता में तो मुझे इसका पता है--और क्या कम से कम उन औरतों और मर्दों की जिन को वहां रखा गया है कोई चिकित्सा की जा रही है?

†**श्री करमरकर** : जेल भेजे जाने वाले इन मानसिक रोगियों के बारे में मुझे पता नहीं है (**अन्तर्बाधा**)। उत्तर देने से पूर्व वे मुझे दोष न दें।

इस देश में पुरानी परम्परा के अनुसार, पागलों को जेल में बन्द रखा जाता था परन्तु अब दूसरा तरीका है। अब हम मानसिक अस्पतालों के बारे में सोच रहे हैं और देश में बहुत से ऐसे हैं जो जेल की तरह न होकर अस्पताल की तरह हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : उनको नहीं पता है, सैकड़ों हैं।

†**श्री करमरकर** : मुझे पता है कि कुछ स्थानों में पुराने पागल खाने पुराने ढांचे पर ही चल रहे हैं परन्तु मुझे यह भी पता है कि अब राज्य सरकारें उनको सुधारने का प्रयत्न कर रही हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : मानसिक अस्पताल में स्थान पाना सदैव कठिन है और तब इन रोगियों को जेलों में रखा जाता है, उनकी बुरी दशा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय ने बताया कि उनको पता नहीं है। अब उसी बात के पीछे पड़ने से क्या लाभ? जिन माननीय सदस्यों को जानकारी है, वे मंत्री महोदय को बतायें और फिर पर्याप्त समय बाद सभा में प्रश्न पूछें।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : वह कलकत्ता की प्रेसिडेन्सी जेल में जाकर देखें।

†**श्री करमरकर** : उदाहरण के तौर पर बंगलौर में मानसिक अस्पताल इतना अच्छा है कि एक आदमी होटल में ठहरने के बजाये वहां गया।

†**श्री कासलीवाल** : क्या मैं जान सकता हूं कि १९६० में जो 'विश्व स्वास्थ्य वर्ष' है, वे इन ो योजनाओं में भी भाग लेंगे?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री करमरकर : यह अन्य संगठन है जिसके तत्वावधान में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन १९६० में विश्व मानसिक स्वास्थ्य फैडरेशन द्वारा किया जा रहा है । सम्भवतः दूसरी निर्देशित योजना 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' के अधीन है १९६० में कई बातें होंगी; दो ये भी होंगी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में हमारे देश में इस समय कोई खास कानून नहीं है और जो सन् १९१२ का पागलपन का कानून है वह बहुत पुराना हो चुका है, तो क्या उस कानून को और नया बनाने के बारे में कोई व्यवस्था की जा रही है ?

श्री करमरकर : यह बात ठीक है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स दिलचस्पी इस मामले में लेती हैं और जहां-जहां हो सकता है, जहां-जहां जरूरत पड़ती है उसमें सुधार भी करती है ।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग

†*२००७. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री १६ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के पुनर्गठन को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) क्या संगठन और उत्तरदायित्व का पुराना तरीका जारी है ; और

(ग) यदि उसमें कोई परिवर्तन किया गया है तो वह क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग सम्बन्धी पुनर्गठन समिति का प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है । समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने और सरकार द्वारा उसकी जांच किये जाने के पश्चात् ही आयोग का पुनर्गठन किया जायेगा । तब तक केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में पुराना तरीका जारी रहेगा ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या राज्य स्तर और केन्द्रीय सरकार स्तर, दोनों स्तरों पर यह अनुभव किया गया है कि विशेषतः तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाये जाने के सिलसिले में कार्य और उत्तरदायित्व के विकेन्द्रीकरण की शीघ्र आवश्यकता है ?

†श्री हाथी : यह प्रश्न आयोग के पुनर्गठन के बारे में है । यहां पर राज्य स्तर का कोई प्रश्न नहीं है । प्रश्न केवल यह है कि क्या विद्युत् शाखा के कृत्यों में वृद्धि की जाये और किस हद तक वृद्धि की जाये और इसको कैसे मजबूत बनाया जाये ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मन्त्री महोदय का ध्यान कुछ प्रमुख समाचार-पत्रों में छपी एक लम्बी रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि इस विषय की एक विशेषज्ञ समिति ने जांच की और उसने अपना प्रतिवेदन दिया कि ५० प्रतिशत तक मितव्ययता की जा सकती है । क्या मैं जान सकता हूं कि उन प्रतिवेदनों की बातें क्या हैं ?

†श्री हाथी : चाहे वह प्रतिवेदन कुछ भी हो, संगठन पर विचार करने के लिये हमने यह समिति नियुक्त की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या जल और विद्युत् के लिये पृथक्-पृथक् संगठन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री हाथी :** वास्तव में इस समिति का एक निर्देश पद यह भी है कि वह इस बात की जांच करे कि क्या जल शाखा और विद्युत् शाखा को अलग-अलग कर दिया जाये ।

प्रकाश-स्तम्भों के लिये उपकरणों का निर्माण

†*२०१०. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रकाश-स्तम्भों के कितने हिस्से आयात किये जाते हैं ; और

(ख) हिस्सों और उपकरणों का भारत में निर्माण करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें इस समय आयात किये गये सामान का व्यौरा है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १८]**

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें प्रकाश-स्तम्भों के हिस्सों और उपकरणों का भारत में निर्माण करने के लिये की गयी या की जा रही कार्यवाही के बारे में जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १८]**

†**श्री रघुनाथ सिंह :** इस समय इन सामानों के आयात करने पर कितनी विदेशी मुद्रा लगी हुई है ?

†**श्री राज बहादुर :** इस समय मैं ठीक आंकड़े नहीं बता पाऊंगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि प्रावकलन समिति ने यह सिफारिश की थी कि अधिक संख्या में आयात किये जाने वाले हिस्सों के निर्माण के लिये एक कारखाना स्थापित किया जाना चाहिये ?

†**श्री राज बहादुर :** कलकत्ता में एक कारखाने की स्थापना और जामनगर में एक कारखाने के सुधार और विस्तार समेत प्रावकलन समिति ने कई सिफारिशें की थीं ।

†**श्री तंगामणि :** बंगलौर में भारत इलैक्ट्रानिक्स इलैक्ट्रानिक और रेडियो का सामान बनाना कब आरम्भ करेगी ?

†**श्री राज बहादुर :** यह कहना कठिन है कि वे कितनी जल्दी निर्माण कर सकेंगे ।

†**श्री तंगामणि :** क्या इस समय मद्रास और बम्बई में मौजूद कारखानों के विस्तार की कोई योजना है ?

†**श्री राज बहादुर :** स्वयं प्रावकलन समिति के प्रावकलनों के अनुसार बम्बई और मद्रास के कारखानों से स्थानीय क्षेत्रों की आवश्यकतायें पूरी करने की आशा है । जामनगर के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की गयी थीं जिनका अनुसरण किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर में चावल का समाहार

†*२०११. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में अब भी राज्य व्यापार संगठन द्वारा चावल का समाहार किया जा रहा है ; और

(ख) क्या इस मौसम में समाहार के लिये राज्य व्यापार संगठन ने कोई अभ्यंश निर्धारित किया है और इसका किस दर पर समाहार किया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी, हां।

(ख) यह आशा की जाती है कि मनीपुर प्रशासन चालू मौसम में लगभग १ लाख मन बढ़िया चावल खरीदेगा। अच्छे औसत किस्म के चावल का वर्तमान क्रय मूल्य ११ रुपये प्रतिमन है।

†**श्री ले० अचौ सिंह :** ११ रुपये का समाहार मूल्य कब से लागू हुआ और इस समय समाहार किया गया कितना चावल निबटा दिया गया है और यह किस भाव पर निबटाया गया है ?

†**श्री अ० म० थामस :** पुनरीक्षित मूल्य १ मार्च, १६५६ से लागू हुए। पुनरीक्षित मूल्य लागू होने के बाद से कुल मिला कर ४,३०१ मन चावल खरीदा गया है। उससे पहले, १६५८-५६ में लगभग ३०,५२५ मन खरीदा गया था।

†**श्री ले० अचौ सिंह :** मैं यह जानना चाहता था कि कितना बेचा गया है और किस मूल्य पर ?

†**श्री अ० म० थामस :** वह रिजर्व में रखा जाता है।

†**श्री जयपाल सिंह :** आसाम में काम पर लगाये गये सैनिकों के लिये अपेक्षित सम्भरण इम्फाल में गोदामों में से किया जाता है या सेना प्रत्यक्ष रूप से खुले बाजार से खरीदती है और इम्फाल में और अन्य स्थानों पर कितना चावल खरीदा जाता है ?

†**श्री अ० म० थामस** : मनीपुर की आवश्यकता पूरी करने के पश्चात् हम सामान्यतः माननीय मित्र द्वारा निर्देशित क्षेत्रों को आवंटन करते हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह बात ध्यान में रखते हुए कि मंत्री महोदय द्वारा घोषित समाहार-लक्ष्य १ लाख मन है और अब तक हमने केवल ३,००० मन चावल का समाहार किया है, क्या सरकार यह अनुभव करती है लक्ष्य पूरा हो जायेगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : लक्ष्य पूरा करना बिल्कुल सम्भव है क्योंकि जब से पुनरीक्षित मूल्यों की घोषणा की गयी है, समाहार में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

दक्षिणी खाद्य जोन

†*२०१२. { **श्री कुमारन :**
श्री सुब्बया अम्बलम् :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मद्रास राज्य के खाद्य तथा कृषि मंत्री के इस सुझाव की ओर आकर्षित किया गया है कि दक्षिणी खाद्य जोन को तोड़ दिया जाये और हर राज्य का एक जोन बनाया जाये; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). जी, हां । मद्रास के इस सुझाव पर सब सम्बन्धित राज्य सरकारों से विचार किया गया था । उनकी कोई एक राय नहीं थी । प्रश्न की आगे जांच हो रही है ।

†**श्री कुमारन** : यदि खाद्य जोन को तोड़ दिया गया तो क्या भारत सरकार केरल में कमी को पूरा करने के लिये चावल की अपेक्षित मात्रा के नियमित रूप से संभरण की गारंटी देगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : इस समय यह प्रश्न काल्पनिक होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस समय यह प्रश्न बिल्कुल काल्पनिक है ।

†**श्री तंगामणि** : एक पूर्व अवसर पर हमें बताया गया था कि क्योंकि राष्ट्रीय विकास निगम कोई फैसला न कर सका, अतः सम्बन्धित चारों राज्य सरकारों से अपने अपने प्रस्ताव भेजने को कहा गया था । क्या राज्य सरकारों के प्रस्ताव प्राप्त होने के लिये कोई निश्चित तिथि निर्धारित की गयी है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : चारों राज्य सरकारों की बैठकें हो चुकी हैं । उनकी राय में कुछ भिन्नता थी । हम अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि राय में उस भिन्नता को किस प्रकार दूर किया जाये ।

†**श्री तिरुमल राव** : मंत्री महोदय ने यह बताया था कि इन मामलों के सम्बन्ध में एक सम राय नहीं थी । क्या मैं जान सकता हूं कि इससे कौन से राज्य में मतभेद था और किस राज्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : राज्य में मतभेदों को बताना लोक-हित में नहीं है ।

†**श्री तिरुमल राव** : समाचार-पत्रों में छपी खबरों के आधार पर क्या यह सच है कि आन्ध्र सरकार ने प्रस्ताव का समर्थन किया है और केरल सरकार ने इसका विरोध किया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं केवल यह कह सकता हूं कि राय में कुछ मतभेद था ।

†**श्री थानू पिल्ले** : क्या मतभेद यह था कि हर राज्य की राय भिन्न थी या यह कि अधिकांश राज्य एक प्रस्ताव पर सहमत हो गये थे और केवल एक छोटा राज्य उनसे सहमत नहीं हुआ ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : हम इन प्रश्नों पर बहुसंख्या और अल्पसंख्या से फैसला नहीं करते । हम समझौता कराने का प्रयत्न करते हैं ।

†**श्री नंजप्प** : क्या आरम्भ में जब मूल रूप से यह प्रस्ताव किया गया था, कोई एक राय थी ?

श्री अ० प्र० जैन : जिस समय दक्षिणी जोन बनाया गया था, उनमें समझौता था । (**अन्तर्बाधा**) ।

†**श्री नंजप्प** : आरम्भ में भी ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : यह मैं बता चुका हूं । जब दक्षिणी जोन बनाया गया था तब उनमें एक राय थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मणियंगाडन** : ज़ोन में अन्य राज्यों को बेचने के लिये आन्ध्र राज्य में कुल कितना फालतू बचता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह इस प्रश्न से उत्पन्न होता है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री वेंकटा सुब्बैया** : क्या ज़ोन को पुनर्गठित करने का प्रश्न राष्ट्रीय विकास निगम के समक्ष विचारार्थ आया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन**: जी, हां। इस विषय पर राष्ट्रीय विकास निगम में भी विचार हुआ था।

†**अध्यक्ष महोदय**: सेठ अचल सिंह क्यों खड़े हैं; क्या वह दक्षिणी ज़ोन के सदस्य हैं? (**अन्तर्बाधा**) केरल और अन्य राज्यों के ही बहुत सदस्य हैं।

†**सेठ अचल सिंह** : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एक ज़ोन से दूसरे ज़ोन में गेहूं और चावल के दामों में जो १० रु० से १५ रु० तक का फ़र्क है उसको एकसा करने के लिये सरकार की ओर से कोई उपाय सोचा जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का प्रश्न उत्तर के सम्बन्ध में है और मूल प्रश्न दक्षिण के सम्बन्ध में है।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : यह बात ध्यान में रखते हुए कि मद्रास और आन्ध्र की सरकारें दक्षिणी ज़ोन की वर्तमान पद्धति के बिल्कुल विरुद्ध हैं, क्या केरल सरकार ने उस राज्य की समूची कमी को पूरा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ? यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : समूचे विषय पर राज्य सरकार से बातचीत चल रही है; हम एक फैसले पर पहुंच जायेंगे।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या हाल ही में केरल और आन्ध्र के बीच चावल का जो सौदा हुआ, उसका दक्षिणी ज़ोन को भंग करने के लिये मद्रास और आन्ध्र के प्रस्तावों से कोई ताल्लुक है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य दक्षिणी ज़ोन को भंग करने के कारण जानना चाहते हैं।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या इसका भी कोई महत्व है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मेरे विचार में उस सौदे का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। मद्रास सरकार और अन्य सम्बन्धित लोग ही यह उत्तर दे सकेंगे कि उन पर क्या प्रभाव पड़ा है।

†**एक माननीय सदस्य** : कारण क्या हैं ?

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : श्रीमानजी, एक प्रश्न ....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को पहले खड़े होना चाहिये था;

---

†मूल अंग्रेजी में

गोहाटी हवाई अड्डे पर राडार

†*२०१३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गोहाटी हवाई अड्डे पर एक राडार लगाने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह राडार कब तक लगा दिया जायेगा ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). जी, हां । जैसे ही एक उपयुक्त स्थान का चुनाव हो जायेगा और बिजली के सम्भरण की व्यवस्था हो जायेगी, गोहाटी हवाई अड्डे पर तूफ़ान की सूचना देने वाला एक राडार स्थापित करने का विचार है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : हमारी पूर्वी सीमा पर देश में हुए हाल ही की घटनाओं और विमानों द्वारा की जा रही अनधिकृत उड़ानों के बारे में प्रतिरक्षा मन्त्री महोदय के हाल ही के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का इस क्षेत्र में या पूर्वी सीमा के किसी भाग में राडार लगाने का प्रस्ताव है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह राडार तूफ़ानों के बारे में है । मुझे यह नहीं पता है कि इसका हाल ही की घटनाओं से कुछ सम्बन्ध है । परन्तु गोहाटी में तूफ़ान की सूचना देने वाले इस राडार की स्थापना की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह शीघ्रातिशीघ्र स्थापित किया जायेगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : सिल्चर दुर्घटना के पश्चात् समाचार-पत्रों से प्राप्त होने वाली इन खबरों को ध्यान में रखते हुए कि मोहनबाडी और बालाशहर और उन सब क्षेत्रों में जो तूफ़ानी प्रदेशों में हैं, राडार संचरण बहुत ज़रूरी है, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार का उड़ान की सुरक्षा के लिये इस तूफ़ानी क्षेत्र के अधिकांश हवाई अड्डों पर राडार लगाने का प्रस्ताव है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : इस समय कलकत्ता में एक तूफ़ान की सूचना देने वाला राडार लगा हुआ है और दूसरा गोहाटी में लगाया जायेगा । माननीय सदस्या के इस सुझाव पर विचार किया जायेगा कि अधिक राडार लगाये जायें ।

†**श्री हेम बरुआ** : मौनसून और पहाड़ों के कारण कलकत्ता से आसाम तक डकोटा की उड़ान में अन्तर्ग्रस्त खतरे को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि इन डकोटा विमानों के स्थान पर अन्य प्रकार के विमानों का प्रयोग करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य एक विषय से दूसरे विषय पर जा रहे हैं ।

दिल्ली में गेहूं के भाव में वृद्धि

+

†*२०१४. { **श्री पाणिग्रही** :
श्री प्र० गं० देव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पिछले कुछ एक सप्ताहों में दिल्ली में गेहूं के भाव अत्यधिक चढ़ गये हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो भावों के इतने अधिक चढ़ जाने के क्या कारण थे; और

(ग) सरकार ने दिल्ली में गेहूं के बढ़ते हुए भावों की रोकथाम करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख). दिल्ली में जनवरी और फरवरी, १९५९ में गेहूं के भावों में कुछ वृद्धि हुई थी, परन्तु मार्च, १९५९ के मध्य से उसके भावों में पर्याप्त कमी हो गयी है। जनवरी और फरवरी, १९५९ में वृद्धि का कारण यह का कि उन महीनों में पंजाब में भी भाव चढ़ गये थे क्योंकि वे महीने फसल वर्ष का कमी का काल था।

(ग) सरकार दिल्ली की आटे की रोलर मिलों की मांग को सरकारी स्टाक से पूरा कर रही है और उचित मूल्य वाली दूकानों के द्वारा भी गेहूं का वितरण कर रही है।

†**श्री पाणिग्रही :** दिल्ली में सामान्यतया गेहूं की कुल कितनी मासिक मांग होती है और गत सप्ताहों में पंजाब से गहूं के उपयुक्त संभरण के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री अ० म० थामस :** इस समय तो दिल्ली की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है। हम उचित मूल्य वाली दूकानों के द्वारा प्रति मास लगभग ६५,००० टन गेहूं का वितरण कर रहे हैं और आटे की रोलर मिलों को भी गेहूं दे रहे हैं। इस समय गेहूं के भाव कम हो गये हैं।

श्री नवल प्रभाकर : आज दिल्ली के अन्दर जो चावल है वह कोई बढ़िया किस्म का नहीं है और उस के दाम भी बहुत ऊंचे हैं। तो क्या सरकार इस तरह का कोई विचार कर रही है कि उत्तर प्रदेश से देहरादून का बांसमती या आंध्र प्रदेश से कोई अच्छा चावल दिल्ली के अन्दर लाया जाय ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): यह प्रश्न गेहूं से सम्बन्ध रखता है। चावल से इस का कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री स० म० बनर्जी :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस वर्ष गेहूं की फसल अच्छी हुई है, क्या उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में गेहूं के भावों में और भी अधिक कमी होने की कोई आशा हैं; और यदि हां, तो कितनी ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** प्रस्तुत प्रश्न का सम्बन्ध तो दिल्ली से है, उत्तर प्रदेश अथवा किसी और राज्य से नहीं। हमने. . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** उसका उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं।

†**श्री स० म० बनर्जी :** दिल्ली में गेहूं के भावों में वृद्धि पंजाब के कारण हुई है और पंजाब का उल्लेख भी किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री इसका उत्तर नहीं दे सकते।

†**श्री प्र० गं० देव :** क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली में गेहूं के भाव २७ रुपये ८ आने तक चढ़ गये थे, परन्तु फिर भी सरकारी स्टाक से बहुत कम स्टाक मंगवाया गया था ?

†**श्री अ० प्र० जन :** यह ठीक है कि दिल्ली में गेहूं के भाव बहुत बढ़ गये थे, परन्तु वह तो अब पुरानी बात हो गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० भ० बरुआ :** क्या यह सच है कि दिल्ली के गेहूं के भावों में वृद्धि का कारण राज्य व्यापार योजना और गहूं वसूली की घोषणा में विलम्ब था ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** भावों में वृद्धि तो राज्य व्यापार की योजना को तैयार करने से पहले ही हो चुकी थी ।

रेंड़ बांध परियोजना

+

†*२०१५. { **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री रा० च० माझी :** }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को रेंड़ बांध परियोजना के लिये प्रविधिक सहयोग मिशन के अधीन कुल कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यह सहायता किस रूप में प्राप्त हुई है;

(ग) क्या प्रविधिक सहयोग मिशन से और सहायता भी प्राप्त होगी; और

(घ) यदि हां, तो किस रूप में ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १६]**

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाई के कारण इस परियोजना के प्राक्कलन में कोई परिवर्तन कर दिये गये हैं ?

†**श्री हाथी :** प्राक्कलन में कुछ परिवर्तन कर दिय गये हैं । परन्तु हमें अभी तक विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है क्योंकि इसके लिये धन प्रविधिक सहयोग मिशन करार के अधीन मिल रहा है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या यह सच है कि इस बांध से पैदा की गयी बिजली को औद्योगिक कार्यों अथवा अन्य कार्यों जैसे कि कृषि कार्य आदि के लिये इस्तेमाल किया जायेगा ?

†**श्री हाथी :** इसका इस्तेमाल कृषि तथा घरेलू कार्यों के लिये किया जायेगा ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के मंत्री द्वारा दिये गये उस वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि इस बांध से पैदा होने वाली सम्पूर्ण बिजली का औद्योगिक-कार्यों के लिये ही इस्तेमाल किया जायेगा और अन्य कार्यों के लिये यह पहले से ही आवंटित कर दी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हाथी : उत्तर प्रदेश सरकार ने बांध के समीप ही एक अल्यूमिनियम फैक्टरी स्थापित करने का प्रबन्ध किया है। लगभग ५०,००० किलोवाट बिजली तो वहां इस्तेमाल होगी। यदि वहां की सरकार ने वह फैक्टरी स्थापित की, तो इस बांध से पैदा होने वाली अधिकांश बिजली तो वहां पर इस्तेमाल हो जायेगी और शेष बिजली अन्य कार्यों के लिये इस्तेमाल की जायेगी।

श्री रघुनाथ सिंह : जहां तक मालूम हुआ है इस डैम से १ लाख २० हज़ार किलोवाट इनर्जी पैदा होंगी जिस में से ४५ हज़ार किलोवाट इनर्जी तो एक फैक्टरी को दी गई है और ५० हज़ार किलोवाट रेलवेज़ को दी गई है, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उस साधारण जनता को जिसके कि पैसे से यह इनर्जी पैदा की जा रही है उसको कितनी किलोवाट बिजली प्राप्त होगी ?

†**श्री हाथी** : रेलवे के लिये वहां से जो बिजली इस्तेमाल की जायेगी वह तो केवल कुछ समय के लिये इस्तेमाल की जायगी, क्योंकि पूर्वी जोन में हम १२५,००० किलोवाट और अधिक बिजली पैदा कर रहे हैं। हम रेलों के लिये दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में दुगदा नामक स्थान पर दो और बिजली घर स्थापित कर रहे हैं। अतः यदि रेंड़ बांध से रेलवे के लिये बिजली दी भी गयी तो वह केवल कुछ समय के लिये ही दी जायेगी।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या पहले इस बिजली घर से बिहार को भी बिजली देने का विचार था और अब वह विचार छोड़ दिया गया है ?

†**श्री हाथी** : मैं नहीं समझता कि पहले इस प्रकार का कोई विचार था।

†**श्री स० म० बनर्जी** : उस क्षेत्र के औद्योगिक यूनिटों को बिजली किस दर पर दी जायेगी ?

†**श्री हाथी** : राज्य सरकार द्वारा इस बारे में अभी तक फैसला नहीं किया गया है।

†**श्री त्यागी** : प्रति यूनिट के उत्पादन में लगभग कितनी लागत आयेगी ?

†**श्री हाथी** : इस बारे में इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या मैं जान सकता हूं . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य मध्य प्रदेश से हैं।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : परन्तु मध्य प्रदेश का इस से अत्यधिक सम्बन्ध है। क्या यह रेंड़ बांध एक राष्ट्रीय बांध है या कि एक क्षेत्रीय बांध ? इससे पैदा होने वाली बिजली को किस-किस आधार पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के राज्यों में बांटा जायेगा ?

†**श्री हाथी** : मध्य प्रदेश ने रेंड़ बांध परियोजना से बिजली प्राप्त करने का दावा किया है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् में इस मामले पर विचार किया जा रहा है। परिषद् में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

संसद् सदस्यों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

+

†*२०१६. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री वाजपेयी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दामानी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २१ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में शामिल होने के इच्छुक संसद् सदस्यों पर यह योजना लागू करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी, हां। अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना को संसद् सदस्यों पर भी लागू करने का निर्णय कर लिया गया है। योजना की वास्तविक कार्यान्विति तो संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति द्वारा निम्नलिखित बातों पर फैसला कर लिये जाने के बाद ही होगी :—

(१) प्रश्न के वित्तीय मामले पर अन्तिम रूप से निर्णय।

(२) डाक्टरों के लिये आवश्यक आवास स्थान एलाट करना तथा औषधालयों और डाक्टरों के घरों में टेलीफोन लगाना।

(ख) यह योजना सभी के लिये अनिवार्य होगी और सभी संसद् सदस्यों को उसके लिये ५ रुपये प्रति मास अंशदान देना पड़ेगा। यही विचार किया गया है कि तीन औषधालय स्थापित कि जायें—एक नार्थ एवेन्य में, एक साउथ एवेन्यु में और एक कांस्टीट्युशन हाउस-फीरोजशाह रोड क्षेत्र में। जहां तक योजना के अधीन दी जाने वाली सुविधाओं का सम्बन्ध है, संसद् सदस्यों और उनके परिवार के लोगों को विचिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें दी जायेंगी, जो कि भारत सरकार के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों को दी जाती हैं। ये सुविधायें केवल दिल्ली/नई दिल्ली में रहने वाले संसद् सदस्यों और उनके परिवारों को दी जायेंगी।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : यह योजना कब तक लागू की जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बारे में संयुक्त समिति विचार कर रही है।

†**श्री करमरकर** : यह तो संयुक्त समिति पर निर्भर करता है। हम तो अपनी ओर से तैयार हैं।

†**श्री च० द० पांडे** : यह योजना जिस रूप में चल रही है, उस से कुछ एक केन्द्रों में कम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वे वहां की डाक्टरी सेवा से संतुष्ट नहीं हैं। क्या आप समझते हैं कि इसे संसद् सदस्यों पर भी अनिवार्यतः लागू कर देना उपयुक्त होगा, क्योंकि बहुत से सदस्य इस में अंशदान देना नहीं चाहते ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को किसी ने गलत जानकारी दी है। यह सच है कि जहां तक बाहिर के रोगियों का सम्बन्ध है, औषधालयों में इतनी अधिक भीड़ रहती है कि डाक्टर उनका अच्छी प्रकार से इलाज नहीं कर सकते हैं ; परन्तु जहां तक एक्सरे आदि अन्य प्रबन्धों का सम्बन्ध है, मैं हमझता हूं कि इन से कम वेतन के कर्मचारियों को पर्याप्त सहायता मिल रही है। यहां उन्हें केवल आठ आने, एक रुपया या दो रुपयों की मासिक अदायगी पर एक्सरे आदि की सुविधायें मिल जाती हैं जो कि अन्यथा असम्भव हैं।

†अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे सफदरजंग अस्पतला में जाकर स्वयं अपनी आखों से सम्पूर्ण व्यवस्था देखें।

†श्री त्यागी : हम ने वहां की व्यवस्था भी देख ली है। वहां पर अत्याधिक भीड़ रहती है। यदि सदैव ऐसी भीड़ रही तो हमें डर है कि वे डाक्टर हमारे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख सकेंगे। अत : जब तक वहां के डाक्टरों की संख्या न बढ़ायी जाये तब तक उस योजना के और अधिक विस्तार का कोई लाभ नहीं है ?

†श्री करमरकर : हमने इस पर अच्छी प्रकार से विचार कर लिया है। जहां तक बाहिर से आने वाले रोगियों का सम्बन्ध है, मैं इस बात का आश्वासन नहीं दे सकता कि हम इस मांग को संतोष जनक ढंग से पूरा कर सकेंगे, परन्तु जहां तक योजना के सामान्य प्रभाव का सम्बन्ध है, इस योजना की सभी वर्गों के लोगों ने सराहना की है। उनका यह कहना है कि यह योजना लाभदायक सिद्ध हुई है।

†डा० सुशीला नायर : क्या माननीय मंत्री ने इस बात को ध्यान में रखा है कि बहुत से संसद् सदस्य अधिक समय तक दिल्ली से बाहिर रहते हैं? क्या उन्हें दिल्ली से बाहिर भी चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा प्राप्त होती रहेगी या कि वह सुविधा केवलमात्र दिल्ली में ही मिलेगी ?

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है कि यह केवल मात्र दिल्ली तक ही सीमित होगी।

†डा० सुशीला नायर : मैं यह जानना चाहती हूं कि माननीय सदस्यों को इस योजना के लिये केवल उसी अवधि के लिये चन्दा देना होगा जब कि वे दिल्ली में होंगे या कि सम्पूर्ण वर्ष के लिये चंदा देना होगा ?

†श्री करमरकर : मैं इस बात का स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। हम तीन क्षेत्रों, अर्थात नार्थ एवेन्यू, साऊथ एवेन्यू और फीरोज़शाह रोड़ क्षेत्र में तीन औषधालय स्थापित करेंगे। उन पर कुल वार्षिक खर्च २ लाख रुपये होगा। उन औषधालयों में डाक्टर तो सारा साल भर रहेंगे, भले ही रोगी वहां पर जायें या न जायें। यदि सभी संसद सदस्य जिनकी संख्या ७५० है, इसके लिये चंदा दें तो भी उन से कुल ४५,००० रुपये प्रति वर्ष प्राप्त हो सकेंगे। बाकी यह एक अलग प्रश्न है कि क्या हम वह योजना प्रारम्भ करें या न करें।

†श्री रंगा : हम तो उस योजना के पक्ष में हैं।

†श्री करमरकर : मैं नहीं कह सकता कि क्या सभा यह उपयुक्त समझती है कि केवल २०,००० रुपयों की आय पर २ लाख रुपये खर्च कर दिये जायें।

†श्री रंगा : इस सम्बन्ध में अन्तिम स्थिति क्या है ? क्या सभी को चंदा देना पड़ेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने बता दिया है कि उपरोक्त चार बातों पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति विचार कर रही है। इस बारे में वह संयुक्त समिति स्वयं निर्णय कर लेगी। तीन अस्पताल खोले जा रहे हैं और उस के लिये सभी सदस्यों को ५ रुपये मासिक चंदा देना होगा। अब माननीय सदस्यों द्वारा माननीय मंत्री से और प्रश्न पूछने चाहिये थे जैसे कि उस योजना से क्या-क्या लाभ होगा। क्या उसके लिये हर प्रकार की लाभदायक दवाई मंगाई जायेगी आदि। कुछ एक माननीय सदस्यों ने मुझे लिखा है कि उन्हें आधी रात को कष्ट हो गया था और उसके लिये उन्हें विलिंगडन अस्पताल जाना पड़ा और वहां पर १५० रुपये या २०० रुपये अदा करने पड़े थे। अब इस योजना के लागू होने से सभी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी।

†**श्री बैरो :** परन्तु सभी को इसके लिये बाध्य क्यों किया जाये?

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि इसे अनिवार्य न किया गया तो इस में बहुत कम सदस्य शामिल होंगे और उनके लिये अस्पताल नहीं खोले जा सकते। माननीय सदस्य यह समझते हैं कि उन्हें अत्याधिक चंदा देना पड़ेगा, परन्तु वे यह भूल जाते हैं कि उन्हें इससे लाभ कितना होगा। मैं माननीय सदस्यों को वे पत्र दिखा सकता हूं जिनमें कुछ एक सदस्यों ने चिकित्सा संबंधी व्यवस्था के अभाव के कारण होने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया है। इन अस्पतालों के खुल जाने से माननीय सदस्य स्वयं अनुभव करेंगे कि केवल ५ रुपये मास अदा करने से उन्हें कितना लाभ हो रहा है।

अल्प-सूचना प्रश्न और उत्तर

तेजपुर से जहाज की अप्राधिकृत उड़ान

†**अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २९. श्री आसर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक विदेशी पत्रकार तेजपुर हवाई अडडे से वहां के प्राधिकारियों से अनुमति लिये बिना ही एक गैर-सरकारी जहाज में उड़ कर चला गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उस दिन जब वह जहाज़ उड़ कर गया था, उस समय कंट्रोल टावर पर कोई भी अफसर नहीं था ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) जी, हां। एक भारतीय रजिस्टर्ड जहाज़, जो कि संभवत: चार्टर किया गया था, दो विदेशी पत्रकारों को लेकर १३ अप्रैल, १९५९ को वैमानिक प्राधिकारियों से अनुमति लिये बिना ही तेजपुर से उड़ गया था।

(ख) और (ग). तेजपुर का हवाई अड्डा कम महत्वपूर्ण अडडा है, इसलिये वहां के कन्ट्रोल टावर में सामान्यतया ९-३० से १२-३० तक और १४–३० से १६–३० बजे भारतीय समय तक काम होता है। फिर भी आवश्यकता के किसी और समय पर जहाज़ की उड़ान करने के लिये हवाई अड्डे के आफिसर-इन्चार्ज से अनुमति लेकर वैसा किया जा सकता है। जहाज के पाइलट ने अनुमति नहीं ली थी।

उस पाइलट के विरुद्ध शासन सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आसर :** क्या यह सच है उस जहाज़ ने सरकार की अनुमति के बिना ही 'फा' के निषिद्ध क्षेत्रों पर उड़ान की थी ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** जी, नहीं। जहां तक मुझे ज्ञात है यह सच नहीं है।

†**श्री आसर :** वह पत्रकार कौन था और वह किस देश का रहने वाला है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** मेरी यह जानकारी है कि एक ब्रिटिश का रहने वाला और दूसरा फ़ांस का रहने वाला था।

†**श्री आसर :** सरकार ने इस प्रकार के मामलों की रोक थाम के लिये क्या-क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** जैसा कि मैं ने पहले ही बता दिया है पाइलट के विरुद्ध अनुशासन-कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। सरकार इस बात का ख्याल रखेगी कि अप्राधिकृत उड़ानें न की जायें।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि यह जहाज़ उस क्षेत्र के एक यूरोपीय चाय बागान स्वामी का है। और यदि हां, तो क्या उसके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** मेरी जानकारी यह है कि वह जहाज़ दरभंगा रेलवेज़ का है। वह एक चार्टर पर प्राप्त किया गया जहाज़ था। उसके मालिक से उस बारे में जांच की जा रही है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** गत १५ या २० दिनों में विदेशी पत्रकारों द्वारा चार्टर पर प्राप्त किये गये कितने जहाज़ तेजपुर के ऊपर से उड़े थे ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** क्या सरकार को कुछ पता लगा है कि इन पत्रकारों के आगमन का क्या उद्देश्य था, और क्या यह सच है कि वे दलाई लामा से सम्पर्क स्थापित करना चाहते थे ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** इस का उत्तर देना मेरे लिये बड़ा कठिन है। परन्तु यह निश्चित है कि जहाज़ ने उड़ान अवश्य की थी, वह कुछ समय के बाद फिर वहीं वापिस आ गया था।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या इस प्रकार से अधिकृत उड़ान करने वाले उन विदेशी पत्रकारों ने वापिस आने पर अपने इस कार्य के बारे में कोई जवाब देही दी थी ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** जहाज़ के पाइलट और उसके मालिक से जवाब देही मांगी गयी है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** उस जहाज़ के तेजपुर से अवैध रूप से उड़ कर जाने और वापिस आने के बाद हमने इस बात का कैसे विनिश्चय किया है कि वह जहाज़ किस ओर गया था ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** मेरी यह जानकारी है कि यह उड़ कर मेस्मारिया में गया था जो कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहिर है। हमारे मंत्रालय के पास तो यही जानकारी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान एक समाचार पत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि इस जहाज में से एक पत्रकार को हवांग के पास उतार दिया गया था; यदि हां, तो क्या उसका पता लगा लिया गया है, क्योंकि समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि उसे दलाईलामा की भीड़ में खोजने का प्रयत्न किया गया था परन्तु वह मिला नहीं ?

†श्री मुहीउद्दीन : इस जहाज़ से नहीं ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वनस्पति तेलों की कीमतें

†*१९९९. श्री पांगरकर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन मासों में वनस्पति तेलों की फुटकर कीमतें बढ़ गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) वनस्पति तेलों के फुटकर मूल्य उपलब्ध नहीं हैं। मुख्य भोजन वनस्पति तेलों के, जैसे तिल का तेल और सरसों का तेल, थोक मूल्य पिछले तीन मासों में बढ़ गये हैं। अलसी और अंडी के तेल के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) सरकार देश में वनस्पति तेलों के मूल्यों पर नज़र रख रही है और उनके मूल्य उचित रखने के लिये समय समय पर कार्यवाही की जाती है। मूल्य में वृद्धि रोकने के लिये अग्रे सौदा आयोग ने मूंगफली, अलसी, अंडी और बिनौलों के वायदा व्यापार पर भारी रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने सारे अनुसूचित बैंकों को निदेश दिया है कि वे मूंगफली की प्रतिभूति पर बैंक ऋणों में ४५ % का अन्तर रखें।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधिकारियों की योग्यतायें

†*२००१. श्री नाथपाई : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोकसेवा आयोग ने घोषित किया है कि मंत्रालय में उप-निदेशक तथा सहनिदेशक जैसे कुछ अधिकारी उन पदों के लिये पूर्णतया योग्य नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने अधिकारी हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) हां, परन्तु संघ लोक सेवा आयोग उन अधिकारियों की मौखिक परीक्षा लेने और उनके मामलों का पुनरीक्षण करने के लिये सहमत हो गया है।

(ख) १० (जिनमें से अब ७ कार्य कर रहे हैं)।

गुदीवाड़ा—भीमवरम लाइन

†*२००८. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुदीवाड़ा—भीमवरम की छोटी लाइन को बदल कर बड़ी लाइन बनाने का कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में कुल कितने मजदूर लगाये गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलव उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) तथा (ख). कार्य आरम्भ करने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बर्मा का चावल

†*२००६. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५६ के पंचवर्षीय भारत-बर्मा चावल करार के अधीन १६५६ में बर्मा से चावल के संभरण के बारे में कहां तक बातें हुई हैं ; और

(ख) कितनी मात्रा के लिये वार्ता की जा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** :(क) तथा (ख). वार्ता का प्रक्रय या प्रकार बताना लोकहित में नहीं है ।

सहकारी ढंग पर मछली बेचना

*२०१७. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिये सहकारी मछली बेचने और कोल्ड स्टोरेज (शीत भंडार) की योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) तथा (ख). सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन की तमाम मौजूदा फिश कोओपरेटिवस को इकटठा करके एक सेण्ट्रल कोऑपरेटिव फिश मार्केटिंग सोसाइटी की स्थापना की योजना है। यह सोसाइटी ४० मन मछली का प्रतिदिन व्यापार करेगी । उनके पास एक बाज़ार कोल्ड स्टोरेज और आइस प्लान्ट के सहित भी होगा ।

दक्षिण रेलवे के लिये कोयला

†*२०१८. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल से ३१ दिसम्बर, १६५८ तक कुल कितना कोयला जहाजों द्वारा दक्षिण रेलवे के लिये ले जाया गया ;

(ख) कितना भाड़ा दिया गया; और

(ग) क्या दक्षिण रेलवे को सारा कोयला जिसकी उसे आवश्यकता होगी, चालू वर्ष में रेलवे द्वारा भेजा जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) लगभग ७ लाख टन ।

(ख) लगभग ३.८ करोड़ जिनमें से लगभग २.३ करोड़ रु० रेल भाड़ा के अतिरिक्त है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९५९–६० में दक्षिण रेलवे को भेजे जाने वाले कुल लगभग २१ लाख टन में से लगभग ११ लाख टन रेल से भेजा जायेगा और शेष रेल व समुद्र मार्ग से ।

मनीपुर में मैदा का संभरण

†*२०१९. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में मैदा का भारी अभाव है ;

(ख) क्या मनीपुर में होटलों और 'बेकरियों' के मालिकों द्वारा मैदा के संभरण सम्बन्धी कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो मैदा की मांग की पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). मनीपुर प्रशासन से प्रार्थना प्राप्त होने पर कलकत्ता के आटा मिलों से ३५० मन मैदा प्रति मास मनीपुर भेजने का प्रबन्ध कर दिया गया है ।

ईंधन उपभोग समिति

†*२०२०. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :
श्री दामानी :

क्या **रेलवे** मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन उपभोग समिति के प्रतिवेदन की पूर्ण जांच हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सारी सिफारिशों पर कार्यवाही हो गई है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)**: (क) सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(भाखड़ा नंगल परियोजना के अधीन सिंचाई तथा विद्युत् कार्य

†*२०२१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दलजीत सिंह :
श्री पांगरकर :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा नंगल परियोजना के अधीन सिंचाई तथा विद्युत कार्यों में ३१ मार्च, १९५९ तक आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : जानकारी देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २०**]

---

†मूल अंग्रेजी में

लद्दाख में भेड़ पालन केन्द्र

२०२२. श्री नवलप्रभाकर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में ऊन की किस्म सुधारने के विचार से सरकार लद्दाख में एक भेड़ पालन केन्द्र स्थापित कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना का उद्देश्य पशमीने की ऊन का संभरण बढ़ाना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जम्मू और काश्मीर राज्य में पशमीना ऊन के गुण और मात्रा में सुधार करने के विचार से लद्दाख के ज़िले में चंगथंग के स्थान पर एक पशमीना बकरी (भेड़ नहीं) प्रजनन केन्द्र, वहां की सरकार ने स्थापित किया है।

(ख) जी हां।

भूमि जल की खोज

†३४२४. श्री राम कृष्ण गुप्तः क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ९ दिसम्बर १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन १५ उत्साह वर्धक क्षेत्रों के नाम क्या हैं तथा कहां हैं जिन्हें भारत के भतत्वीय सर्वेक्षण ने भूमि जल की खोज के लिए चुना है ; और

(ख) खोज का क्षेत्रवार क्या परिणाम रहा।

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) तथा (ख) जिन पन्द्रह क्षेत्रों में भूमि-जल की खोज आरम्भ की गई है या की जायेगी और ३१-३-१९५९ तक जो परिणाम प्राप्त हुए हैं वे निम्न हैं :

क्षेत्र का नाम	प्राप्त परिणाम (३१-३-५९ तक)	
	किये गये छेदों की संख्या	उन छेदों की संख्या जो नल कूप बना दिये गये
१ नर्वदा बेसिन (मध्य प्रदेश)—(जिला होशंगाबाद, भोपाल व जबलपुर) .	३०	१६
२ ताप्ती बेसिन (बम्बई)—पूर्वी व पश्चिमी खानदेश तथा नियार जिले) . .	१८	२
३ पूसा बेसिन (बम्बई)—(अरोला, अमरावती और बुलदाना जिले) . . .	१४	—
४ सौराष्ट्र (बम्बई)—(जलाबाद जिला) .	९	२
५ कच्छ (बम्बई)—(भूज, माण्डवी, अबदसा, नख्तराना और मुन्दरा ताल्लुके) . .	१०	४

†मूल अंग्रेजी में

		किये गये छेदों की संख्या	उन छेदों की संख्या जो नल कूप बना दिये गये
६	राजस्थान (जेसलमेर, वीकानेर, वारमेर, चुरू और सिकार जिले) . . .	१०	१
७	केरल (अलेपे, कोट्टमम और क्विलोन जिले) .	५	१
८	मद्रास (चिगलपुट, दक्षिण आर्काट, त्रिचि, तंजौर, रामनाथपुरम् पूटूकोटई और ब्रधाचलम जिले)	४०	२७
९	आन्ध्र (पूर्वी व पश्चिमी जिले और कृष्णा जिला)	३८	११
१०	पंजाब (गुडगांव, रोहतक, महिन्द्रगढ़, हिसार, अम्बाला और होशियारपुर) .	१५	११
११	पश्चिमी बंगाल (नदिया, २४ परगना, वकुंरा, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, माल्दा, पश्चिमी दिनाजपुर, दार्जिलिंग, जलपाईगुरई, कूच बिहार जिले) . .	२४	२४
१२	उत्तर प्रदेश (आगरा, मैनपुरी, एटा, नैनीताल, इलाहाबाद, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, फैज़ाबाद, जौनपुर और देहरादून जिले) .	२५	१७
१३	बिहार (गया, शाहाबाद और भागलपुर जिले)	१६	७
१४	उड़ीसा राज्य (बालासौर और कटक जिले) .	१४	१२
१५	आसाम राज्य (दररांग और कामरूप जिले) .	(शीघ्र काम आरम्भ होने की संभावना है)	
	योग . .	२६८	१३५

पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में अभी खोज हो रही है।

पश्चिम रेलवे पर प्रतीक्षालय

†३४२५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे पर १९५८–५९ में किन किन स्टेशनों पर कितने प्रतीक्षालय बनाये गये और

(ख) कितने प्रतीक्षालयों की मरम्मत की गई और उस पर कितना व्यय हुआ ?

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जयपुर स्टेशन पर उच्च श्रेणियों के यात्रियों के लिए चार प्रतीक्षालय बनाये गये । इनके अतिरिक्त, वम्बी और लिलीवोरा पर व्यापारियों के लिए एक एक प्रतीक्षालय बनाया गया । इनके अतिरिक्त ११ स्टेशनों पर, अर्थात् वाली, उनाम, खरघोदा, पटरी, देरोल, पेटलाद, झगाड़िया, वेमार, असरना, सगन्द और फलग स्टेशनों पर, तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिए भी मुसाफिरखाने बनाये गये ।

(ख) मुसाफिरखानों की मरम्मत का व्यौरा अलग नहीं रखा जाता क्योंकि वे स्टेशन की इमारत के ही भाग हैं जिसकी मरम्मत और देख रेख का व्यय भी साधारणतया इमारतों के साथ ही रखा जाता है ।

डीज़िल कारें

†३४२६. **श्री राम कृष्ण गुप्त:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आज कल पश्चिम रेलवे की किन लाइनों पर कितनी डीजिल कारें चल रही हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** पश्चिम रेलवे पर कुल ६ छोटी लाइन की डीज़िल कार उपलब्ध हैं । ये निम्न लाइनों पर चलती हैं :—

जेटालसर—	बेराबल
बेरावल——	तलाला—देलवाड़ा
जूनागढ़ —	वीसावरां
जूनागढ़—	बेरावल
सिहोर—	पलीसाना
सिहोर—	धोला ।

पश्चिम रेलवे पर चलने वाली डिजिल कार प्रचलित प्रकार की नहीं हैं । इन्हें विभिन्न प्रकार के भारी इंजनों का प्रयोग कर के बनाया गया है । इन रेल कारों में एक जंजीर और दान्तेदार गरारी होती है । पेट्रोल से चलने वालें इंजिनों के स्थान पर आवश्यकतानुसार डिज़िल के इंजिन लगाये जा रहेहैं ।

भ्रष्टाचार के मामले

†३४२७. **श्री राम कृष्ण गप्त:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च १९५९ को उत्तर रेलवे म कितने भ्रष्टाचार के मामले अनिश्चित पड़े थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** ३२७।

पंजाब में ग्राम जल सम्भरण योजनायें

†३४२८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दलजीत सिंह : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को १९५८—५९ और १९५९—६० में पंजाब सरकार से क्या क्या ग्राम सफाई तथा जल संभरण योजनायें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) इन योजनाओं के लिये कुल कितना ऋण और सहायता मांगी गयी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९५८–५९ में वास्तव में कुल कितनी सहायता दी गई तथा १९५९–६० में कुल कितनी सहायता दी जायेगी ; और

(घ) ये योजनायें कब तक कार्यान्वित होंगी और इन से कितने गांवों को लाभ पहुंचेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) तथा (ख). द्वितीय योजना काल में ३१–३–१९५९ तक राज्य सरकार से प्राप्त योजनाओं तथा उनकी अनुमानित लागत दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २१]**

(ग) १९५८–५९ में राज्य सरकार को २२.०० लाख रु० का सहायता अनुदान दिया गया। १९५९–६० में २०.०० लाख की आर्थिक सहायता का अस्थायी आवंटन किया गया है ।

(घ) मार्च १९६० तक, एवं लगभग २५४ गांवों को लाभ पहुंचेगा ।

पंजाब में लघु सिंचाई परियोजनायें

†३४२९. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कितनी लघु सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्तावों की जाच हो रही है ; और

(ख) टेक्निकल व्यक्तियों की कठिनाई दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को क्या सहायता दी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) अपेक्षित जानकारी अभी पंजाब सरकार से प्राप्त नहीं हुई है और प्राप्त होने पर पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) राज्य सरकार ने केन्द्र से प्राविधिक व्यक्तियों की कोई सहायता नहीं मांगी है ।

मद्रास सर्किल के डाक तथा तार कर्मचारियों के क्वार्टर

†३४३०. **श्री पांगरकर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में मद्रास सर्किल में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए कितने क्वार्टर बने; और

(ख) १९५९–६० में उपरोक्त सर्किल में कितने क्वार्टर बनेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) नौ क्वार्टर।

(ख) ३२ क्वार्टरों का काफी निर्माण हो चुका है और आशा है कि १९५९–६० में ये पूरे हो जायेंगे । इसके अतिरिक्त, १६४ क्वार्टरों का निर्माण मंजूर हो गया है ।

अन्तर्राज्यीय माल यातायात

†३४३१. **श्री पांगरकर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई-आन्ध्र और बम्बई-मैसूर के बीच सड़क के अन्तर्राज्यीय माल यातायात में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख) हां। वृद्धि का आंकड़ों में अनुमान नहीं लगाया जा सका है परन्तु वृद्धि काफी हुई है।

चकबन्दी

†३४३२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार ने १९५८–५९ में विभिन्न राज्यों में चकबन्दी के काम को शीघ्र समाप्त करने के लिये राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : चकबन्दी की योजना के लिये वित्तीय सहायता योजना पर वास्तविक व्यय को ५० प्रतिशत या उस पर कुल व्यय की २५ प्रतिशत, दोनों में जो भी कम हो, दी जाती है। १९५८–५९ में विभिन्न राज्यों / संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों को, जहां यह योजना चल रही है, निम्न सहायता मंजूर की गई :

राज्य/संघ प्रशासित राज्य क्षेत्र	प्रविधिक उपबन्ध (कुल यदि अन्यथा उल्लेख न हुआ हो)	राज्य का अंश	केन्द्रीय अंश
		(रु० लाखों में)	
१. आन्ध्र प्रदेश	१.७१ (शुद्ध)	०.८५	०.८६
२. बिहार	१.५२	१.१४	०.३८
३. बम्बई	१२.५०	९.३७	३.१३
४. मध्य प्रदेश	७.२०	५.४०	१.८०
५. मैसूर	२.७०	२.०२	०.६८
६. पंजाब	३०.०० (शुद्ध)	१५.००	१५.००
७. राजस्थान	५.००	३.७५	१.२५
८. उत्तर प्रदेश	१४५.००	१०८.७५	३६.२५
९. दिल्ली*	०.७६	—	—
१०. हिमाचल प्रदेश*	३.००	—	—
११. मनीपुर*	०.०८	—	—

*इन मामलों में सारा व्यय आय व्ययक में से होता है।

खरीदे गये जहाज

†३४३३. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ और १९५८–५९ में कितने मूल्य के जहाज़ जहाजरानी के लिये खरीदे गये ; और

(ख) इन जहाज़ों की तफसील क्या है और वे किस काम में लगाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २२**]

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में नगर जल संभरण योजनायें

†३४३४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार ने १९५८–५९ और १९५९–६० में नगर सफाई तथा जल संभरण योजनाओं के लिये कुल कितना ऋण व सहायता मांगी है ; और

(ख) १९५८–५९ में वास्तव में कुल कितना ऋण तथा सहायता दी गई तथा १९५९–६० में कितनी दी जायेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (ख).

	मांगा गया ऋण तथा सहायता	दिया गया ऋण तथा सहायता
१९५८–५९	४७.५० लाख रु०	३६.०० लाख रु०
१९५९–६०	३०.०० लाख रु० (राज्य योजना के लिये / केन्द्रीय योजना के लिये मांग नहीं बताई गई)	६५.०० लाख रु० का अस्थायी आवंटन (४५ लाख रु० राज्य योजना के लिये और २० लाख रु० केन्द्रीय आवंटन) किया गया है ।

गांवों में परिवार नियोजन

†३४३५. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १२ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांवों में परिवार नियोजन केन्द्र खोलने के लिये चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं और स्वयंसेवी संघों को शत प्रतिशत वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ ऐसे ग्रामीण केन्द्रों को ऐसी सहायता देने से मना किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्यों ; और

(घ) क्या ग्रामीण औषधालयों में काम करने वाले डाक्टरों को पर्याप्त वेतन मिलेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हां, श्रीमान—व्यय के स्वीकृत नमूने के अनुसार ।

(ख) नहीं, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†मूल अंग्रेजी में

(घ) एक ग्रामीण औषधालय के लिये स्वीकृत व्यय में सामान्यतया डाक्टर की सेवाओं का कोई उपबन्ध नहीं है, परन्तु केवल सामाजिक कार्यकर्ता या हेल्थ विजिटर क्षेत्र कार्यकर्ता के वेतन के लिये कुल ३,००० रुपया वार्षिक का उपबन्ध है। स्वयं सेवी संघ इस उपबन्धित राशि में अर्थात, ३,००० रु० प्रति वर्ष में डाक्टर रख सकता है। आशा है कि देखभाल का कार्य उस चिकित्सा स्वास्थ्य एकक का प्रभारी डाक्टर करेगा जिसमें औषधालय स्थित हो। राज्यों में कुछ प्रारम्भिक ग्राम औषधालयों के लिये एक डाक्टर दे दिया गया है जिसे पर्याप्त वेतन देना पड़ेगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

†३४३६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३१ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तब से विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया सम्बन्धी प्रादेशिक समिति के ग्यारहवें अधिवेशन की, जो २४ से ३० सितम्बर, १९५८ तक नई दिल्ली में हुआ था, सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी हां।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया सम्बन्धी प्रादेशिक समिति की ग्यारहवीं बैठक की, जो २४ से ३० सितम्बर, १९५८ तक नई दिल्ली में हुई थी, सिफारिशों और भारत सरकार द्वारा उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २३]**

विशाखापत्तनम् पत्तन का विकास

†३४३७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
कुमारी मो० वेद कुमारी : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २१ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम पत्तन के विकास सम्बन्धी परियोजना को अन्तिम रूप प्रदान कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). चार लांगल स्थानों[1] के निर्माण के लिये २७२.५५ लाख रुपयों के प्राक्कलन मंजूर किये जा चुके हैं। इस कार्य के लिये शीघ्र ही टेंडर मांगे जायेंगे। तलकर्षण कार्य भी आंशिक रूप से हो चुका है।

अयस्क को लादने-उतारने के लिये बेल्ट कनवेयर सिस्टम के आरम्भिक डिजाइन और प्राक्कलन तैयार हो गये हैं और उनकी जांच की जा रही है। उन्हें यथाशीघ्र अन्तिम रूप प्रदान कर लिया जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Berths.

विमान दुर्घटना

†३४३८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ दिसम्बर, १९५८ को जो विमान बम्बई के मुख्य मंत्री श्री वाई० बी० चव्हाण को नागपुर से बम्बई ले जा रहा था उससे एक गिद्ध टकरा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विमान क्षतिग्रस्त हो गया था या किसी अन्य यात्री को चोट आई थी ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री महीउद्दीन) :** (क) जी हां ।

(ख) विमान के पोर्ट विंग को कुछ नुकसान पहुंचा है । विमान में यात्रा करने वाला कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ ।

उड़ीसा में तपेदिक नियन्त्रण

†३४३९. **श्री पाणिग्रही :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १८ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को १९५८-५९ के लिये तपेदिक के नियंत्रण के लिये आवश्यक सहायता मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा को जो १०५ पृथक्करण शैयायें आवंटित की गई हैं उन में से अब तक कितनी शैयाओं की स्थापना हो चुकी है ; और

(ग) क्या १९५९-६० की प्रस्थापना और इस वर्ष के लिये उड़ीसा को दी जाने वाली राशि का अन्तम रूप से निश्चय कर लिया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) उड़ीसा सरकार को एक्स-रे या प्रयोगशाला सम्बन्धी किसी भी उपकरण का संभरण नहीं किया गया और तपेतिदक के लिये पृथक शैयाओं की स्थापनार्थ १९५८-५९ में कोई अनुदान ही मंजूर किया गया था । लेकिन इस रोग के नियंत्रण के लिये राज्य सरकार को २,६२,७१७ रुपयों के अनुदान इन योजनाओं के अधीन मंजूर किये गये थे:—

१. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन

२. बी० सी० जी० का टीका

उपर्युक्त योजनाओं के लिये पृथक-पृथक मंजूर की गयी राशियों के ब्योरे का पता नहीं है ।

राज्य के एक ऐच्छिक तपेदिक संगठन के लिये भी ५०,००० रुपये का एक अनावर्तक अनुदान मंजूर किया गया था ।

(ख) १९५८-५९ में राज्य सरकार ने तपेदिक के रोगियों के लिये एक भी पृथक शैया की स्थापना नहीं की ।

(ग) राज्य सरकार से एक भी निश्चित प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है । फिर भी, अस्थायी रूप से यह बात तय हो गयी है कि राज्य सरकार को बी० सी० जी० आन्दोलन के लिये ४१,००० रुपये की और तपेदिक के रोगियों के लिये पृथक शैयाओं की स्थापनार्थ ७०,००० रुपयों की केन्द्रीय सहायता दी जाये । अब इस योजना को क्रियान्वित करना और देय राशियां लेने का काम राज्य सरकार का है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गाड़ियों का लेट चलना

†३४४०. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरम्भ के और गन्तव्य स्टेशनों के अलावा रास्ते के जंक्शन स्टेशनों पर गाड़ियों के लेट चलने का कोई रेकार्ड रखा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या १९५८ में निम्नलिखित गाड़ियों के लेट चलने से सम्बन्धित स्थिति का विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा :—

(१) पूर्वोत्तर रेलवे पर :

१. ९ अप और १० डाउन एक्सप्रेस

२. ३३ अप और ३४ डाउन जनता एक्सप्रेस

३. ३१ अप और ३२ डाउन पैसेंजर

(२) उत्तर और पूर्व रेलवे पर :

१. १३ अप और १४ डाउन अपर इंडिया एक्सप्रेस

२. ११ अप और १२ डाउन

३. ३५३ अप और ३५४ डाउन ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलों में जुर्म

†३४४१. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **रेलवे** मंत्री १८ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, १९५८ के बाद से रेलवे दुर्घटनाओं और चोरी, उठाई गीरी आदि जुर्मों की संख्या में कोई उल्लेखनीय कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत कमी हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख). रेलवे में दुर्घटनायें या जुर्म की कटनायें हर महीने कभी भी किसी निश्चित नमूने के आधार पर नहीं घटतीं । फिर भी, नवम्बर, १९५८ से फ़रवरी, १९५९ तक के चार महीनों में गम्भीर दुर्घटनाओं और जुर्मों की औसत संख्या में अक्तूबर, १९५८ के आंकड़ों में जो कमी हुई है उसकी प्रतिशत नीचे दी जाती है :

	प्रतिशत कमी
१. गम्भीर ट्रेन दुर्घटनायें	२५ प्रतिशत
२. पटरियों से छेड़छाड़ की घटनायें	१९ प्रतिशत
३. बुक किये गये माल की चोरी की घटनायें	१ प्रतिशत
४. बुक किये गये माल और रेलवे सम्पत्ति की क़ीमत	४.५ प्रतिशत

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार विभाग में अनसूचित जातियों के कर्मचारी

†३४४२. { **श्री साधू राम :**
श्री दलजीत सिंह :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में पंजाब सर्किल में प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कुल कितने उम्मीदवार भर्ती किये गये हैं;

(ख) कितने स्थान भरे जाने थे;

(ग) क्या इन स्थानों को आरक्षण के अनुसार भरा गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) से (घ). १९५८ के पत्री वर्ष और जनवरी, फरवरी, १९५९ के सम्बन्ध अपेक्षित जानकारी अम्बाला स्थित पंजाब सर्किल के पोस्ट मास्टर जनरल से मांगी गयी है और मिलते ही यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

टमाटर के उप-उत्पाद

†३४४३. **श्री पांगरकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टमाटर के उप-उत्पाद तैयार करने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की योजना को कब तक अंतिम रूप प्रदान कर दिये जाने की संभावना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गवर्नर-जनरल/राष्ट्रपति द्वारा रेलवे कर्मचारियों की नौकरियों की समाप्ति

†३४४४. **श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४७ से १९५८ तक की अवधि में भारत के गवर्नर जनरल/राष्ट्रपति के आदेश से तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के कितने कर्मचारियों की नौकरी समाप्त की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :**

तृतीय श्रेणी	१०९
चतुर्थ श्रेणी	३९

जनरल मैनेजरों द्वारा रेलवे कर्मचारियों की नौकरियों की समाप्ति

†३४४५. **श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४७ से १९५८ तक की अवधि में जनरल मैनेजरों ने अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग कर तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के कुल कितने कर्मचारियों की नौकरियां समाप्त की हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पूर्वोत्तर रेलवे में कर्मचारियों का प्रत्यावर्त्तन[1]

†३४४६. श्री राजेन्द्र सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में बड़ी संख्या में ऐसे मामले हो चुके हैं जिन में लोगों को चार्जशीट दिये बिना या संविधान के अनुच्छेद ३११(२) के अनुसार आवश्यक सफाई का मौका दिये बिना प्रत्यावर्त्तित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली परिवहन उपक्रम[2]

†३४४७. श्री दी० चं० शर्मा: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ९ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली परिवहन उपक्रम के कर्मचारियों की मजूरी की निम्नतम दरों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में विचार करने के लिये ६ व्यक्तियों की जो जांच समिति नियुक्त की गयी थी उस के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २४]

रेलवे के नौकरी सम्बन्धी नियम

†३४४८. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौकरी की शर्तों के सम्बन्ध में कितने विभिन्न प्रकार के नियमों के सेट रेलवे में लागू हैं; और

(ख) उनको सरल बनाने के लिये क्या प्रयास किया गया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) नौकरी की शर्तों सम्बन्धी नियमों के विभिन्न सेट मोटे तौर पर इस प्रकार हैं :—

१. भूतपूर्व कम्पनियों की रेलवे

२. भूतपूर्व देशी राज्यों की रेलवे

३. भारत सरकार की रेलवे।

(ख) विषमता को कम करने के लिये भूतपूर्व कम्पनियों की रेलवे के कर्मचारियों और भूतपूर्व देशी राज्यों की रेलवे के कर्मचारियों को भारत सरकार की रेलवे के नियम स्वीकार कर लेने की छूट दे दी गयी थी। नियमों को सरल बनाने का कार्य जांच कमेटी का प्रतिवेदन आने तक के लिये स्थगित कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Reversions
[2] Delhi Transport Undertakings

विलिंगडन और सफदरजंग अस्पताल

†३४४९. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विलिंग्डन और सफदरजंग अस्पतालों के लिये उपबंधित व्यय का योजना आयोग के परामर्श से पुनरीक्षण करने वाली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक कुल प्राक्कलन में से कितना व्यय हो चुका है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) ६९,१०,९५५ रुपयों की लागत के निर्माण कार्यों (५९,०९,१५५ रुपये के सफदरजंग अस्पताल के लिये और १०,०१,८०० रुपये के विलिंग्डन अस्पताल के लिये) के लिये अनुमोदन कर दिया गया है ।

रेलवे के यात्री भाड़े

†**३४५०. श्री जाधव :** क्या **रेलवे** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि १९४८ से १९५८ तक विभिन्न स्थानों पर चलने वाली लोकल गाड़ियों के यात्री भाड़ों का आधार क्या था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** भारतीय रेलवे के १-१-१९४८ से ३०-९-१९५८ तक के यात्री भाड़ों के आधार का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २५]**

प्रश्न में उल्लिखित "लोकल गाड़ियों" का तात्पर्य संभवतः थोड़ी दूरी के बीच चलने वाली गाड़ियों से है। ऐसी लोकल गाड़ियों और अन्य पैसेंजर गाड़ियों के यात्री भाड़ों के आधार में तो कोई अन्तर नहीं है लेकिन 'साधारण' या 'पैसेंजर गाड़ियों' और मेल या एक्सप्रेस गाड़ियों के भाड़ों का अन्तर, जहां भिन्न भाड़ा वसूल किया जाता है, विवरण में दिखा दिया गया है ।

१-१०-१९५८ से भाड़ों के आधार की नहीं, केवल विभिन्न दूरियों के हिसाब लगाकर निकाले गये भाड़े की घोषणा की जाती है ।

पाथरकण्डी धरमनगर रेल लाइन

†**३४५१. श्री दशरथ देव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाथरकण्डी-धरमनगर रेल लाइन का सर्वेक्षण कब किया जायेगा; और

(ख) रेलवे बोर्ड का अन्तिम प्रतिवेदन सरकार को कब तक मिल जाने की संभावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख). सर्वेक्षण को यथाशीघ्र आरम्भ करने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रामगंगा परियोजना

३४५२. श्री भक्त दर्शन : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २७ फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं सम्बन्धी सलाहकार समिति ने उत्तर प्रदेश में रामगंगा परियोजना पर इस बीच विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सम्मति दी है; और

(ग) यदि प्रश्न के उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो समिति द्वारा इस परियोजना पर कब तक विचार किया जा सकेगा ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) उत्तर हां में है ।

(ख) सलाहकार समिति ने योजना आयोग से सिफारिश की है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की टिप्पणी में सुझाए गये संशोधनों के साथ परियोजना को स्वीकार कर लिया जाये ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर अन्दमान के वन

†**३४५३. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर अन्दमान के वनों का पट्टाधारी मायाबन्दर स्थित अपनी आरामिल में स्थानीय बिक्री और निर्यात के लिये चीरी जाने वाली विभिन्न किस्म की लकड़ियों पर किस-किस दर से स्वामित्व प्रभार वसूल करता है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में क्रमशः कितनी स्वामित्व प्रभार लगाया गया और वसूल हुआ ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) स्थानीय बिक्री और निर्यात, दोनों के लिये चीरी जाने वाली विभिन्न किस्म की लकड़ियों के स्वामित्व प्रभार की दर एक ही है । वह इस प्रकार है :—

मैचवुड	नौतल पर्यन्त निशुल्क मूल्य का		४१ प्रतिशत
प्लाइवुड्स	,,	,,	४५
हार्डवुड्स	,,	,,	५०
आर्नामेन्टल वुड्स	,,	,,	५०

(ख) चीरी लकड़ी पर लागू और वसूल किया गया स्वामित्त्व प्रभार इस प्रकार है :

वर्ष	लगाये गये स्वामित्व की राशि	वसूल हुए स्वामित्व की राशि
	रुपये	रुपये
१९५५-५६	१,१५,२६७	१,१५,२६७
१९५६-५७ .	१,०९,२९५	१,०९,२९५
१९५७-५८	४७,२२३	४७,२२३

†मूल अंग्रेजी में ।

दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजपथ

†३४५४. { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजपथ को नये सिरे से बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह राजपथ कितने मील लम्बा होगा;

(ग) उक्त राजपथ में क्या-क्या परिवर्तन किये जायेंगे;

(घ) निर्माण पर अनुमानतः कितना व्यय होगा; और

(ड) यह राजपथ कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ८ का गुड़गांव-अलवर-शाहपुरा सेक्शन का बड़ा हिस्सा बरसात होने पर पानी में डूब जाता है इसलिये इसकी जगह दारुहेड़ा, बेहरोड़ आदि होते हुए गुड़गांव से शाहपुरा तक एक नयी सड़क बनाने का इरादा किया गया है ।

(ख) इस सड़क की लम्बाई कुल १०५ मील है, इसे या तो सुधारा जायगा या इसे फिर से बनाया जायेगा । इसके बन जाने से दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी ३० मील कम हो जायेगी ।

(ग) यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग के पैमाने पर बनायी जायेगी । इस पर यथावश्यक पुल होंगे और इस पर गाड़ियों के लिये १२ फीट चौड़ी तारकोल की सड़क होगी ।

(घ) लगभग ८६,०० लाख रुपये ।

(ड) लगभग ४ साल ।

यात्री भाड़े पर कर

†३४५५. **श्री मुरारका** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्री भाड़े पर कर लगाने का १९५८-५९ में विभिन्न रेलवेओं के यात्री-यातायात पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या उपर्युक्त अवधि में इस कर का दूर का सफर करने वाले यात्रियों की अपेक्षा निकट का सफर करने वाले यात्रियों पर अधिक प्रभाव पड़ा है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के राजस्व पर इस कर का क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). पिछले वर्ष की अपेक्षा १९५८-५९ में यात्रियों के यातायात और आय में गिरावट तो आयी है परन्तु यह बता सकना संभव नहीं है कि यह किस हद तक भाड़े पर कर लगने के कारण है और किस हद तक इस अवधि में लोगों की सामान्य, आर्थिक स्थिति और सड़क सर्विसों की और भी सख्त होड़ के कारण है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चूहों के विरूद्ध अभियान

३४५६. **श्री भक्त दर्शन:** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चूहों के आंतक को समाप्त करने के हेतु प्रारम्भ किये गये अभियान के लिये तथा इस अभियान को सफल बनाने के लिये विभिन्न राज्य सरका ों को केन्द्रीय राजकोष से वर्ष १९५८-५९ में कितना धन दिया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): भारत सरकार अधिक अन्न उपजाओ नियमों के अन्तर्गत चूहों को मारने के लिये किसानों को राज्य सरकारों के द्वारा दी गई चूहे मार दवाई[1] के मूल्य का ५० प्रतिशत की सहायता देती है। केन्द्रीय शासित दिल्ली के सम्बन्ध में, पिछले रबी आन्दोलन में चुहे उन्मूलन आन्दोलन पर खर्च किये हुए लगभग १००० रुपये का समस्त व्यय भारत सरकार ने किया।

तम्बाकू का उत्पादन

†३४५७. { **श्री स० र० अरुमुगम** :
श्री गणपति :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ और १९५८-५९ में विभिन्न राज्यों में तम्बाकू का कुल कितना कितना उत्पादन हुआ और कितनी-कितनी भूमि में इसकी खेती की गयी थी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २६]**

पैसे डाले बिना सार्वजनिक टेलिफोनों का उपयोग

†३४५८. **श्री ओंकार लाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से प्रकाशित होने वाले २१ दिसम्बर, १९५८ के साप्ताहिक हिन्दी हिन्दुस्तान' के सम्पादकीय लेख में लगाये इन आरोपों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है कि सार्वजनिक टेलीफोनों के प्रविधिक अभिसाधन द्वारा १५ नये पैसे डाले बिना ही उनका उपयोग कर लिया जाता है ;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां।

(ख) इस मामले में कोई जांच आवश्यक नहीं समझी गयी। सार्वजनिक टेलीफोनों में यह संभव है कि रिसीवर में जोर से बोलकर फोन करने वाला अपनी बात सुना सके लेकिन दोनों ओर से बाकायदा बातचीत करना संभव नहीं है। यह बात व्यावहारिक उपयोग से कहीं अधिक किताबी ज्ञान की है क्यों कि इस ढंग से संतोषप्रद ढंग से बातचीत नहीं की जा सकती।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

[1]Raticide.

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के लिये ट्रैक्टर

†३४५६. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन को १२३ ट्रैक्टर दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह ट्रैक्टर आ गये हैं; और

(ग) क्या ये केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के लिये एक प्रकार का ऋण होगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) से (ग). प्रतिरक्षा मंत्रालय ने २०० ट्रैक्टर केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन को हस्तांतरित कर देने का प्रस्ताव किया है। केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के इंजीनियरों ने इन ट्रैक्टरों की प्रविधिक परीक्षा इस बात की जांच करने के लिये पूरी कर ली है कि ये ट्रैक्टर केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा संचालन के लिये उपयुक्त हैं भी या नहीं। उनका प्रतिवेदन विचाराधीन है। हस्तांतरण की शर्तों का निश्चय प्रतिवेदन पर निर्णय होने के बाद किया जायेगा।

दुर्ग, भिलाई और रूरकेला में निर्माण-भत्ते का भुगतान

†३४६०. **श्री संगण्णा :** क्या **रेलवे** मंत्री दुर्ग, भिलाई और रूरकेला में रेलवे कर्मचारियों को निर्माण-भत्ते के बारे में ३० अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख) विषय अभी विचाराधीन है; परन्तु आशा है कि आदेश शीघ्र ही जारी कर दिये जायेंगे।

कानपुर में रेलवे मैजिस्ट्रेट और रेलवे कर्मचारियों में झगड़ा

३४६१. **श्री जगदीश अवस्थी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ८ मार्च, १९५९ को जब रेलवे मजिस्ट्रेट से कानपुर के रेलवे प्लेटफार्म पर किराया मांगा गया, तो मजिस्ट्रेट और रेलवे कर्मचारियों के बीच गंभीर झगड़ा पैदा हो गया;

(ख) यदि हां, तो झगड़े के कारण क्या थे; और

(ग) इसकी कोई जांच की गई थी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट दिल्ली से लौट रहे थे। कानपुर स्टेशन पर टिकट जांचने वाले कर्मचारियों ने उन्हें यह कह कर टोका कि उस सफर के लिये उन्हें अपना कार्ड पास इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं था।

(ग) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर रेलवे पर डीजल इंजन

†३४६२. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुधियाना-फिरोजपुर लाइन पर चलने के लिये उत्तर रेलवे को कोई डीजल इंजन देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितने डीजल इंजन दिये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों को रेल द्वारा मिलाना

†३४६३. **श्री नेक राम नेगी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों को रेल द्वारा मिलाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से हिमाचल प्रदेश के अधीन आने वाली निम्नलिखित परियोजनाओं के लिये पहले सर्वेक्षण किया गया था :

(१) कालका—सुकेट (१०५ मील छोटी लाइन)

(२) शिमला—नारकण्डा (४३ मील छोटी लाइन)

(३) शिमला आन्तरिक संचार

(४) नांगल—मण्डी (६४ मील छोटी लाइन)

(५) कांगड़ा—कुलु (८७ मील छोटी लाइन)

(६) जगाधरी—पावंता–राजभान (४४ मील बड़ी लाइन)

जांच से पता चला कि सब परियोजनायें अलाभप्रद थीं । वित्तीय और सामान के सीमित संसाधनों के कारण इनमें से किसी का भी सर्वेक्षण अथवा निर्माण आरम्भ नहीं किया गया है ।

दक्षिण रेलवे पर डीजल रेल कारें

†३४६४. **श्री वे० ई० चरण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दक्षिण रेलवे पर कितनी डीजल रेल कारें चल रही हैं;

(ख) ये किन स्थानों पर चल रही हैं; और

(ग) आस्ट्रेलिया द्वारा दी गयी डीजल कारों में से दक्षिण रेलवे को कितनी कारें दी गयी हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी** : (क) और (ख) दक्षिण रेलवे पर उपलब्ध १२ बड़ी लाइन की और १४ मीटर गज की डीजल कारों में से इस समय दक्षिण रेलवे पर ७ बड़ी

†मूल अंग्रेजी में

लाइन की और १० मीटर गेज की कारें, जिनमें दो पुरानी हैं, निम्नलिखित सेक्शनों पर चल रही हैं :

बड़ी लाइन

सामलकोट—काकानडा पत्तन

काकानडा—तडेपल्ली गुडम्

काकानडा—निदादा वोलू

टूनी—काकानडा

निदादावोलू—टूनी

मीटर गेज

मायावरम—तंजोर

मायावरम—तिरुच्चिरापल्ली

तिरुच्चिरापल्ली—करैक्कुदी

तिरुच्चिरापल्ली—देवाकोट्टई रोड

तिरुच्चिरापल्ली—श्री रंगम

तिरुच्चिरापल्ली—लालगुडी

तिरुच्चिरापल्ली—मानापरै

निदामंगलम्—मन्नारमुडी

क्योंकि यह सेवा अभी चालू की गयी है, यह उपयुक्त समझा गया कि बड़ी लाइन पर पांच कारें और मीटर गेज पर चार कारें (नई) संधारण, नियतकालिक ओवरहाल और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिये अलग रखी जायें। वर्तमान सेवाओं के चलने से अनुभव प्राप्त होने पर इस संख्या को धीरे धीरे घटा दिया जायेगा और सेवा में डीजल कारों की संख्या बढ़ा दी जावेगी ।

(ग) कोलम्बो सहायता योजना के अधीन आस्ट्रेलिया से प्राप्त २४ बड़ी लाइन की डीजल कारों में से १२ दक्षिण रेलवे को दी गयी हैं ।

उत्तर प्रदेश में नगरीय जल संभरण योजनायें

†**३४६५. श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रथम तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में उत्तर प्रदेश में नगरीय तथा ग्रामीण जल संभरण योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये भारत सरकार द्वारा कितना आवंटन किया गया है; और

(ख) राज्य सरकार ने इस आवंटन का किस हद तक उपयोग किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार को नगरीय तथा ग्रामीण जल-संभरण योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये निम्नलिखित धनराशि दी गयी है :

अवधि	नगरीय	ग्रामीण
	(१०० प्रतिशत ऋण)	(५० प्रतिशत सहाय्य-अनुदान)
	(रुपये लाखों में)	
प्रथम पंचवर्षीय योजना . . .	२५०.००	८६.५०
द्वितीय पंचवर्षीय योजना—		
१९५६—५७	४५.००	२८.५०
१९५७—५८	१३१.००	७.००
१९५८—५९	६५.००	१०.००
	४९१.००	१३२.००

(ख) १९५७—५८ तक दिये गये कुल धन का राज्य सरकार ने उपयोग कर लिया है वर्ष १९५८—५९ के बारे में खर्च के वास्तविक आंकड़े पता नहीं हैं ।

रेलवे मंत्रालय में मंत्रणा समितियां

†३४६६. श्री दलजीत सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में रेलवे मंत्रालय द्वारा बनायी गयी विभिन्न मंत्रणा समितियों द्वारा कुल कितना खर्च किया गया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जावेगी ।

उत्तर रेलवे पर तार कर्मचारी

†३४६७. { श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे पर उन तार कर्मचारियों को अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है जिनकी सेवायें पांच से दस वर्ष तक की हो गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): जी, नहीं । दिल्ली और फिरोजपुर डिवीजनों पर सिगनलरों को छोड़ कर जिनका स्थायीकरण अभी किया जाना है ।

(ख) उत्तर-पश्चिम रेलवे (पाकिस्तान) से कुछ जानकारी की कमी के कारण भारत का विकल्प करने वाले सिगनलरों की सेवा का रिकार्ड अपूर्ण है । तथापि उपलब्ध जानकारी के आधार पर स्थायीकरण के मामले में आगे कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी तार कर्मचारी

†३४६८. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी तार कर्मचारियों को उत्प्रेरणा तदर्थ भत्ते[१] के रूप में ५० रुपये दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वह रेलवे के तार कर्मचारियों को भी दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जी, हां। उन तार कर्मचारियों को जिनके लिये हिन्दी के तार संकेतों का ज्ञान प्राप्त करना सेवा की शर्त में शामिल नहीं था।

(ख) जी, हां। जैसा कि १२-३-५९ के प्रश्न संख्या १८६४(क) के उत्तर में बताया जा चुका है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मनीपुर में भूकर सम्बन्धी सर्वेक्षण[२]

†**३४६९. श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में घाटी क्षेत्र का भूकर सम्बन्धी सर्वेक्षण मनीपुर प्रशासन द्वारा १९५२ में आरम्भ किया गया था और बाद में वह प्रस्ताव रद्द कर दिया गया; और

(ख) क्या घाटी में वर्तमान सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्यों के आरम्भ होने से पहले या बाद में इस तथ्य की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाया गया था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) १९५२ में वास्तविक रूप से कोई भूकर सम्बन्धी सर्वेक्षण आरम्भ नहीं किया गया था। मनीपुर प्रशासन ने ऐसा सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव किया था। परन्तु यह प्रस्ताव बाद में रद्द कर दिया गया।

(ख) वर्तमान सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्यों के आरम्भ होने से पूर्व।

चिकित्सा प्रतिनिधियों का सम्मेलन

†**३४७०. श्री ज० रा० मेहता** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान सम्बन्धी राज्य बोर्डों और फैक्टरियों के निदेशालय और अभिस्वीकृत कालिजों के प्रिंसिपलों का एक सम्मेलन दिसम्बर १९५८ में कलकत्ता में हुआ था;

(ख) क्या इस सम्मेलन ने अपनी सिफारिशें भारत सरकार को दे दी हैं;

(ग) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) सरकार ने अब तक कौन सी सिफारिशों को स्वीकार किया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

[१] Incentive ad hoc allowance.

[२] Cadastral Survey.

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २७]**

(घ) सम्मेलन की सम्बन्धित सिफारिशें आयुर्वेद की वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिये सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्त एक समिति के प्रतिवेदन में दी हुई हैं। उस प्रतिवेदन की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

शिमला स्टेशन पर प्रतीक्षालय

†**३४७१. श्री बै० च० मलिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिमला स्टेशन पर तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये कोई प्रतीक्षालय नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां।

(ख) बुकिंग कार्यालय के बाहर का वरांडा और प्लैट फार्म पूरी तरह से ढके हुए हैं। जो तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये प्रतीक्षालय का काम करते हैं। यात्रियों के इस्तेमाल के लिये आवश्यक बेंचों की भी व्यवस्था कर दी गयी है। इस स्टेशन पर इस समय तृतीय श्रेणी के यात्री यातायात के लिये इन सुविधाओं को पर्याप्त समझा गया है।

बूचड़ खाने

†**३४७२. श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २८ मार्च, १९५९ के लखनऊ के 'पायनियर' में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि अब अमरीका के बूचड़ खानों में ढोरों का बिना पीड़ा के वध किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उस तरीके को भारत में लागू करने के लिये उसके बारे में व्यौरा प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय राजदूतावास द्वारा नये तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की गयी हैं।

पार्सल डिब्बे में आग

३४७३. श्री भक्त दर्शन : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ७ मार्च, १९५९ को जब बनारस से लखनऊ जाने वाली पैसेंजर गाड़ी मिर्जापुर स्टेशन पर पहुंची, तब गार्ड के पीछे जुड़े हुए पार्सलों के डिब्बे में आग लगी हुई पाई गई;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में रेलवे कर्मचारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(ग) उस आग से रेलवे को कितनी हानि हुई और कितने व्यक्तियों के पार्सलों को क्षति पहुंची;

(घ) सम्बन्धित व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(ङ) उस दुर्घटना के लिये उत्तरदायी रेलवे कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों को क्या दण्ड दिया गया?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). सवाल नहीं उठता ।

दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में भू-संरक्षण उपाय

†३४७४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में भू-संरक्षण उपायों का कार्यक्रम बना लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). दामोदर घाटी निगम निम्नलिखित भू-संरक्षण योजनायें कार्यान्वित कर रहा है :

(१) २५,००० एकड़ जलागम क्षेत्र में वनरोपण

(२) भू-सर्वेक्षण और नक्शा बनाना

(३) भू-संरक्षण प्रदर्शन योजना

(४) भू-संरक्षण इंजीनियरिंग कार्य

(५) ऊपरी सेवाड़ी जलागम में भू-संरक्षण योजना ।

दामोदर घाटी क्षेत्र में भू-संरक्षण उपायों के प्रश्न पर अप्रैल, १९५९ के प्रथम सप्ताह में नयी दिल्ली में हुए भागग्राही सरकारों के सम्मेलन में विचार किया गया। सम्मेलन ने भू-संरक्षण उपायों के महत्व को स्वीकार किया और इस कार्य के लिये पर्याप्त निधि देने का आश्वासन दिया। इस सम्बन्ध में दामोदर घाटी निगम से एक ठोस कार्यक्रम बनाने को कहा गया ।

दामोदर घाटी निगम अधिनियम का संशोधन

†३४७५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भागग्राही राज्य सरकारों के परामर्श से निगम को औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिये पानी की दरों को लागू करने का अधिकार देने के विचार से दामोदर घाटी निगम अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर भागग्राही सरकारों के अप्रैल, १९५९ के प्रथम सप्ताह में नयी दिल्ली में हुए सम्मेलन में विचार किया गया। सम्मेलन में यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया कि दामोदर घाटी निगम परियोजनाओं से दिये जाने वाले पानी पर, चाहे वह घाटी में नदियों द्वारा बहता है या नहरों नालियों द्वारा, कर ले सकती है। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि त्रुटि को दूर करने के लिये दामोदार घाटी निगम अधिनियम की सम्बन्धित धाराओं में संशोधन किया जाये। संविधान के अधीन अधिकारों और राज्य सरकारों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संशोधनों के प्रारूप की जांच की जायेगी। यह कार्य किया जा रहा है।

दामोदर घाटी निगम और भागग्राही राज्यों[1] में समझौता

†**३४७६. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार और दामोदार घाटी निगम के साथ भागग्राही राज्य सरकारों—पश्चिमी बंगाल और बिहार—के बीच शीत-कोठार संयंत्र का कनैनात्सल में स्थानान्तरण, स्पन पाइप फैक्टरी का दुर्गापुर में स्थानान्तरण और दामोदार घाटी निगम के बांध और सिंचाई परियोजनाओं के अधीन सिंचाई नहरों का संधारण-कार्य का पश्चिमी बंगाल को स्थानान्तरण के बारे में हुए करार का क्या व्यौरा है?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : अप्रैल, १९५९ के प्रथम सप्ताह में भागग्राही राज्यों की सरकारों के सम्मेलन में यह तै किया गया कि—

(१) पश्चिमी बंगाल सरकार दामोदार घाटी निगम से कनैनात्सल में शीत-कोठार संयंत्र और दुर्गापुर में स्पन पाइन फैक्टरी दोनों के कार्य को इसकी सब आस्तियों और उत्तरदायित्वों समेत संभाल लेगी।

(२) १ दिसम्बर, १९५९ से पश्चिमी बंगाल सरकार दामोदार घाटी निगम से नौ-परिवहन नहर समेत नहर पद्धति के संधारण और संचालन का कार्य संभाल लेगी। यह स्थानान्तरण दामोदार घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा १३ के उपबन्धों के अधीन होगा।

जहाजों की मरम्मत करने की सुविधायें

†**३४७७. श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजों की मरम्मत करने की सुविधाओं की जांच करने के लिये नियुक्त समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो प्रतिवेदन के कब प्राप्त होने की संभावना है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Paticipating States.

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) यह आशा की जाती है कि प्रतिवेदन इस मास के अन्त तक प्राप्त हो जायेगा ।

सड़क परिवहन

†३४७८. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ के अन्त में देश में कुल यात्री सड़क परिवहन ट्रेफिक के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र में यात्री सड़क परिवहन ट्रेफिक की क्या प्रतिशतता है; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के आरम्भ में प्रतिशतता क्या थी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). यद्यपि इस मामले में प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तथापि यह अनुमान लगाया जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में देश में यात्री सड़क परिवहन सेवाओं का लगभग २० प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में था। १९५८ के अन्त में स्थिति का पता नहीं है क्योंकि सब राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों से आवश्यक जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन आदेश

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं:—

(१) दिनांक ९ अप्रैल, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४३२ में प्रकाशित राजस्थान खाद्यान्न (सीमा पर लाने ले जाने पर रोक) आदेश १९५९।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० १३७३/५९]

(२) दिनांक १४ अप्रैल, १९५९ की अधिसूचना संख्या ४५० में प्रकाशित मध्य प्रदेश खाद्यान्न (सीमा पर लाने ले जाने पर रोक) आदेश, १९५९।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० १३७४/५९]

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : श्रीमान, मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि लोक-सभा द्वारा १२ फरवरी, १९५९ को पारित भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९५९ को राज्य-सभा ने अपनी २१ अप्रैल, १९५९ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुझे राज्य सभा के सचिव से एक और संदेश भी प्राप्त हुआ है जिसके साथ उन्होंने राज्य सभा द्वारा २० अप्रैल, १९५९ को अपनी बैठक में पारित किये गये जनगणना (संशोधन) विधेयक, १९५९ की एक प्रति संलग्न की है।

जनगणना (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया

†**सचिव** : श्रीमान, मैं जनगणना (संशोधन) विधेयक को राज्य सभा द्वारा पारित किये किये गये रूप में, सभा-पटल पर रखता हूं।

भारतीय प्रकाश स्तम्भ (संशोधन) विधेयक

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय प्रकाश-स्तम्भ अधिनियम, १९२७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह एक बहुत ही सादा और विवादहीन विधेयक है। यह अधिनियम प्रारम्भ में १९२७ में पारित हुआ था और तब से इसमें दो बार संशोधन किये जा चुके हैं। पहिली बार यह संशोधन १९५३ में किया गया था और दूसरी बार १९५५ में। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान किराये की दरों में वृद्धि करना है क्योंकि इनकी देखभाल करने में किया जाने वाला व्यय तथा नौवहन सहायता में वृद्धि हो गई है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में किये जाने वाले कार्यों पर काफी व्यय होगा। हमारा अनुमान था कि इस पर कुल ८ करोड़ रुपये व्यय होंगे किन्तु वर्तमान अनुमान के अनुसार यह व्यय बढ़कर १०,२०,००,००० रुपये हो गया है। अतः वर्तमान किराये की दरों में वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ गई है। यह प्रस्ताव है कि वर्तमान दर जो कि २५ नये पैसे है उसे बढ़ा कर ५० नये पैसे तक कर दिया जाये। ऐसा विचार है कि पहले वर्ष में इसे बढ़ा कर ३७ नये पैसे किया जाये और अगले वर्ष में इसे बढ़ाकर ५० नये पैसे कर दिया जाये। आजकल इससे ४८ लाख रुपये प्रति वर्ष की आय होती है। किन्तु व्यय करने के पश्चात शेष राशि विकास कार्यों के लिये काफी नहीं है। ५० नये पैसे कर देने से ४४ लाख रुपये की और आय होने लगेगी। इसमें से लगभग ९० प्रतिशत आय विदेशी विनियम के रूप में हैं क्योंकि यह राशि विदेशों के जहाजों द्वारा दी जाती है। हमें विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ती है और इस प्रकार वे हमें मिल जाते हैं। अपनी योजना की पूर्ति के लिये हमें ५२० लाख रुपये की आवश्यकता है अतः यह विचार है कि इसकी दरों में वृद्धि की जाये।

विदेशों की तुलना में भी यह दर बिलकुल ठीक है। इंगलैंड में ६९ नये पैसे प्रतिटन लिये जाते हैं जबकि हमारा विचार केवल ५० नये पैसे लेने का है। अतः यह सादा और विवादहीन विधेयक है और यह द्वितीय तथा तृतीय योजना को पूरा करने में सहायता करता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै): मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और समझता हूं कि वर्तमान दरों को २५ नये पैसे से बढ़ाकर ५० नये पैसे करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अनुदानों की मांगों की चर्चा के समय बताया गया था कि दो नये प्रकाश स्तम्भों की स्थापना की गई है तथा तीन वर्तमान प्रकाश स्तम्भों में सुधार किया गया है। प्रश्नोत्तर के समय कलकत्ता में एक वर्कशाप खोलने का भी उल्लेख किया गया है। भारत इलेक्ट्रोनिक्स भी अपना कार्य प्रारम्भ करने लगेगा इस प्रकार हम इन चीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जायेंगे। इन सब बातों को देखने से प्रकट होता है कि इस क्षेत्र में हमने काफी प्रगति की है।

किन्तु इस अधिनियम की कुछ और धाराओं में भी संशोधन की आवश्यकता है। कुछ माननीय सदस्यों ने धारा २१ में संशोधन करने के लिये कहा है। इस धारा का उद्देश्य प्रकाश स्तम्भ के मुख्य निरीक्षक, सुपरिन्टेन्डेंट, तथा निरीक्षक आदि के अधिकारों की व्यवस्था के बारे में नियम बनाना है। इसमें इस संशोधन की आवश्यकता है कि तत्सम्बन्धी नियमों को बनाने के पश्चात ३० दिन के भीतर सभा पटल पर रखा जाये।

वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम को दृष्टिगत रखते हुए इस बात की भी आवश्यकता है कि इस अधिनियम की धारा ४ के अधीन बनी हुई परामर्शदात्री समिति के गठन क बारे में श्री सदन का विश्वास प्राप्त किया जाये।

अतः वाणिज्यिक नौवहन विधेयक को दृष्टिगत रखते हुए मैं इस विधेयक का विरोध नहीं करता और प्रक्रियाविशेष के अधीन जो न्यूनाधिक रूप में सभा ने स्वीकार करली है इसमें कुछ और संशोधनों की आवश्यकता है और आवश्यकता इस बात की थी कि कुछ और व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाता।

अन्त में मैं यह निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार दर बढ़ाने से जो ४८ लाख रुपये की वृद्धि होगी उसको किस प्रकार व्यय किया जायेगा इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी अपने विचार प्रकट करें।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी): अध्यक्ष महोदय, एस्टीमेट कमेटी ने मार्च सन् १९५९ में जो अपनी रिपोर्ट उपस्थित की है उसमें लाइट हाउसेज के सम्बन्ध में काफी डील किया गया है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो जनता के ऊपर चार आना से आठ आना किया जा रहा है यह शिपिंग के ऊपर बड़ा भारी बोझ है। शिपिंग कम्पनीज अपने पास से तो यह चार आना देंगी नहीं। बल्कि वह फ्रेट पर यह चार आना और बढ़ा देंगी। आज कोस्टल शिपिंग की अवस्था अच्छी नहीं है। जब यह चार आना से आठ आना हो जायेगा तो कोस्टल शिपिंग वाले फ्रेट बढ़ा देंगे। मैं समझता हूं कि इससे कोस्टल शिपिंग को कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी बल्कि व्यवधान ही होगा। इसकी जरूरत क्यों मालूम हुई? जरूरत शायद इसलिए महसूस हुई कि फर्स्ट फाइव इअर प्लान में इसके वास्ते सात करोड़ रुपये के करीब एस्टीमेट था। यह रुपया लाइट हाउसेज को ठीक करने के वास्ते जरूरी समझा गया था। फिर स्टडी करने के बाद एक स्कीम यह आयी कि अगर दस करोड़ बीस लाख

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुनाथ सिंह]

रुपया हो तो हिन्दुस्तान के लाइट हाउसेज का विकास हो सकता है। लेकिन पहली प्लान में कुल ४६ लाख रुपया खर्च किया गया जब कि एस्टीमेट था १० करोड़ बीस लाख। सैकिंड फाइव इग्नर प्लान में चार करोड़ रुपये की स्कीम लायी गयी और फिर अन्त में यह कहा गया कि अगर तीन करोड़ २३ लाख रुपया खर्च किया जाये तो इसका विकास हो सकता है। बाद में यह एस्टीमेट रखा गया कि अगर २ करोड़ रुपया हो तो फिलहाल काम चल सकता है। इस दो करोड़ रुपये में करीब-करीब ९९ लाख फारिन एक्सचेंज की आवश्यकता है। अगर ९९ लाख का फारिन एक्सचेंज हमारे पास इस काम के लिए हो तो हमारे लाइट हाउसेज का थोड़ा बहुत काम चल सकता है, उनका थोड़ा बहुत विकास हो सकता है।

इस सम्बन्ध में हमें यह कहना है कि जैसे-जैसे श्री पाटिल साहब के महान प्रयास से हमारा शिपिंग बढ़ रहा है वैसे-वैसे हमारे लाइट हाउसेज का भी महत्व बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि आठ दस बरस के बाद हिन्दुस्तान भी इस संसार की मैरीटाइम नेशन्स में से एक हो जायेगा। तो जब हमारे शिपिंग का विकास हो रहा है तो हमारे लाइट हाउसेज का भी विकास होना चाहिए।

हिन्दुस्तान में जो लाइट हाउसेज हैं उनके चार क्षेत्र हैं। सौराष्ट्र, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। इन चारों क्षेत्रों में सेल्फ सफीशेंसी होनी चाहिए अर्थात् इन चारों क्षेत्रों में अलग-अलग मेनटिनेन्स और रिपेयर के लिए वर्कशाप होने चाहिए। अंडमान के बारे में एस्टीमेट कमेटी ने यह सिफारिश की है कि अंडमान में लाइट हाउस के मेनटिनेन्स के लिए और रिपेयर के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है, इसलिए उसको कलकत्ता के अंडर हो जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि ट्रांस्पोर्ट मिनिस्ट्री को इसमें कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए कि अंडमान के लाइट हाउस को कलकत्ता के अंडर दे दिया जाये। अगर ऐसा किया जाये तो उसका उचित रूप से विकास हो सकता है।

इन शब्दों के साथ जो यह बिल आया है इसका मैं समर्थन करता हूं।

एस्टीमेट कमेटी ने एक बात और कही है परसोनेल के बारे में। इसके बारे में एस्टीमेट कमेटी ने बहुत ज्यादा जोर दिया है कि आफिसर्स की ट्रेनिंग और लाइट हाउसेज की रिपेयर्स का काफी इन्तिजाम होना चाहिए। आफिसर्स की ट्रेनिंग हिन्दुस्तान में की जाये और उनको ट्रेनिंग के लिए बाहर भी भेजा जाये ताकि हमारे पास अच्छा परसोनेल हो सके।

अन्त में हमें यह कहना है कि आज एक सवाल के उत्तर में श्री राज बहादुर ने कहा था कि करीब-करीब १६ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं कि जिनका लाइट हाउसेज के वास्ते बाहर से इन्तिजाम करना पड़ेगा। इसके बाद जब यह सवाल किया गया कि इसमें कितना फारिन एक्सचेंज लगेगा तो उसका जवाब प्राप्त नहीं हो सका। लेकिन जहां तक हो सके हमें अपने लाइट हाउसेज का इक्विपमेंट अपने देश के भीतर ही बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। अब इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना उचित नहीं है। इस वास्ते मेरी यह प्रार्थना है कि एस्टीमेट कमेटी के इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए इसका विकास किया जायेगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। साथ ही माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि मंत्रालय द्वारा जो कारखाने खोलने अथवा अनुसंधान

†मूल अंग्रेजी में

करने का विचार है उसे शीघ्र ही हाथ में लिया जाय। भारत निर्मित इलेक्ट्रिक फलैश तथा बिजली के नये संसाधनों की अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने जो कि हेग में हुआ था बड़ी प्रशंसा की है। ये चीजें आवश्यक भी हैं और इन्हीं के लिये माननीय मंत्री ने ये दरें बढ़ाने के लिये विधेयक प्रस्तुत किया है? संविधान के अनुसार भी सभी प्रकाश स्तम्भों को केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के अधीन लाना चाहिये और इसके लिये काफी धन की आवश्यकता होगी। अतः इन सब बातों को दृष्टिगत रखकर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

†**श्री स० का० पाटिल :** जहां तक कि श्री रघुनाथ सिंह की आपत्ति है हम प्रकाश की दर ४ आने से बढ़ाकर ८ आने कर रहे हैं और तटीय नौवहन विभिन्न प्रकार क नौवहन के अन्तर्गत आता है अतः उसके बारे में विचार किया जायेगा।

श्री तंगामणि की आपत्ति के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि पहले वर्ष में ६ आने करने से १९.८ लाख रुपये की आय होगी और दूसरे वर्ष में ८ आने हो जाने से यह राशि ३९.६ लाख रुपये हो जायेगी। इस प्रकार कुल राशि ५८.४ लाख रुपये हो जायेगी। जब हम अन्य खंडों का संशोधन करेंगे तो माननीय सदस्यों के अन्य सुझावों के बारे में भी विचार किया जायेगा। शीघ्र ही एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। अतः ऐसी दशा में हमें अन्य बातों पर आग्रह नहीं करना चाहिये।

श्री आचार ने पूछा है कि क्या यह राशि केवल प्रकाश स्तम्भों पर ही व्यय की जायेगी। निश्चय ही यह राशि इसके लिये व्यय की जायगी। जब हम किसी प्रयोजन विशेष के लिये कोई धन एकत्रित करते हैं तो उस राशि को केवल उसी के लिये व्यय करने का हमें अधिकार है। फिर यह राशि तो इस प्रयोजन के लिये पूरी नहीं है। अतः यह राशि एकदम अलग रख दी जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रकाश स्तम्भ अधिनियम, १९२७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है:

"कि खंड २ सिधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री ओझा और श्री ब्रज राज सिंह ने नियमों को सभा पटल पर रखने के बारे में एक नये खंड के लिये संशोधन दिया है। अब तक हम इस प्रक्रिया का पालन करते रहे हैं कि किसी अधिनियम के अधीन बनाये जाने वाले सभी नियम सभा-पटल पर रखे जायें जिससे कि सभा उनके बारे में विचार कर सके और यदि आवश्यकता समझे तो उनमें संशोधन भी कर सके। किन्तु यह संशोधन विधेयक केवल एक मद तक ही सीमित है और नियमों की बात इसमें नहीं आती और न यह खंड नियम बनाने के अधिकारों का उल्लेख ही करता है।

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

यह तो केवल एक अधिसूचना मात्र है। अतः इसके साथ यह बात लागू नहीं होती। इसके अलावा दोनों सदस्य अनुपस्थित भी हैं।

†**श्री स० का० पाटिल :** सरकार की ओर से मैं यह वचन दे चुका हूं कि जब हम एक और संशोधन विधेयक लायेंगे तब इसको शामिल कर लेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री स० का० पाटिल :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

शस्त्र विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि शस्त्र तथा गोलाबारूद सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें ३० सदस्य, अर्थात् श्री बर्मन, श्री नि० सू० मूर्त्ति, श्रीमती मंजुला देवी, श्री विभूति मिश्र, श्री मुहम्मद ताहिर, डा० गो० बा० खेडकर, श्री छ० म० केदरिया, श्री अब्दुल सलाम, श्री रा० सी० अरुमुगम्, श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री आचार, श्री मणियंगाडन, श्री भक्त दर्शन, श्री पहाड़िया, श्री रघुवीर सहाय, श्री अन्सार हरवानी, श्री राजय्या, श्री बांगशी ठाकुर, श्री राधाचरण शर्मा, श्री स० चं० सामन्त, श्री रणबीर सिंह, चौधरी, श्री ही० ना० मुकर्जी, श्री वारियर, श्री मोहन स्वरूप, श्री श० च० गोडसोरा, श्री फतेह सिंह घोडासर, श्री ड० च० पटनायक, श्री वाजपेयी, श्री दिगे, श्री दातार, इस सभा के हों और १५ सदस्य राज्य सभा के हों;

कि समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभाको आगामी सत्र के पहले दिन तक अपना प्रतिवेदन देगी;

---

†मूल अंग्रेजी में

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा को प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों तथा रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य–सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य–सभा अपने द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम लोक सभा को बताये।"

मुझे इस विधेयक को प्रस्तुत करने में बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात से बराबर यह इच्छा प्रकट की जा रही थी कि १८७८ के पुराने अधिनियम को बदलकर उसे वर्तमान स्थितियों के अनुकूल बनाया जाे। सन् १९५३ में पहली संसद में भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी जबकि श्री उमाचरण ने यह विधेयक प्रस्तुत किया था। तत्कालीन गृह-कार्य मंत्री डा० काटजू ने उस समय यह आश्वासन दिया था कि सम्पूर्ण प्रश्न पर अच्छी तरह विचार किया जायेगा और राज्य सरकारों तथा जनता से यदि उनकी राय प्राप्त हुई तो उन पर विचार करते हुए तत्सम्बन्धी सभी पहलुओं पर विचार करते हुए एक विधेयक सभा में प्रस्तुत किया जायेगा और इसी आश्वासन के आधार पर यह विधेयक प्रस्तुत है। हमारे सामने १८७८ का मूल अधिनियम है, और विदेशों के जैसे कि इंगलिस्तान, अमरीका, फ्रांस आदि के विभिन्न अधिनियमों के उपबन्ध भी हमारे सामने हैं। राज्य सरकारों से भी विभिन्न स्थितियों पर हमने परामर्श लिया है। १८७८ के अधिनियम में परिवर्तन करने की आवश्यकता को देखते हुए, राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात, यह वर्तमान विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इसमें बहुत से उपबन्ध ऐसे हैं जो उदार किस्म के हैं।

विभिन्न खंडों की मैं सविस्तार चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि यह विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा जाने वाला है और उस समिति के सदस्य इन उपबन्धों की सविस्तार चर्चा करेंगे तथा शस्त्र अधिनियम से सम्बन्धित सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करने के पश्चात वे उपयुक्त संशोधन करेंगे।

अंग्रेजों के समय में पहले १८६० का अधिनियम था। उन दिनों शस्त्रों तथा गोलाबारूद के प्रयोग पर अधिक से अधिक प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास किया गया था। इसके बाद १८७८ का अधिनियम संख्या ११ आया। इस अधिनियम को मूल अधिनियम कहा जाता है हालांकि इस वर्तमान अधिनियम में हम एक ऐसा खंड बना रहे हैं जो १८७८ के अधिनियम के सभी उपबन्धों को बदल देगा और उसके स्थान पर एक नया तथा समेकित अधिनियम बन जायगा। जिसपर यह सभा और बाद को सयुक्त समिति विचार करेगी। इस अधिनियम के उद्देश्य बताने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। १८७८ के अधिनियम के दो उद्देश्य थे। इस विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था की गई थी कि (१) शस्त्रों के आयात पर शुल्क लगाया जाये (२) आग्नेय अस्त्रों के रखने और उनको लेकर चलने पर प्रतिबन्ध (३) सभी प्रकार के शस्त्रों के रखने पर प्रतिबन्ध। किन्तु आप इस विधेयक में देखेंगे कि हमने उदारता से कार्य लिया है जिसके अनुसार केवल आग्नेय अस्त्रों के लिये सामान्य अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है। किन्तु पहले सभी प्रकार के शस्त्रों को रखने के लिये चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो प्रतिबन्ध था।

तत्कालीन ब्रिटिश शासकों ने इसका कारण यह बताया था कि ताकि सस्ते प्रकार के आग्नेय अस्त्रों के आयात पर अधिक नियंत्रण रह सके और दूसरे आग्नेय अस्त्रों के

[श्री दातार]

हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके तथा उन्हें विनियमित किया जा सके जिससे कि सीमान्त प्रदेशों के वर्बर कबाइलियों अथवा देश के अपराधिक मनोवृत्ति के व्यक्तियों के हाथ न लगें। यह अधिनियम बहुत दिनों तक लागू रहा और इस अधिनियम के पारित हो जाने के पश्चात् शस्त्र सम्बन्धी नियम भी बनाये गये।

ये नियम बहुत सी बातों के बारे में हैं जिनकी व्यवस्था सामान्यतः इस अधिनियम में होनी चाहिये। इसके अलावा भारतीय शस्त्र अधिनियम भी हैं जिनमें तत्कालीन विधान मंडल द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर सशोधन किये गये थे। इस समिति में सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्य थे। जिसने कुछ सिफारिशें की थीं उनमें से कुछ सिफारिशों को तो सरकार ने उसी समय मान लिया था इसी लिये शस्त्रनियमों १९२४ में संशोधन हो गया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से हमने इन नियमों में इतने परिवर्तन कर दिये हैं कि अब इस बात का अनुभव होने लगा है कि अच्छा हो कि सारे अधिनियम को ही संशोधित कर दिया जाय जिससे कि विधान के महत्वपूर्ण सिद्धान्त जिन पर कि यह अधिनियम आधारित है विधेयक के उपबन्धों में ही सम्मिलित कर दिये जायें। और यह फिर स्वाभाविक ही है कि नियम बनाने का अधिकार हम अपने हाथ में ले लें। वर्तमान प्रक्रिया के अनसार इन नियमों की प्रतियां दोनों सदनों में रख दी जायेंगी ताकि वे उन पर विचार कर सकें।

यही इसकी पृष्ठभमि है। सन् १९५३ में श्री पटनायक ने विधयक प्रस्तुत करते समय इच्छा प्रकट की थी कि प्रतिबन्धों को कम कर दिया जाय जिससे कि हमारे यहां का शस्त्र अधिनियम भी अन्य देशों के अधिनियमों के समान हो जाये। माननीय सदस्य देखेंगे कि इस पर विचार किया गया है और इसके बारे में बहुत से सुधार किये गये हैं और उनकी व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। और इन सुधारों का आधार वही है जो कि उन विदेशों का है जिनका कि उल्लेख मैं कर चुका हूं।

उसका दूसरा उद्देश्य यह था कि कुछ नागरिकों को हथियार रखने तथा नियमों में कुछ उदारता से कार्य लिया जाये। उनका मन्तव्य यह था कि संसद् सदस्य अथवा विधान सभा के सदस्य अपनी सुरक्षा के लिये विना किसी अनुज्ञप्ति के शस्त्र रख सकें।

९ अप्रैल १९५४ को जब विधेयक विचारार्थ लाया गया तो सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि सरकार स्वंय इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करेगी। अतः यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि सरकार के पास बहुत से सुझाव आये हैं। भारत की नेशनल राइफल एसोसियेशन ने तो वस्तुतः एक विधेयक तैयार किया है। उन्होंने न केवल विधेयक ही भेजा है अपितु अपनी राय भी भेजी है। उनकी राय तथा अन्य देशों की विधियों के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक तैयार किया गया है।

जहां तक कि इस विधेयक के मुख्य उपबन्धों का सम्बन्ध है हमने उन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखा है जिनका उल्लेख श्री पटनायक ने किया था। अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में जितनी उदारता से काम लिया जा सकता था उसकी व्यवस्था हमने इस विधेयक में की है।

साथ ही हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि एक ओर राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहे, विधि और व्यवस्था का भी पालन हो और तीसरे हथियार समाज विरोधी लोगों के हाथमें न जाये। अतः इन बातों को दृष्टि में रखते हुए उदारता की नीति का अनुसरण करते समय कुछ प्रतिबन्धों को रखना भी आवश्यक होगा।

उन दिनों की विधि के अनुसार सभी प्रकार के हथियार रखने के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिये एक समान नियम था। इस सम्बन्ध में हमने इतनी उदारता से कार्य किया है कि केवल आग्नेय शस्त्रों के लिये अनुज्ञप्ति लेने की आवश्यकता है। प्रत्येक प्रार्थी को जोकि आग्नेय शस्त्र रखना चाहता है अनुज्ञप्ति लेनी होगी। गैर आग्नेय शस्त्रों के लिये किसी भी प्रकार की अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु इनके बारे में कुछ अवसरों पर अथवा कुछ क्षेत्रों में इस बात की आवश्यकता पड़ जाती है जहां कि कुछ नियन्त्रण हो जैसे कि आपत्तिकालीन स्थिति में अथवा ऐसे खतरनाक अवसरों पर जहां कि इन हथियारों का दुरुपयोग हो सकता है अथवा भारत के शांतिपूर्ण नागरिकों को इनसे खतरा हो सकता है। अतः सामान्य नीति यह बनाई गई है कि केवल आग्नेय शस्त्रों के बारे में अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होगी किन्तु आपत्तिकालीन अथवा ऐसे स्थानों पर जहां कि सामान्य स्थिति नहीं हैं सभी प्रकार के हथियारों के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। अतः यह एक अच्छा उपबन्ध है।

एक दूसरा पग यह उठाया गया है जहाँ अनुज्ञप्ति देने की बात है वहां ये अनुज्ञप्तियां मुक्तहस्त से दी जायेंगी। जहां तक कि हमने एक किसान की व्यक्तिगत सुरक्षा को ही नहीं अपितु उसकी फसल की सुरक्षा को दृष्टि [illegible]ते हुऐ भी उसे अनुज्ञप्ति देने की व्यवस्था की है।

इसी प्रकार क्लब आदि को भी अनुज्ञप्ति देने की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप देखते होंगे कि भारत के बहुत से भागों में राइफल क्लब चालू हो गये हैं। हम उन्हें मान्यता भी देगें। इस प्रकार के क्लबों की सख्या भी बराबर बढ़ रही है। इस प्रकार के क्लब अथवा संघों के सदस्यों को भी कुछ प्रकार के हथियार रखने के लिये अनुज्ञप्तियां दी जायेंगी। और इसकी व्यवस्था इस विधेयक में की गई है।

रिवाल्वर तथा राइफल के बारे में हालांकि काफी सावधानी की आवश्यकता है किन्तु फिर भी अनुज्ञप्ति देने वाले अधिकारी को तो और भी अधिक स्वेच्छा से काम लेने का अवसर दिया गया है। जहां अधिक सावधानी से काम लेने की आवश्यकता है केवल उन मामलों को छोड़ कर शेष मामलों में अनुज्ञप्तियां दी जा सकेंगी और इसकी व्यवस्था भी इस विधेयक में की गई है।

मूल अधिनियम तथा नियमों के अनुसार पहले केवल उन्हीं व्यक्तियों को अनुज्ञप्तियां दी जाती थीं जिनके पास कि सम्पत्ति होती थी। किन्तु जिन व्यक्तियों के पास सम्पत्ति नहीं होती थी किन्तु अन्य प्रकार से जो अनुज्ञप्ति पाने के अधिकारी होते थे उन्हें अनुज्ञप्ति नहीं दी जाती थी। किन्तु आजकल के युग में सम्पत्ति रखने की बात का कोई महत्व नहीं है अतः इस वर्तमान विधेयक में सम्पत्ति रखने की आवश्यक शर्त को हटा दिया गया है।

इस विधेयक में एक महत्वपूर्ण उपबन्ध यह भी किया गया है कि उन सभी मामलों में जहां कि अनुज्ञप्तियां मांगी गई हैं अथवा शस्त्र अधिनियम अथवा शस्त्र नियमों के अधीन कोई कार्यवाही की जाने वाली है तो ऐसे मामलों में उस व्यक्ति को अनुज्ञप्ति न देने का कारण बता कर ही आदेश दिये जाते हैं। अतः इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है जब किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति नहीं

[श्री दातार]

दी जाती तो केवल उन मामलों को ही छोड़ कर जिनमें जनहित की दृष्टि से कारण बताना उचित नहीं है अन्य सभी मामलों में उस अनुज्ञप्ति न देने का कारण बताया जाता है। ऐसे मामलों में अनुज्ञप्ति देने वाला अधिकारी उस प्रार्थी को सकारण उसका प्रार्थनापत्र लौटा देता है ताकि वह उच्चाधिकारी अथवा अपीलीय अधिकारी के पास जा सके। यह भी व्यवस्था की गई है उन सभी मामलों में जिन में कि अनुज्ञप्ति नहीं दी गई, अपील करने की छूट भी दी गई है। और बिना सुनवाई के उसकी अपील रद्द नहीं की जा सकती।

यह भी व्यवस्था की गई है शस्त्र के पुराने हो जाने अथवा काम न करने अथवा सेवा योग्य न रहने पर उसके लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि इसके बारे में कुछ कठिनाइयां आई उनकी मरम्मत कराने के समय अनुज्ञप्ति न होने के कारण उन्हें दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सका। अतः इस प्रकार की कठिनाई को दूर करने के लिये अब यह व्यवस्था की गई है कि अभिकर्ता अथवा कर्मचारी को अनुज्ञप्ति धारी की उपस्थिति में अथवा उसकी अनुपस्थिति में उसकी लिखित आज्ञा के आधार पर ले जाया जा सकता है।

अनुज्ञप्ति की अवधि अब तक सामान्यतः एक वर्ष है किन्तु हमारा विचार है कि इसकी अवधि सामान्यतः तीन वर्ष होनी चाहिये किन्तु यदि अनुज्ञप्ति धारी थोड़े समय के लिये चाहे तो थोड़े दिन के लिये भी उसे अनुज्ञप्ति दी जा सकती है। इसके बाद अनुज्ञप्ति का पुनर्वीकरण भी तीन वर्ष के लिये ही होगा बशर्ते कि कोई विरोधी कारण न हो।

बन्दी बनाने अथवा इस प्रकार के हथियारों को उपयुक्त अनुज्ञप्ति न रखने के कारण पकड़ने अथवा प्राधिकारियों को उत्तेजित करने के लिये कोई कारण होने वाले मामल में कोई कार्यवाही करने के लिये एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जायेगी। इस के लिये इस विधेयक में उन्हीं उपबन्धों का समावेश किया गया है जो कि आपराधिक विधेयकों में ऐसे मामलों के लिये होते हैं।

यह भी व्यवस्था की गई है ठीक और सही मामलों में अनुज्ञप्ति देने के लिये पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिये जिससे कि अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। ऐसा प्रबन्ध करने के लिये इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि अधिकारियों पर कभी कभार प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। इस विधेयक के ये ही महत्वपूर्ण उपबन्ध हैं।

आग्नेय अस्त्र विशेष रूप से काफी खतरनाक हथियार हैं और इनका दुरुपयोग दूसरों के लिये तथा अनुज्ञप्तिधारी के लिये भी हो सकता है। अतः सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि जहां इनके लिये अनुज्ञप्ति देने में उदारता से काम लेने का निश्चय किया है वहां इस बात का भी ध्यान रखा है कि अमुक प्रकार के व्यक्तियों को इन के लिये अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी। इस प्रकार के व्यक्तियों की श्रेणी में अवयस्क, तथा छः महीने की सजा पाये हुये अपराधी आते हैं। उनको अनुज्ञप्तियां नहीं दी जायेंगी। अपराधियों के बारे में यह प्रतिबन्ध ५ वर्ष तक लागू रहेगा।

इसी प्रकार मशीनगन तथा अन्य बड़ी बन्दूकों के लिये भी अनुज्ञप्ति देने के लिये प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है क्योंकि इनका दुरुपयोग किया जाता है और फिर इनका पहिचानना कठिन हो जाता है कि ये हथियार किसके हैं अतः यह व्यवस्था की गई है कि इस प्रकार के सभी आग्नेय अस्त्रों पर उपयुक्त निशान होने चाहिये।

हथियारों के बनाने तथा उनके आवागमन पर नियंत्रण रखने के लिये राज्यों को अधिकार दिये गये हैं। यह बहुत ही आवश्यक है। ऐसे मामलों में पकड़े जाने पर भारी दंड देने चाहिये।

साथ ही इस बात का भी मैं उल्लेख कर देना चाहता हूं कि शस्त्र अधिनियम के अधीन जब किसी व्यक्ति पर दुबारा अभियोग चलाया जाता है तो दण्ड की मात्रा काफी भारी होनी चाहिये। इसीलिये दुबारा अपराध करने वाले व्यक्ति को भारी दंड दिया जाना चाहिये। इस प्रकार की व्यवस्था अन्य अधिनियमों में भी की गई है अतः इस विधेयक में भी हमने यह व्यवस्था की है।

अब एक प्रश्न यह उठता है कि क्या कुछ व्यक्तियों को इससे मुक्त रखा जा सकता है। आप देखते हैं कि इस विधि के अधीन अथवा अन्य संधि अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों के अधीन कुछ छूट दी जाती है। अतः हमने एक परन्तुक की व्यवस्था की है जिसके अधीन इस बात की जांच की जायेगी कि क्या इस प्रकार की छूट आवश्यक है। क्या इस प्रकार की छूट देना जनहित की दृष्टि से आवश्यक है अथवा नहीं इस दृष्टि से हमें विचार करना है।

इस बात का हमने सदैव ध्यान रखा है कि जनता को कोई कठिनाई न हो। कुछ कठिनाइयां तो ऐसी होती हैं जिनको दूर नहीं किया जा सकता। किन्तु फिर भी हमने कठिनाइयों को दूर करने का अधिक से अधिक प्रयत्न किया है क्योंकि प्रत्येक नागरिक चाहता है और वह इस बात का अधिकारी भी है कि वह अनुज्ञप्ति प्राप्त करे। इस बात को ध्यान में रखते हुये हमने कुछ सुधार किये हैं। बन्दी बनाने का यदि कोई मामला है तो बन्दी तो उसे बनाया ही जायेगा किन्तु तुरन्त ही नहीं और एक सामान्य प्रक्रिया के आधार पर नहीं बल्कि काफी छानबीन के पश्चात और बिलकुल आवश्यक हो जाने पर ही। इसी प्रकार हथियार पकड़े जाने पर भी एक अन्तिम आदेश जारी किया जाता है कि इन हथियारों का क्या किया जाये। अब तक प्रायः यह होता था कि सरकार उन हथियारों को अपने पास रख लेती थी किन्तु अब गैर-सरकारी व्यक्तियों से भी प्रार्थनापत्र मांगे जाते हैं। इस प्रकार सबको अवसर दिया जाता है। और आप देखेंगे कि अब इस प्रकार हथियारों की जब्ती नहीं होगी।

असुविधाओं को कम से कम करने के लिये भी व्यवस्था की गई है। ऐसे अपराधों के मामले में जो कि गम्भीर प्रवृत्ति के हैं उनके लिये इस विधेयक के खंड ३ में विशेष व्यवस्था की गई है। और ऐसे मामलों में जिलाधीश की पूर्व आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है। इससे यह लाभ हो जाता है कि यह पता चल जाता है कि क्या अमुक मामला ठीक है। अन्यथा कभी कभी ऐसा होता था कि व्यक्तियों को वैसे ही तंग किया जाता था अथवा उन्हें मुक्त होने तक व्यर्थ में ही कष्ट झेलने पड़ते थे। अतः यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे मामलों में जिलाधीश की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

इस विधेयक में कुछ नई बातें भी हैं। उदाहरणतः शस्त्र तथा गोला बारूद की हमने परिभाषा दी है। हमने उन चीजों को छोड़ दिया है जो हथियारों की श्रेणी में नहीं आते। कुछ अपराधों के लिये हमने अतिरिक्त दण्ड की व्यवस्था की है। हमने ऐसी भी व्यवस्था की है जिस के अनुसार समवायों के साथ भी इसी उपबन्ध के अधीन व्यवहार किया जा सकता है। यह उपबन्ध समवायों के संचालकों तथा उनके भागीदारों पर लागू होगा। यह व्यवस्था इसलिये की गई है कि कभी कभी समवायों को भी हथियारों का उपयोग करना पड़ता है किन्तु कभी कभी ठीक ढंग से उनका उपयोग नहीं होता। अतः यह आवश्यक समझा गया कि समवायों को भी इस विधि के क्षेत्र में लाया जाये। इस सम्बन्ध में सभा को यह विचार करना होगा कि इसके बारे में किस प्रकार कार्यवाही की जाये।

प्रायः भारत में सैलानी लोग आते हैं और वे अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करते हैं उनके लिये भी इस विधेयक में व्यवस्था की गई है।

[श्री दातार]

इस प्रकार आप देखेंगे कि प्रतिबन्ध कम से कम कर दिये गये हैं। सुरक्षा और विधि और व्यवस्था को बनाये रखने के लिये समुचित प्रबन्ध किया गया है क्योंकि हम मामूली चीज़ों के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं बल्कि उन हथियारों के बारे में विचार कर रहे हैं जो अधिकांशतः व्यक्तियों की मृत्यु अथवा उनको क्षति पहुंचाने के लिये उत्तरदायी हैं। इसलिये हमें कुछ प्रतिबन्ध तो जहां कि वे आवश्यक हैं रखने होंगे। किन्तु फिर भी अधिक से अधिक व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति देने की हमने व्यवस्था की है। प्रार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधाओं अथवा कष्टों से उन्हें बचाने के लिये भी व्यवस्था की गई है। ये ही मुख्य उपबन्ध हैं जिनकी इस विधेयक में व्यवस्था की गई है। इन सभी बातों पर संयुक्त समिति विचार करेगी।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व माननीय सदस्य के उस संशोधन का भी उल्लेख कर देना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि श्री उ० च० पटनायक के विधेयक को भी संयुक्त समिति को भेजा जाय। इस सम्बन्ध में स्थिति का स्पष्टीकरण मैं कर चुका हूं। यह तो संयुक्त समिति पर निर्भर करता है कि वह उनके विधेयक के उपबन्धों पर भी विचार करे। हमारी ओर से ऐसा कहना ठीक नहीं है इसका अभिप्राय तो यह होगा कि हम उस विधेयक के अन्तर्हित सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। अतः यह संयुक्त समिति पर ही निर्भर करता है कि वह उस पर विचार करे। लेकिन अधिकतर हमने उन सभी बातों का समावेश कर लिया है जो कि वे चाहते थे। अब तो संयुक्त समिति का ही कार्य रह जाता है। अतः ऐसी स्थिति में इस संशोधन की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस संशोधन को स्वीकार करने में कुछ विशेष कठिनाईयां है अतः मुझे विश्वास है कि मैंने जो बातें यहां कही हैं उनको देखते हुये इस संशोधन के बारे में आग्रह नहीं किया जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम): विधेयक में संलग्न उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कहा गया है इस विधेयक का उद्देश्य आग्नेय अस्त्रों के लिये अनुज्ञप्ति देने सम्बन्धी सरकारी नीति में उदारता दिखाने का है किन्तु इसके उपबन्धों को देखने से तो यह स्पष्ट नहीं होता क्योंकि इसमें एक के बाद एक इतने प्रतिबन्ध लगाये गये हैं कि अनुज्ञप्ति देने वाले पदाधिकारी पर ही यह छोड़ दिया गया है कि वह अनुज्ञप्ति दे अथवा उसके लिये इन्कार करे। अतः मैं तो यह कहूंगा कि भारतीय शस्त्र अधिनियम १८७८, के मुकाबले में इसमें कोई सुधार नहीं है। शस्त्रों तथा आग्नेय अस्त्रों की परिभाषा इतनी विस्तृत है कि अनुज्ञप्ति पदाधिकारी कह सकता है कि अमुक प्रकार के हथियार के लिये अनुज्ञप्ति नहीं दी जा सकती। यह उसकी स्वेच्छा पर ही छोड़ दिया गया है कि अमुक व्यक्ति को अनुज्ञप्ति देना जनहित की दृष्टि से उचित नहीं है।

एक उपबन्ध में अनुज्ञप्ति देने वाले पदाधिकारी के अधिकारों के बारे में कहा गया है कि अनुज्ञप्ति देना एक सामान्य बात है और उसके लिये इन्कार करना अपवाद होगा। किन्तु खंड १४ के उपबन्धों के अनुसार माननीय मंत्री का ऐसा कहना केवल भ्रांतिजनक है। क्योंकि इस खंड के अधीन अनुज्ञप्ति देने वाले पदाधिकारी को ऐसे अधिकार दिये गये हैं जिनके अनुसार वह किसी भी व्यक्ति को जनहित अथवा देश की सुरक्षा का बहाना करके अनुज्ञप्ति देने से इन्कार कर सकता है अतः सब कुछ उसकी स्वेच्छा पर ही निर्भर करता है।

मेरे विचार से तो अनुज्ञप्ति पदाधिकारी जब इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि एक व्यक्ति अनुज्ञप्ति देने के लिये उपयुक्त नहीं है तो उसे अनुज्ञप्ति न दे के आदेश देने से पूर्व उसे अपनी बात कहने के लिये अवसर देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

अतः मैं निवेदन करूंगा कि संयुक्त समिति इस विधेयक पर विचार करते समय अनुज्ञप्ति प्रदान करने सम्बन्धी प्रतिबन्धों को कम करने और विशेष रूप से खंड १४ के अन्तर्गत दिखाये गये प्रतिबन्धों को कम करने के सम्बन्ध में अवश्य ही विचार करेगी।

हालांकि माननीय मंत्री ने कहा है कि यह विधेयक अनुज्ञप्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में उदारतापूर्ण नीति अपनाने के लिये है किन्तु मेरे विचार से तो यह १८७८ के विधेयक से किसी भी दृष्टि से कम नहीं है यहां तक कि श्री उ० च० पटनायक ने जो विधेयक प्रस्तुत किया था उससे भी किसी रूप में यह नहीं मिलता। अतः मैं निवेदन करूंगा कि ग़ैर सरकारी सदस्य के विधेयक में जो उदारतापूर्ण उपबन्ध थे उन्हें सदन स्वीकार करेगा।

श्री ब्रज राज सिंह (फिरोज़ा बाद) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक हथियारों से संबंध में रखने वाले कानून का संबंध है, इसका सीधा असर देहातों में रहने वाली जनता पर पड़ता है और देहात की जनता को जो तकलीफ अब तक हथियारों के लाइसेंस लेने में रही है, उसको दूर किया जाना बहुत आवश्यक था। हिन्दुस्तान आज़ाद होने के बाद यह बहुत जरूरी था कि उसकी इस तकलीफ को दूर किया जाता और जब इस बिल के लाये जाने की चर्चा थी, तो आशा की जाती थी कि कुछ इस तरह की व्यवस्था इस में की जाएगी जिस से कि वह बीमारी और वह भ्रष्टाचार, जो कि अब तक हथियारों के लाइसेंस देने के संबंध में होता है, वह खत्म हो जाए। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो व्यवस्थायें इस कानून में की गई हैं, उन व्यवस्थाओं से हम उस भ्रष्टाचार को, जो कि आज हिन्दुस्तान में इसके बारे में व्याप्त है, सम्भवतः खत्म नहीं कर सकेंगे।

माननीय मंत्री महोदय की तरफ से यह कहा गया है कि लोगों को अधिक सुविधायें दी जा रही हैं, अधिक सुभीता रहेगा हथियारों के लाइसेंस लेने में। लेकिन इस कानून में इस तरह की व्यवस्था भी है कि जिस से जनता को बिना किसी तरह का कोई कारण बताये हुए सिर्फ इस बात पर कि कहीं पर शांति भग होन का अंदेशा है, हथियारों के लाइसेंस देने से रोका जा सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि अभी भी हमारे यहां कुछ ऐसा इलाका है, और वह बहुत बड़ा इलाका है, कि जिस में अक्सर डकैतियां पड़ती रहती हैं, जिस के बारे में कहा जाता है कि वह डकैतों का इलाका है और जहां पर जनता को लूट लिया जाता है। यह इलाका न केवल उत्तर प्रदेश में है बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी है, । इस इलाके में जो लोग रहते हैं, उन्हें हमेशा ही यह खतरा रहता है कि उनको पता नहीं कब डकैत लोग आ कर लूट ले जायें, या कब आ कर उनको मार डालें। अभी एक सप्ताह की बात ही हुई कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की वाह तहसील के एक गांव में ४० लोगों न जिन के पास गैर कानूनी हथियार ही कहना चाहिये, थे, लूट लिया और हत्यायें कर दीं। रोज़ मर्रा कहीं न कहीं इस तरह की घटनायें होती रहती हैं। चम्बल के आस पास का जो इलाका है, उस में भी इस तरह की घटनायें होती रहती हैं। इस वास्ते आवश्यकता इस बात की है कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षा का इंतिजाम होना चाहिये। एसे लोगों को लाइसेंस दिये जाने चाहियें जो इन इलाकों में रहते हैं। इस बिल के कानून बन जाने के बाद भी ऐसे लोगों को लाइसेंस दिये जायेंगे, इस में सन्देह हो है। जब भी कभी किसी को लाइसेंस देने की बात आएगी, तो सब से पहले लाइसेंस देने वालों के दिमाग में यह बात आएगी कि जिन को लाइसेंस दिये जा रहे हैं वे कहीं ऐसे व्यक्ति तो नहीं कि उनका सम्बन्ध किसी तरह से डकैतों से हो। या उन से किसी प्रकार से ये हथियार या ये एम्यूनिशन (गोला बारूद) डकैतों के पास चला जाए और इस तरह से वे लोग इसका दुरुपयोग करें। मैं स्पिरिट (भावना के रूप में) में कम से कम इस बात को मानता हूं कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये कि डकैतों के पास किसी तरह का एम्यूनिशन या हथियार न पहुंच जाय, लेकिन जो इतना बड़ा डिस्क्रशन (स्वयं विवेक) आप लाइसेंसिंग अथारिटी (अनुज्ञप्ति अधिकारी) को देते हैं, इस नाम पर कि शांति और व्यवस्था को कायम रक्खा जा सके, इस से इस बात का पूरा मौका हो सकता

[श्री ब्रजराज सिंह]

है कि लाइसेंस न दिया जाये। मेरा निवेदन यह है कि जब यह बिल अमल में आयगा तो जिस व्यक्ति के खिलाफ लाइसेंसिंग अथारिटी होगी, या जिस व्यक्ति के खिलाफ वह लोग होंगे जो कि रिपोर्ट करने वाले होंगे, खास तौर पर पुलिस के लोग, वह उस व्यक्ति को लाइसेंस देने से इनकार कर सकते हैं। खास तौर से इस लिये कि इस बिल के क्लाज (खण्ड) १४ के सबक्लाज उपखंड ३(२) में लिखा हुआ है कि यदि वह जन सुरक्षा के हित में ठीक समझे तो अनुज्ञप्ति देने से मना कर सकता है।

यह एक बहुत ही विस्तृत चीज है और जब भी लाइसेंसिंग अथारिटी चाहे ऐसा वैसा कारण दे कर कह सकती है कि फलां व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दिया जायेगा।

आशा यह की जाती थी कि कानून यह बनाया जायगा कि आजाद हिन्दुस्तान का आजाद नागरिक अपने पास हथियार को रख सकेगा और अपवाद सिर्फ यह होगा कि जो ऐन्टी सोशल एलिमेंट्स (असामाजिक लोग) हैं, जो इस तरह क लोग हैं जिन को हथियार नहीं दिया जाना चाहिये, और जिन की एक लिस्ट बनाई जायगी, उन को हथियार नहीं दिये जायेंगे। लेकिन इतने बडे इन्तजार के बाद भी हम देखते हैं कि आज भी छोटे छोटे अधिकारीरियों पर यह छोड़ दिया जायगा कि वे जिसे चाहें हथियार दिलायें और जिसे न चाहें उसे न दिलायें। आखिर लाइसेंसिंग अथारिटी क्या होती है ? वह इलाके के थानेदार से रिपोर्ट लेती है कि यहकिस तरह का आदमी है। इलाके का थानेदार रिपोर्ट कर देता है कि यह आदमी इस प्रकार का है जिस से कि शांति भंग होने का खतरा हो सकता है। और शांति भंग होने के खतरे के कारण लाइसेंस देने से इन्कार किया जा सकता है। जब शांति भंग होने के खतरे की परिभाषा नहीं दी गई है कि किस तरह शांति भंग होगी तो किसी भी आदमी के लिये, खास तौर से राजनीतिक आदमियों के लिये कहा जा सकता है कि उसको हथियार नहीं दिया जाना चाहिये। क्योंकि यह रोज जुलूस निकालता है, सत्याग्रह करता है, जो वक्त की सरकार है उसे परेशान करने की कोशिश करता है और उसके द्वारा शांति भंग होन का खतरा है। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्रियों के दिमागों में यह बात हो सकती है कि जो उन के राज नीतिक विरोधी हैं उन से शांति भंग होने का खतरा नहीं है लेकिन जो लोग इस कानून को अमल में लायेंगे, खास तौर से थाने के थानेदार, हाकिम परगना, जो कि लाइसेंसिंग अथारिटी होगी, या जिले के कलेक्टर, उन के दिमाग में यह बात स्पष्ट नहीं होती है कि राजनीतिक विरोधी क्या होता है। वे लोग यही सोचत हैं कि जो लोग सरकार के विरोधी हैं वही शांति भंग करने वाले हैं, और इन्हीं कारणों से बहुत से लोगों को लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे। सिर्फ शांति भंग होने के खतरे का बहाना लेकर लाइसेंसिंग अथारिटी लाइसेंस देने से इनकार कर सकती है। मैं निवेदन करूंगा कि हमेशा यही चीज अमल में आती रहेगी कि जो राजनीतिक विरोधी हैं उन्हें हथियार दिये जाने की जरूरत नहीं है। यह चीज मैं बिना किसी आधार के नहीं कह रहा हूं। अभी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बढी हुई सिंचाई दरों के खिलाफ एक आन्दोलन चला। इस आन्दोलन में हमारे कुछ आदमी जेल गये, और चूंकि वह उस आन्दोलन में जेल गये थे इसलिये हमारे एक साथी को जो पिस्तौल का लाइसेंस था उसे वहां के जिलाधीश ने इस कारण खारिज कर दिया कि उस ने जो वक्त की सरकार है उस के खिलाफ एजिटेशन (आन्दोलन) में हिस्सा लिया। हमें इस तरह की व्यवस्थायें नहीं करनी चाहियें। हम सरकार क सैद्धान्तिक विरोधी हो सकते हैं। सरकार के लोग सोच सकते हैं कि किसी एजिटेशन या सत्याग्रह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो विरोधी दल के लोग हैं वे यह सोच सकते हैं कि सरकार का यह दृष्टिकोण सही नहीं, है किसी एजिटशन में भी जनता की राय को बनाने के लिये यह आवश्यक है कि हमेशा शांतिपूर्ण सत्याग्रह होता रहे। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि इसमें सरकार का दष्टिकोण दूसरा हो सकता है, लेकिन चूंकि सरकार का दृष्टिकोण दूसरा है इसलिये जो अधिकारी होते

हैं, वे यह सोच सकते हैं कि अगर किसी ऐसे आदमी के पास लाइसेंस है जिस ने सत्याग्रह में हिस्सा लिया है, जो कि वक्त की सरकार के खिलाफ है, तो उस का लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिये। जो हमारा जनतंत्र आज कायम है उस में इस तरह की व्यवस्था कानून में नहीं होनी चाहिये। कोई जुलूस निकालता है, जुलूस के लिये जिलाधीश कहता है कि उससे शांति भंग होने का खतरा है, और चूंकि शांति भंग होने का खतरा है इस लिये उस तरह के व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिये, इस तरह की व्यवस्था करके आप कहत हैं कि इस कानून को लिब्रलाइज (उदार) किया जा रहा है, तो मैं कहूंगा कि यह तो हमारे जनतंत्र का बिल्कुल खात्मा हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि कि जो इस विधेयक का क्लाज १४ का सब क्लाज ३ (२) है जिस में कि शांति भंग होने के खतरे का उल्लेख है, उसे आप खास तौर से देखने की कोशिश करें। क्लाज १४ के सब क्लाज ३ (२) में यह दिया हुआ है।

अगर इस चीज को खतरा रखना आवश्यक समझा जाता है तो इस में बहुत ही ज्यादा चैक्स (शर्तें) लगाये जाने चाहियें। लाइसेंसिंग अथारिटी के हाथ में इस तरह के कोई अधिकार न हों जिन से कि चाहे जिस व्यक्ति को, चाहे वह राजनीतिक विरोधी हो या कोई और, इस नाम पर कि शांति भंग होने का खतरा हो सकता, उसे लाइसेंस न दिया जाय।

मैं इस को मानता हूं कि यह कह कर कि लाइसेंस देने के लिये प्रापर्टी (सम्पत्ति) कोई आधार नहीं होगी, एक अच्छी बात की गई है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। मैं कहूंगा कि आज राज्य सरकार या केन्द्र सरकार कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकती कि जिन के पास हथियार रहेगा उनके लिये कोई कानून बनाया जाय। हथियार कौन रखेगा इसके लिये कानून हम बनायें यह मुनासिब और अच्छी बात नहीं है। हमें इस तरह का कानून बनाना चाहिये कि कौन इस तरह के लोग हैं जो हथियार नहीं रख सकते। आप कह सकते हैं कि ऐंटी सोशल लोगों के लिये ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आज समाज विरोधी तत्वों की जो बात कही जाती है उस से भी बहुत ही भिन्न भिन्न माने लिये जाते हैं। सरकार के मंत्रियों के दिमाग में समाज विरोधी तत्वों के लिये कोई अलग माने हो सकते हैं लेकिन जो आदमी इस कानून पर अमल करते हैं उनके लिये समाज विरोधी तत्व वे लोग नहीं हो सकते जो की रिश्वत लेते हैं या जो हाकिम परगना की पक्षपात का काम करते हैं बल्कि राजनीतिक विरोधियों को ऐसा माना जाता है। आज राजनीतिक विरोधियों की डायरियां रखी जाती हैं, आज हमारे यहां पुलिस के लोग रहते हैं जो यही देखने का काम करते हैं कि विरोधी दल की एक्टिविटीज़ क्या हैं, वे उनको नोट करते हैं कि आज उन्होंने यह जुलूस निकाला, यह मीटिंग की, यह प्रदर्शन किया। तो जहां तक समाज विरोधी तत्वों का सवाल है, उसका दायरा बनाने की जरूरत है। जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, डकैती डालते हैं, चोरियां करते हैं, चोरी का सामान लेते हैं, चोरी करने में मदद करते हैं, इस तरह के लोगों को लाइसेंस न दिया जाय, यह मैं मान सकता हूं, क्योंकि आखिर हमारा उद्देश्य आज क्या है? हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि जो शान्तिपूर्वक तरीके से अपनी रक्षा करना चाहता है उसको हम अपनी रक्षा करने से रोकें। आज देहातों की बात को छोड़ दीजिये, शहरों में लोग आते हैं और दिन दहाड़े चोरियां करते हैं, आकर लूट ले जाते हैं। हमारे देश के पास आज पुलिस इतनी नहीं है जो कि हमारी रक्षा कर सके और पुलिस का पूरा इन्तजाम हो सके। वैसे मैं मानता हूं कि अधिक तादाद में हम पुलिस का इन्तजाम करते रहेंगे तो हमारा रुपया बहुत ज्यादा खर्च हो जायेगा, लेकिन अगर वह हम कर भी दें तो भी मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि जो भी पुलिस रहेगी वह हर एक व्यक्ति की रक्षा कर सकेगी। इसलिये कानून की तरफ से इस तरह के चैक्स न होने चाहियें कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा के मुताबिक अपनी सुरक्षा करना चाहे उस की सुरक्षा पर कोई रोक लगे। अगर हम इस तरह का कानून बना कर इस सुरक्षा पर रोक लगाते हैं तो यह ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि

[श्री बृजराज सिंह]

हमारा देश अहिंसा का देश है, न सिर्फ हमारे महात्मा गांधी जी ने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया बल्कि उनसे पहले महावीर और बुद्ध ने भी अहिंसा का पाठ पढ़ाया, ऐसी दशा में इस देश की जनता से क्या खतरा हो सकता है ? हां, जो समाज विरोधी तत्व हैं उन्हें रोकने के लिये आप प्रतिबन्ध लगाइये, उनके लिये कोई कानून आप लाइये । इस पर हमें सिद्धान्त रूप में विचार करने के लिये तैयार रहना चाहिये । क्या हम कोई ऐसा इन्तजाम कर सकें हैं जिसमें हम लोगों से कह सकें कि हम बिना हथिययर के रह सकते हैं ? यदि नहीं तो यह करना चाहिये कि यहां के लोग अपने पास हथियार रख सकें । ऐसी अवस्था आज नहीं है । यह एक ऐसी चीज है जिसे, मैं नहीं समझता, कि सरकार कभी स्वीकार करने के लिये तैयार होगी क्योंकि सरकार जो कुछ भी करती है तो पुलिस वालों से रिपोर्ट मांगती है और पुलिस वालों का दृष्टिकोण अभी बदला नहीं है । वे सोचते हैं कि अगर हर एक को लाइसेंस दे दिया जाता है तो हो सकता है कि उनके लिये बहुत ही मुश्किल हो जाय । लेकिन इस तरह का कोई खतरा नहीं है । फिर भी सिद्धान्त रूप से हमको इस पर विचार करना चाहिये ।

इसके अलावा आपने तीन साल का पीरियड रखा है । जहां तक तीन साल के पीरियड का सवाल है, मैं नहीं सोच पाता कि इस तीन साल की क्या ज़रूरत है । एक साल से तीन साल कर दिया गया, यह अच्छी बात है लेकिन तीन साल के बजाय, क्या यह नहीं हो सकता कि जब किसी को एक दफा लाइसेंस दे दिया जाता है, तो जब तक उसके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं आ जाती जिससे कि कानून की व्यवस्था की अवहेलना होती हो, तब तक उसे लाइसेंस को रिन्यू (नवीकरण) कराने की ज़रूरत न पड़े ? पहले साल में एक दफा लाइसेंस रिन्यू होता था, अब तीन साल में होगा । इसमें यह होता है कि जो लाइसेंस रिन्यू करने वाले अधिकारी होते हैं उनकी चांदी होती है । हर लाइसेंस को रिन्यू करने के लिये ५ रु० वे लेते हैं। आखिर इन तीन साल के पीरियड के बाहर हम क्यों नहीं जा सकते ? जब एक दफा लाइसेंस दे दिया जाता है तो जब तक उसके खिलाफ कोई ऐसी बात न पैदा हो जाय जिसकी वजह से लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिये, तब तक उस लाइसेंस को कायम क्यों न रखा जाये ? तो मैं कहूंगा कि तीन साल का लाइसेंस देने वाली जो बात है उस पर विचार किया जाना चाहिये ।

इसके साथ साथ नियम बनाने का सवाल आता है । उसमें हमारी राज्य सरकारें जो नियम बनाया करती हैं और उनके जो नियम होते हैं वह एक अजीब तरीके के नियम होते हैं । कभी कभी सरकार की तरफ से आदेश जारी करने होते हैं और हमारे देखने में यह आया है कि इसमें खास राजनीति चला करती है और लाइसेंस देते वक्त सम्बन्धित अधिकारी खाली यही नहीं देखते कि अमुक व्यक्ति कैसा है और वह लाइसेंस पाने के योग्य है अथवा नहीं बल्कि लाइसेंस देने में पार्टीबाजी और राजनीति चलती है । कहीं कहीं पर तो ऐसा भी देखा गया है कि जो पार्टी पदारूढ़ होती है जैसे कि कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी में जो एक मिनिस्ट्रियल पार्टी है जिसके कि मिनिस्टर्स लोग होते हैं और कांग्रेस के अन्दर भी एक विरोधी पार्टी होती है और विरोधी पार्टी वालों को लाइसेंस नहीं दिया जाता है और मिनिस्ट्रियल पार्टी के लोगों को लाइसेंस दे दिया जाता है । इस तरह की बात चलती है । इसलिये मैं चाहूंगा कि प्रवर समिति को इसके लिये कोई उचित व्यवस्था करनी चाहिये. इस तरह की बात सोचनी चाहिये जिससे कि राज्य सरकारें जो अलग अलग नियम बनाती हैं उसके सम्बन्ध में हम कोई ऐसी व्यवस्था कर सकें और कोई इस तरह के चैक्स लगा सकें जिससे कि यह चीज बन्द हो सके ।

मैं यह मानता हूं कि अब हथियारों के लाइसेंस देने में कोई प्रापरटी अथवा जायदाद का सवाल नहीं रह गया है और अब यह चीज नहीं रह गई है कि जायदाद के आधार पर किसी को

लाइसेंस दिया जायेगा तो उससे कुछ सुविधा मिलेगी। इसके बावजूद भी इस तरह की बात हो सकती है और और भी बातें हो सकती हैं जिनके लिये कहा जा सकता है कि इस बात की सावधानी बर्तनी आवश्यक है कि कहीं समाज विरोधी तत्वों को तो हथियार के लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं।

इसलिये मेरा कहना है कि जब सरकार का उद्देश्य आर्म्स एक्ट (शस्त्र अधिनियम) लाइसेंस सम्बन्धी नीति को लिब्रलाइज़ करना है, उसमें अधिक सुविधायें देना चाहते हैं और उस सम्बन्ध में एक उदार नीति बर्तना चाहते हैं तो सरकार को इस मौजदा कानून में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पड़ेंगे और मेरा निवेदन यह है कि उन परिवर्तनों की तरफ प्रवर समिति को ध्यान देना चाहिये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

इसके साथ साथ यह जो इसमें ६ महीने की कैद की सज़ा की व्यवस्था की गई है और हालांकि उसमें मौरेल टरपीच्यूड (नैतिक पतन) वाली बात कही गई है लेकिन यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि मौरेल टरपीच्यूड की जो इसमें बात कही गई है तो आज भी मुल्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ईमानदारी के साथ यह महसूस करते हैं कि मुल्क में जनतंत्र को सफल बनाने के लिये यह आवश्यक है कि जो भी अन्यायपूर्ण कानून हों उनका न सिर्फ सिद्धान्ततः विरोध किया जाय या सभायें कर के विरोध किया जाय बल्कि उन कानूनों का विरोध उनको तोड़ कर और सज़ा भुगत कर किया जाय। अब भी ऐसे लोग हैं जो यह महसूस करते हैं कि यदि इस तरह का कानून बनाकर हम ऐसे लोगों को जिनको कि इस बिना पर कि उन्होंने संसद या किसी विधान सभा द्वारा पारित कानून को जिसको कि वह अन्यायपूर्ण कानून समझते थे और उस अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ने के कारण जिनको कि सज़ा हो गई थी, उनको इस सज़ा हो जाने के कारण हथियारों का लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया जायेगा। हमें यह देखना होगा कि कहीं कानून के वर्तमान रूप में रहने से इस तरह की बात न हो जाय कि ऐसे लोगों को लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया जाये। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस पर भी प्रवर समिति ध्यान दे और ऐसी व्यवस्था करे ताकि इस तरह की कोई दिक्कत दरपेश न आये।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद है कि हमारी लोक-सभा के माननीय अध्यक्ष ने अभी कुछ दिन पहले अपना यह विचार प्रकट किया था कि संसद् भी अगर कोई कानून बनाती है और उसके लिये कोई नागरिक यह महसूस करता है अथवा नागरिकों का कोई वर्ग यह महसूस करता है कि वह कानून अन्यायपूर्ण है, और यदि उनकी निगाह में वह कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण है तो उस कानून को तोड़ने का उन्हें अधिकार है। मैं यहां पर अध्यक्ष महोदय का उदाहरण देकर उसके महत्व को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन मैं यह बात अवश्य कहना चाहता हूं कि न सिर्फ अध्यक्ष महोदय बल्कि हिन्दुस्तान के बहुत से नागरिक यह महसूस करते हैं कि जनतंत्र को सफल बनाने के लिये जन-तंत्र में हमेशा स्वतंत्रतापूर्वक और बिना किसी डर के हर एक को अपना विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिये। इस तरह की बात जब तक नहीं सोची जायेगी तब तक हो सकता है कि जनतंत्र केवल एक पार्टी गवर्नमेंट अथवा एक खास चुने हुये गुट का ही हास्यास्पद प्रजातंत्र बन कर रह जाये।

इसलिये मेरा निवेदन है कि हम इसमें इस तरह की व्यवस्था करें जिससे कानून में यह चैक (रोक) न रहे कि जो आदमी स्वेच्छा से हथियार रखना चाहता है उसको हथियार न रखने दिया जाय। इसके साथ ही यह भी देखा जाय कि आज जो हथियारों के लाइसेंस देने में राजनीति पार्टी-बन्दी और भ्रष्टाचार चल रहा है और जो पक्षपातपूर्ण रवैया बर्ता जाता है कि जिस आदमी को भी

[श्री ब्रजराज सिंह]

लाइसेंस अथारिटी चाहे, वह कलैक्टर हो अथवा हाकिम परगना, उस आदमी को तो वह हथियारों का लाइसेंस दे देते हैं और दूसरों को नहीं दिया जाता है, यह चीज बन्द हो जाय। लाइसेंसिंग अथारिटी यह एक्सक्यूज़ (बहाना) लेकर और यह नियम बना कर कि तुम्हारे पास यह नहीं है और तुम्हारे पास वह नहीं है और या यह कि चूंकि तुमने श्रमदान नहीं किया है इसलिये तुम्हें लाइसेंस नहीं दिया जा सकता, मेरा कहना है कि यह दृष्टिकोण लाइसेंस देने के लिये अपनाना सर्वथा अनुचित है। अब जहां तक श्रमदान का सम्बन्ध है वह एक अच्छी और स्वागत योग्य चीज है लेकिन हथियारों के लिये लाइसेंस देने में श्रमदान की बात करना, यह तो श्रमदान का मज़ाक बनाना है। मैं तो यह कहूंगा कि लाइसेंस देते समय श्रमदान की शर्त लगाना यह तो उसी पुरानी परम्परा को जारी रखने वाली बात हो गई जब कि यही हमारे पुराने सरकारी अधिकारीगण लड़ाई के लिये चंदा देने पर ज़ोर दिया करते थे और चन्दा देने के लिये लोगों को मजबूर किया करते थे और जो लड़ाई में चन्दा दिया करते थे उनको हथियारों का लाइसेंस दिया जाता था और आज हमारे अधिकारियों ने लड़ाई के चन्दे के स्थान पर इस श्रमदान को लाकर रख दिया है और वह कहते हैं कि यदि तुम श्रमदान करोगे तो तुम्हें लाइसेंस दे दिया जायेगा ....

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : कैश सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (बचत प्रमाणपत्र) खरीदने के लिये कहते हैं।

श्री ब्रजराज सिंह : जी हां, यह कहा जाता है कि कैश सेविंग्स सार्टिफिकट्स् खरीदोगे तो हथियारों का लाइसेंस दिया जायगा। लेकिन मेरा इस सम्बन्ध में कहना यह है कि अच्छा काम और उद्देश्य अच्छे आदमियों द्वारा ही पूरा हो सकता है और उस काम को उन्हीं पुराने नौकरशाही के लोगों कलैक्टर्स और हाकिम परगना से करवाना उचित नहीं है और आज जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस में अक्सर उनके द्वारा झूठे सार्टिफिकेटस दे दिये जाते हैं कि अमुक अमुक ने श्रमदान किया है अथवा इतनी समाज सेवा की है, हालांकि वे कभी समाजसेवा और श्रमदान के निकट भटकते तक भी नहीं हैं, लेकिन थानेदार आदि को रिश्वत आदि देकर इस तरह झूठ लिखवा लिया जाता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस तरह का कोई प्रतिबध नहीं रहना चाहिये जिस में कि ऐसे लोगों को जो ग़लत काम कर सकते हैं उन को इस तरह के ग़लत तरीकों से इस तरह की झूठी रिपोर्टों के देने की बात हो, क्योंकि ऐसा होने से अच्छे कामों की बदनामी ही होती है। मेरा निवेदन है कि प्रवर समिति इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेगी और विशेष कर उन लोगों को जो कि उसके सामने गवाही देना चाहते हैं उनको गवाही देने का मौका देगी और उनका मैमोरेंडम (ज्ञापन) लेगी ताकि इस कानून पर अच्छे तरीके से विचार हो सके और उस के बाद प्रवर समिति द्वारा सदन में रिपोर्ट पेश की जाये और सदन को पुनः उस पर विस्तार पूर्वक विचार प्रकट करने का अवसर मिले। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में कोई इस तरह का कानूनी प्रतिबन्ध न रहे कि वे हथियार नहीं रख सकेंगे। अलबत्ता प्रतिबन्ध उन लोगों पर रहे जो कि समाज विरोधी तत्व होते हैं और जिनसे कि देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति इन सब चीजों को ध्यान में रख कर इस पर विचार करेगी।

†**श्री बी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं तो समझता हूं कि सरकार को यह विधेयक इस वर्ष नहीं, बल्कि १९९८ में पेश करना चाहिये था।

इसलिये कि भारत सरकार, राज्य सरकारों और देश की जनता को औपनिवेशिक काल में विदेशी शासकों द्वारा इस देश पर थोपे गये शस्त्र अधिनियम का जो अनुभव प्राप्त करना चाहिये

†मूल अंग्रेजी में

था, उसकी कोई भी झलक इस विधेयक में नहीं है। इस विधेयक को एक विभागीय दृष्टिकोण से ही तैयार किया गया है, स्वतंत्र देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के दृष्टिकोण से नहीं।

इस विधेयक का उद्देश्य शस्त्रों और गोला-बारूद पर नियंत्रण करना बताया गया है। लेकिन हमारा देश तो अभी साधारण शस्त्रों के मामले में भी आत्म-निर्भर नहीं है। हमें गोला बारूद के लिये दूसरे देशों का मुंह ताकना पड़ता है। इन दोनों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में हमें ५–१० साल और लग जायेंगे। फिर अभी से उनके नियंत्रण की बातें करना समझ में नहीं आता। इसलिये यह विधेयक यथार्थ से मेल नहीं खाता।

विधेयक के खण्ड २ से यह स्पष्ट है। वह खण्ड तो ऐसा लगता है जैसे सोवियत यूनियन, अमरीका, इंगलैण्ड की तरह किसी बहुत ही आधुनिक देश के लिये व्यवस्था की गई हो। जहां जनता के पास हर तरह के शस्त्र और गोला बारूद मौजद हों। इसीलिये विधेयक में दी गई शस्त्र तथा गोला-बारूद की व्यापकतम परिभाषा और देश के यथार्थ में भारी अन्तर दिखाई पड़ता है। समझ में नहीं आता कि गृह-कार्य मंत्रालय ने देश की वर्तमान आवश्यकताओं को क्यों अनदेखा कर दिया है।

दावा यह किया गया है कि इस विधेयक में एक बड़ी उदार नीति अपनाई गई है। लेकिन उदार नीति तो हम उसीको कह सकते हैं जिस में बड़ी आसानी से शस्त्र प्राप्त करना और रखना सम्भव बनाया जाये। उसके लिये तो जरूरत इस बात की थी कि मंत्रालय यह पता लगाता कि आज देश में किन किन लोगों को शस्त्र की जरूरत है। तब यह विधेयक यथार्थ के ज्यादा अनरूप होता।

गांवों में कृषकों को अपनी रक्षा के लिये शस्त्रों की बड़ी जरूरत है, लेकिन उन्हे शहरी दिमाग़ के अनुज्ञप्ति-अधिकारियों की दया पर छोड़ दिया गया है।

मंत्रालय को सब से पहले कृषकों की जरूरत पर ही विचार करना चाहिये था। उन्हें अनुज्ञप्तियां हासिल करने की बड़ी कठिनाई होती है। इस विधेयक ने उनको कोई सुविधा नहीं दी है।

मैं यह सुझाव इसलिये दे रहा हूं कि प्रवर समिति इस विधेयक में ऐसे परिवर्तन कर दें। देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां डाकुओं का जोर है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में और भी कई राज्यों में कई ऐसे क्षेत्र हैं। इस में डाकुओं से ग्रामीणों के बचाव की किसी भी सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई है।

हमारे देश की पाकिस्तान से मिली सीमाओं पर भी आये दिन डकैतियां होती रहती हैं। उन सीमाक्षेत्रों के निवासियों का जीवन हमेशा खतरे में बना रहता है। उनके पास अपने बचाव के लिये कोई भी साधन नहीं है। उन्हें साधारण शस्त्रों के लिये अनुज्ञप्तियां लेने भी मीलों दूर जाना पड़ता है। इस विधेयक में उनकी आवश्यकताओं का भी कोई ध्यान नहीं रखा गया है। इस में देश के कुछ विशेष क्षेत्रों और विशेष वर्गों की समस्याओं पर ध्यान ही नहीं दिया गया।

मेरा सुझाव है कि न्यायाधीशों, वकीलों, अध्यापकों, इत्यादि के लिये शस्त्र रखना आसान बनाया जाना चाहिये। उन्हें भी शस्त्रों के लिये अनुज्ञप्तियां प्राप्त करने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है।

हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना कर्त्तव्य निभाने के दौरान में अपनी जान का खतरा उठाना पड़ता है, जैसे रेलवे कर्मचारी, अध्यापक, परीक्षाओं के निरीक्षक, इत्यादि। उनको अनुज्ञप्तियां पाने में इस विधेयक ने कोई भी सुविधा नहीं जुटाई है।

[दी० चं० शर्मा]

असल में मंत्रालय को चाहिये यह था कि पूरे देश की जनसंख्या का सर्वेक्षण करा कर यह पता लगाता कि किन तबकों और किन पेशों के लोगों और कैसे क्षेत्रों के लोगों के लिये शस्त्र रखना जरूरी है। तब, उसके आधार पर उनको अधिक सुविधायें जुटाई जानी चाहिये थीं। लेकिन इस में तो सभी को एक समान मान लिया गया है। सरकार के जन सुरक्षा के प्रति एक निश्चित, सुस्पष्ट दृष्टि-कोण अपनाना चाहिये था। जन सुरक्षा के आधार का अर्थ तो यह होना चाहिये था कि जो भी व्यक्ति जन सुरक्षा के लिये खतरा पैदा नहीं करता उसे शस्त्र रखने की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की सुविधा हो ।

सरकार जन-सुरक्षा की इतनी लम्बी-चौड़ी बातें करती है। मैं पूछता हूं कि तब, आपका इतना प्रबन्ध होते हुए भी, डाकुओं को हथियार कहां से मिल जाते हैं? आपके प्रबन्ध के बावजूद, शस्त्रों की तस्करी चलती रहती है। सरकार पता लगा ही नहीं पाती और लोग चोरी से शस्त्रों का निर्माण करते रहते हैं। यदि सरकार को उन में से पांच प्रतिशत का पता भी चलता है, तो बहुत देर बाद । तब पुलिस विभाग और गुप्तचर विभाग कहां सोते रहते हैं? सामान्य नागरिकों के लिये तो जन सुरक्षा इसी में है कि गैरकानूनी तरीकों से हथियार प्राप्त करने और निर्माण करने वाले लोगों से अपनी रक्षा करने की सुविधायें उन्हे दी जायें।

यह विधेयक गैर-कानूनी काम करने वालों के खिलाफ़ नहीं है। यह तो स्वतंत्र भारत के सामान्य नागरिकों पर ही कानून की पकड़ और मजबूत बनाना चाहता है। यह आधुनिक भारत की भावना के अनुरूप नहीं है।

इस विधेयक का सब से प्रवर्तन कारी भाग है इसका खण्ड ४४। शस्त्रों के लिये अनुज्ञप्तियां प्राप्त करने के प्रार्थना पत्र किस रूप में और किस प्रकार की अनुज्ञप्तियों के लिये कैसे प्रार्थना पत्र दिये जाने चाहिये?—यह सब कुछ मंत्रालय की नियम–निर्मात्री शक्ति पर छोड़ दिया गया है। न तो प्रार्थना-पत्रों के प्रपनों का नमूना बताया गया है और न कोई ऐसा परिशिष्ट ही संलग्न किया गया है जिस में कोई सुस्पष्ट विधि रखी गई हों।

इतना ही नहीं, इस खण्ड में इतने अधिक और पेचीदा किस्म के उपखण्डों की भरमार है कि उसे कोई वकील ही समझ सकता है; कोई सामान्य नागरिक नहीं। सामान्य नागरिक को तो प्रार्थनापत्र के प्रपत्र का पता लगाने और यह जानने के लिये कि वह किस अधिकारी को दिया जाये, वकीलों के पास या अधिकारियों के पास दौड़ना पड़ेगा। यह सारी जानकारी विधेयक के साथ ही संलग्न होनी चाहिये थी।

इस विधेयक में सारे व्यौरे को अस्पष्ट ही रहने दिया गया है। जनता को तो व्यौरे से ही काम पड़ेगा। और व्यौरे के बिना, सभा भी इस पर अधिक गहराई से विचार नहीं कर सकती। माननीय सदस्य इस पर कोई राय ही नहीं दे सकते ।

खण्ड १३ में सिर्फ यह बताया गया है कि कौन से लोग शस्त्रों की अनुज्ञप्तियां प्राप्त कर सकते हैं। उस में समय की कोई सीमा नहीं रखी गई है। मेरा सुझाव है कि अल्पकालीन अनुज्ञाप्तियों के के लिये भी कोई व्यवस्था की जानी चाहिये। कुछ थोड़े से काल के लिये अनुज्ञप्ति चाहने वाले को सारी प्रक्रिया के पालन की परेशानी नहीं रहनी चाहिये। तीन वर्ष के लिये शस्त्र रखने के लिये अनुज्ञप्ति लेने की सुविधा भी रहनी चाहिये।

खण्ड १६ में विभिन्न प्रकार की अनुज्ञप्तियों के लिये विभिन्न शर्तें और विभिन्न पत्र संविहित कि ये गये हैं। लेकिन कार्य पालक अधिकारी इस विभिन्नता का दुरुपयोग करके जनता को परे-शा न कर सकते हैं।

खण्ड १९ में व्यवस्था है कि कोई भी पुलिस अधिकारी शस्त्र रखने वाले व्यक्ति से अनुज्ञप्ति दिलाने की मांग कर सकता है। लेकिन पुलिस अधिकारी की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है कि वह किस श्रेणी तक का होना चाहिये। यदि हर सिपाही को यह शक्ति सौंपी जायेगी, तो बड़ी गड़बड़ी होगी।

यह विधेयक विदेशी शासकों के अधिनियम की पुरानी लीक पर चला है। आज उसी के परिणामस्वरूप शस्त्र रखने की अनुज्ञप्ति सम्पत्ति और शक्ति की प्रतीक है। सरदार ने इस विधेयक में उसी स्थिति को बनाये रखा है।

यदि यह जन-विधान होता, तो सामान्य जनता के लिये शस्त्र रखना आसान बनाता। तब पूरी सभा इसका समर्थन करती।

†**श्री नौशेर भरुचा** (पूर्व खानदेश) : पिछले ८० साल से शस्त्र अधिनियम ज्यों का त्यों चला आ रहा है। इसी तथ्य से जाहिर है कि इसमें अब बुनियादी परिवर्तन करने की जरूरत है। हमारा देश अब स्वतंत्र है, और स्वतंत्र जनता का एक चिह्न है शस्त्र रखना; इसलिये हमारे देश में अब शस्त्र रखने के अधिकार के प्रति एक अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

यह सही है कि सरकार को दोनों बातें देखनी पड़ेंगी। एक तो यह कि सामान्य जनता को शस्त्रों की अनुज्ञप्तियां प्राप्त करने में कठिनाई न हो, और दूसरी यह कि वे शस्त्र गलत लोगों के पास न पहुंच सकें। वैसे अनधिकृत शस्त्रों को बिलकुल ही खतम करना तो शायद कभी भी सम्भव नहीं होगा। अमरीका जैसे सुशासित देश में भी अनधिकृत शस्त्रों की संख्या अधिकृत शस्त्रों से कई गुनी अधिक है। लेकिन फिर भी कुछ कारण ऐसे हैं कि हमें इस शस्त्र विधेयक को उदार बनाना चाहिये।

पहला कारण तो यह है कि भारत गांवों का देश है। गांवों में हर जगह पुलिस की सुरक्षा की व्यवस्था करना नामुमकिन सा है। इसीलिये गांवों पर डाकू, वगैरह असामाजिक गिरोह आसानी से हावी हो जाते हैं। इसीलिये बम्बई राज्य में, 'ग्राम रक्षा' दलों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया गया है। देश के अन्य भागों में भी ऐसे ही ग्राम रक्षा दल संगठित किये जाने चाहिये और उनको शस्त्र दिये जाने चाहिये। मैं तो कहता हूं कि ग्राम रक्षा दलों को रियायती मूल्य पर शस्त्र मिलने चाहियें।

दूसरा कारण यह कि हमारे देश की जनता इतने ज्यादा अर्से से निशस्त्र रही है कि उसे आग्नेय अस्त्रों का ज्ञान ही नहीं रहा है। बम्बई के एक शान्ति न्यायाधीश ने एक पिस्तोल रखने की अनुज्ञप्ति ले कर अपनी पिस्तौल को एक बैंक के सुरक्षित कोठार में रखा दिया था। इसीलिये कि वह उसका इस्तेमाल करना ही नहीं जानते थे। जरूरत इस बात की है कि जनता को आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग का आदी बनाया जाये, चाहे उसमें कुछ खतरा ही क्यों न उठाना पड़े।

यदि जनता इनके प्रयोग की आदी बन जायेगी, तो वह विदेशी आक्रमणों के समय देश की सुरक्षा में बड़े प्रभावशाली ढंग से हाथ बंटा सकेगी। हमारा देश इतना विशाल है कि नियमित सेना हर स्थान की सुरक्षा करने में सफल नहीं हो सकती। उसकी सहायता करने वाला प्रादेशिक बल भी हमारे देश में नगण्य ही है। इसलिये आक्रमण की परिस्थिति में जनता की अपनी सक्रिय सुरक्षा का बड़ा महत्व होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

एक और कारण यह है कि जब तक जनता आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग की आदी नहीं बनेगी, तब तक देश में छोटे-छोटे शस्त्रों के निर्माण का उद्योग विकसित नहीं हो पायेगा। छापेमार युद्ध की परिस्थिति में इसका बड़ा महत्व होगा। इसलिये शस्त्र विधेयक को अधिक उदार बनाया जाना चाहिये। हां, साथ ही विधि तथा व्यवस्था का संतुलन बनाये रखने की ओर भी उचित ध्यान देना चाहिये हमें इस विधेयक को इसी पृष्ठभूमि में देखना चाहिये।

इस विधेयक में शस्त्रों को एक मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा गया है। —आग्नेय अस्त्र और निषिद्ध शस्त्र। दोनों की परिभाषाओं में भी कई त्रुटियां हैं। आग्नेय शस्त्रों की परिभाषा की गई है: किसी भी प्रकार के अस्त्र जो किसी भी विस्फोटक या किसी अन्य प्रकार की शक्ति से चालित एक या अधिक प्रक्षितों को चलाने के लिये बनाई गई हो। किसी अन्य प्रकार की शक्ति में तो वायु के दबाव की शक्ति भी शामिल है। यानी, हवाई बिन्दूक भी आग्नेय अस्त्रों में शामिल है। माननीय मंत्री का यह मंशा तो नहीं होगा।

इसी तरह निषिद्ध शस्त्रों की परिभाषा में वे सभी शस्त्र रखे गये हैं जो द्रव्य पदार्थ गैस या कोई और चीज चलाने के लिये बने हों। यानी, गंदा पानी चलाने वाली पिस्तौल भी निषिद्ध शस्त्र है। इसको फिर से देखना चाहिये।

माननीय मंत्री का कहना है कि इस प्रकार दो श्रेणियां बनाकर उन्होंने शस्त्रों की अनुज्ञप्तियां प्राप्त करना काफी सुविधाजनक बना दिया है। आग्नेय शस्त्रों के लिये आसानी से अनुज्ञप्तियां मिल जायेंगी। लेकिन पिस्तौलों की आग्नेय अस्त्रों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, क्योंकि उनको आसानी से छिपाया और लाया-ले जाया जा सकता है,। यदि सरकार जनता को आग्नेय अस्त्रों की आदी बनाना चाहती है, तो कुछ खतरा उठाना ही पड़ेगा। आज हालत यह है कि देश के ईमानदार नागरिकों को ही आग्नेय अस्त्र नहीं मिल सकते, अवांछित किस्म के लोगों को मन चाहे मिल सकते हैं। कृषकों की अपनी सुरक्षा के लिये भी आग्नेय अस्त्र नहीं मिलते। डाकुओं से लोहा लेने के लिये पिस्तौलें ही कुछ कारगार हो सकती हैं। बार-बार भरी जाने वाली बन्दूकों से गांवों की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिये शस्त्र विधेयक को इस मामले में कुछ अधिक उदार बनाया जाना चाहिये।

इनके अतिरिक्त दो बातें और हैं। पहली यह कि इसमें खण्ड ४ की व्यवस्था क्यों रखी गई है? उसमें व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार कुछ मामलों में कुछ विशेष क्षेत्रों में प्रत्येक शस्त्र रखने पर प्रतिबन्ध लगा सकेगी। शायद यह व्यवस्था स्थानीय दंगों वगैरह की बात सोचकर रखी गई है। लेकिन उसके लिये तो धारा १४४ है ही। वह काफी पर्याप्त सिद्ध हो चुकी है। शायद माननीय मंत्री किसी पूरे जिले पर ऐसा प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता सोचते हों। लेकिन ऐसी व्यवस्था बड़ी प्रतिक्रियावादी है। इसे हटा देना चाहिये।

दूसरी यह कि खण्ड २५ में सम्मिलित दण्ड सम्बन्धी व्यवस्थायें भी कुछ विचित्र सी हैं। उनमें सभी प्रकार के अपराधों को गिनाकर, व्यवस्था की गई है कि उनके लिये तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों दिये जा सकते हैं। अलग-अलग छोटे-बड़े अपराधों के लिये अलग-अलग छोटे-बड़े दण्डों की स्पष्ट व्यवस्था की जानी चाहिये।

आशा है कि संयुक्त समिति इस विधेयक को अधिक उदार बनायेगी।

†पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय (प्रतापगढ़) : शस्त्र अधिनियम को संशोधित करने वाले इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि इसका उद्देश्य अधिनियम की व्यवस्थाओं को उदार बनाना है । कुछ व्यवस्थाओं को वाकई उदार बनाया गया है । कृषकों की आवश्यकताओं और राईफल क्लब बनाने की आवश्यकताओं का इसी सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है । अब अनुज्ञप्तियां मंजूर न करने के विरुद्ध अपील करने की व्यवस्था भी की गई है । यह बड़ी उपयोगी चीज है ।

इस पर कई आपत्तियां की गई हैं । मैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूं । श्री दी० चं० शर्मा की यह आशंका निराधार है कि अनुज्ञप्तियां देने में भू-स्वामियों और ज़मींदारों के साथ पक्षपात किया जायेगा । खण्ड १४(२) में स्पष्ट व्यवस्था है कि पर्याप्त सम्पत्ति न होने के आधार पर शस्त्र-अनुज्ञप्ति के किसी भी प्रार्थना-पत्र को नामंजूर नहीं किया जायेगा ।

उन्होंने नियमों का भी उल्लेख किया था । उसकी त्रुटियां तो संसद् ठीक कर ही सकती है । सत्याग्रह की भी बात कही गई थी । लेकिन सत्याग्रह का शस्त्रों से कोई सम्बन्ध ही नहीं । मैं वह दलील समझ नहीं पाया । वह असंगत थी ।

भ्रष्टाचार की बात यह है कि वास्तव में कभी-कभी प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयां उठती हैं और कई बार भ्रष्टाचार भी सामने आता है । लेकिन इस विधेयक में भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश की गई । पर मैं समझता हूं कि उसके नियंत्रण में सरकार को कोई ज्यादा सफलता नहीं मिल पायेगी ।

एक आपत्ति यह भी की गई थी कि अनुज्ञप्ति मंजूर करने वाले अधिकारी पर ही सब कुछ छोड़ दिया गया है । यदि अनुज्ञप्ति अधिकारी रखे जायेंगे, तो यह करना ही पड़ेगा । या फिर दूसरा तरीका यह है कि बिना अनुज्ञप्तियों के ही जनता में शस्त्र वितरित कर दिये जायें ।

कुछ खास क्षेत्रों के लिये कभी-कभी विशेष व्यवस्था करने की बात पर भी आपत्ति की गई थी । लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं, जब धारा १४४ की व्यवस्था अपर्याप्त सिद्ध होती है ।

लेकिन मैं सरकार के इस दावे से भी सहमत नहीं हूं कि इस में अधिनियम की व्यवस्थाओं को काफी उदार बना दिया गया है ।

शस्त्रों की परिभाषा को अवश्य ही पहले से अधिक उदार बना दिया गया है । पहले के अधिनियम में शस्त्रों की परिभाषा में आग्नेय अस्त्र, संगीनें, तलवारें, छुरियां, भाले, तीर और कमानें और सभी तोपें, और शस्त्रों के सभी हिस्से तथा शस्त्र-निर्माण की सभी मशीनें शामिल थीं । अब इस परिभाषा को उदार तो बनाया गया है, लेकिन उस में कुछ ऐसी त्रुटियां रह गई हैं जिन की व्याख्या उसे सीमत कर सकती है । जैसे कि इस विधेयक में धार वाले घातक शस्त्रों को भी इस परिभाषा में रखा गया है । इसकी व्याख्या इस ढंग से भी की जा सकती है कि बड़े-बड़े चाकू भी कभी-कभी धार वाले घातक शस्त्र बन जाते हैं ।

उदारता के उद्देश्य को सीमित करने वाली दूसरी व्यवस्था खण्ड ९(३) में है । उसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७ के अन्तर्गत कुछ समय तक शान्ति बनाये रखने का बौण्ड भरने के लिये कहा गया हो, तो उसे उस बौण्ड की अवधि तक शस्त्र रखने की अनुमति न मिल सकेगी । सभी जानते हैं कि यह एक बड़ी साधारण सी चीज है । जरा भी कोई गड़बड़ी होने पर, इस धारा के अन्तर्गत कुछ बहुत शान्त किस्म के लोगों पर भी न्यायालय में कार्यवाही शुरू कर दी जाती है । यदि ऐसा प्रतिबन्ध होगा, तो गांवों के बहुत से लोगों को अनुज्ञप्तियां नहीं मिल पायेंगी । यह व्यवस्था विधेयक के उद्देश्य को संकुचित बनाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित मुनीश्वर दत उपाध्याय]

मैंने केवल दो ही उदाहरण पेश किये हैं, लेकिन विधेयक में कई ऐसी व्यवस्थायें हैं जो माननीय मंत्री द्वारा किये गये उदारीकरण के क्षेत्र को अधिक सीमित कर देंगी। संयुक्त प्रवर समिति को इसे वास्तव में उदार बना देना चाहिये।

†श्री पु० र० पटेल (श्री मेहसाना) : प्रस्तुत शस्त्र विधेयक के उपबन्ध प्रायः शस्त्र अधिनियम जैसे ही हैं जिसे निरस्त किया जा रहा है। दोनों की भावना समान ही है, केवल शब्दों का अन्तर है। लाइसेंस मंजूर करने वाले प्राधिकारी के अब भी वही अधिकार होंगे जो पहले थे। यही नहीं, जिन चीजों को शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत शस्त्रास्त्र माना गया उन सब को प्रस्तुत विधेयक में भी शस्त्रास्त्रों में सम्मिलित किया गया है। नली में से गोली भरने वाली (मज़ल लोडिंग) बन्दूक रखने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये क्योंकि वह किसानों के काम आती है। इसके अतिरिक्त यदि उसके लिये लाइसेंस लेना आवश्यक ही रखा जाय तो लाइसेंस मिलने या उसके पुनर्नवन में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये जैसा कि अभी होता है। कभी-कभी तो एक साल से अधिक लग जाता है और पुलिस बन्दूक जब्त कर लेती है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की बन्दूक इतनी घातक नहीं होती जिसे सरकार के विरुद्ध प्रयोग में लाया जा सके। इसलिये उसका लाइसेंस जीवन भर के लिये दे दिया जाना चाहिये। यदि कभी शांति और व्यवस्था की दृष्टि से आवश्यक हो तो उसे निरस्त किया जा सकता है। गांवों के आदमियों की सुविधा की दृष्टि से मैं ऐसा सुझाव दे रहा हूं क्योंकि उन्हें पुनर्नवन की तारीख याद नहीं रहती जिससे वे मुसीबत में फंस जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी।

किसानों को शस्त्रास्त्रों की बहुत आवश्यकता होती है। उन्हें रात में खेतों पर रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जानवरों और फसल की चोरियां भी होती रहती हैं। इनसे रक्षा के लिये किसानों को हथियार रखने की अनुमति दी जानी चाहिये। उपयुक्त मामलों में रिवाल्वर और राइफलों के लाइसेंस भी किसानों को दिये जाने चाहिये। इसलिये सरकार को किसानों के सम्बन्ध में उदारता की नीति अपनानी चाहिये।

मैं माननीय मंत्री को यह भी बता देना चाहता हूं कि भूतपूर्व देशी राज्यों में इस प्रकार की बन्दूकों (मज़ल लोडिंग गन्स) के लिये लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं थी। उदाहरण के लिये मैं बड़ौदा और घोडासर के नाम दे सकता हूं। अब स्वतंत्र भारत में उनके लिये लाइसेंस निर्धारित करने का मतलब यह है कि जनता का विश्वास नहीं किया जाता है। हमारा राज्य प्रजातांत्रिक है जिस में प्रभुत्वशक्ति जनता के हाथ में होती है। इसलिये जनता के प्रति अविश्वास अत्यन्त अवांछनीय है। रिवाल्वरों, राइफलों आदि का रजिस्ट्रेशन तो सरकार कर सकती है पर नली में से गोली भरने वाली बन्दूकों के सम्बन्ध में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

मुझे दुख है कि इस विधेयक में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। शस्त्र अधिनियम की सारी बातें इस में हैं। मैं आशा करता हूं कि संयुक्त समिति इस पर भली प्रकार विचार करके कुछ परिवर्तन करेगी। मेरा जिला पाकिस्तान के सीमान्त पर है। यदि कभी कोई कठिनाई उत्पन्न हुई तो शस्त्र न होने से हमारी जनता अपनी रक्षा नहीं कर सकेगी। इसलिये न केवल शस्त्र रखने की अनुमति दी जानी चाहिये वरन् उनके चलाने के लिये प्रशिक्षण भी जनसाधारण के पास शस्त्र न होने से समाज विरोधी तत्वों को भी प्रोत्साहन मिलता है। मैं आशा करता हूं कि समिति इन सब बातों पर विचार करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : बड़ी खुशी की बात है कि सरकार १८७८ के अधिनियम को बदलने जा रही है। परन्तु जो विधेयक रखा गया है उसके लिये सरकार की प्रशंसा नहीं की जा सकती क्योंकि उसके उपबन्ध पहले जैसे ही हैं।

१९५३ में श्री उमाचरण पटनायक द्वारा प्रस्तुत विधेयक की चर्चा के समय तत्कालीन गृह मंत्री श्री काटजू ने १८७८ के अधिनियम को बदलने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए निम्नलिखित तीन बातों पर जोर दिया था :

१. प्रत्येक नागरिक के अपनी रक्षा करने के अधिकार की वांछनीयता।

२. आन्तरिक शांति बनाये रखना।

३. राष्ट्रीय आवश्यकता।

यदि हम इन तीन बातों की दृष्टि से प्रस्तुत विधेयक पर विचार करें तो ज्ञात होगा कि वह अपर्याप्त है। जहां तक पहली बात का सम्बन्ध है विधेयक में तनिक भी उदारता नहीं दिखाई देती। लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी को ही विस्तृत शक्तियां प्रदान की गई हैं, वह जिसको चाहे वही व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। यदि आप वास्तव में शस्त्र अधिनियम के उपबन्धों को उदार बनाना चाहते हैं तो लाइसेंस का सिद्धान्त ही समाप्त कर देना चाहिये केवल रजिस्ट्रेशन ही किया जाना चाहिये। पश्चिमी देशों में ऐसी ही प्रणाली प्रचलित है।

जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सब लोगों को शस्त्र दे देने से देश की शांति को खतरा उत्पन्न हो जायेगा। मेरे विचार से वही लोग अधिक अपराध करते हैं जिनके पास अवैध शस्त्र होते हैं। वास्तव में शस्त्रधारी व्यक्ति देश की शांति को नष्ट नहीं करते वरन् अन्य व्यक्ति ही वैसा करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि विधेयक का खण्ड १७ अनुचित है क्योंकि वह शस्त्र सम्बन्धी प्रतिबन्धों को कम करने के बजाय अधिक कठोर बना देता है।

जहां तक तीसरे दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, अब नागरिकों के लिये शस्त्र की आवश्यकता अधिक बढ़ गई है। पहले जो अधिनियम बनाया गया था उसका उद्देश्य तो हमें कायर बनाना था। परन्तु अब तो हमें अपने देश की रक्षा के लिये शस्त्रों का प्रयोग सीखना चाहिये। परन्तु खेद है कि प्रस्तुत विधेयक में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विधेयक में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थितियों में वह सर्वथा अनुपयुक्त हैं। डा० काटजू ने १९५३ में जिस प्रकार के विधेयक की आवश्यकता पर बल दिया था उसको ध्यान में नहीं रखा गया है। विधेयक के अनुसार शस्त्र रखने के लिये न केवल लाइसेंस लेना होगा वरन् लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी उसे रद्द भी कर सकेगा। इसलिये इस में उदारता के कहीं भी दर्शन नहीं होते। मैं आशा करता हूं कि संयुक्त समिति इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विधेयक में आवश्यक परिवर्तन करेगी।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : प्रस्तुत विधेयक की बहुत आलोचना की गई है। परन्तु हमें निराश नहीं होना चाहिये क्योंकि अभी हमारे सामने जो प्रस्ताव है वह विधेयक को संयुक्त समिति को निर्दिष्ट करने का है। हमें उन सिद्धान्तों पर प्रकाश डालना चाहिये जिनके अनुसार समिति उसमें परिवर्तन कर सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मा० श्री अणे]

जिस अधिनियम को समाप्त किया जा रहा है वह ब्रिटिश शासन की देन है वह अधिनियम हमें दास बनाये रखने के प्रयोजन से बनाया गया था। खेद है कि हमें स्वतन्त्र हुए इतने दिन हो गये पर अभी तक उस में परिवर्तन नहीं किया जा सका। हम आर्थिक क्षेत्र में तो बहुत उत्साह से कार्य कर रहे हैं परन्तु शस्त्रों और प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में वैसा उत्साह नहीं दिखाई देता है। आर्थिक विकास के साथ-साथ हमें अपने देशवासियों को इस योग्य भी बनाना चाहिये कि वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकें।

वास्तव में १८७८ का अधिनियम तो हमारे शस्त्र छीनने के उद्देश्य से बनाया गया था ताकि हम अपनी रक्षा के लिये विदेशी शासन पर निर्भर रहें। ब्रिटिश सरकार उन्हीं लोगों को हथियार रखने देना चाहती थी जो उनके कृपापात्र बन कर रह सकें। १८७८ के अधिनियम के मूल में यह नीति थी जो भारत के स्वतन्त्र हो जाने के इतने दिन बाद तक चली आ रही है। मैं श्री उमाचरण पटनायक को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय-समय इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछ कर और विधेयक प्रस्तुत करके सरकार का ध्यान इस अधिनियम को समाप्त करने की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया। मैं सरकार को भी इसके लिए बधाई देता हूं कि उसने देर में ही सही पर ठीक दिशा की ओर कदम उठाया है। यदि इस विधेयक में कुछ दोष हैं तो सयुक्त समिति उसमें आवश्यक सुधार कर सकती है।

माननीय मंत्री ने विधेयक प्रस्तुत करते हुए उसके मुख्य सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला था। पहला सिद्धान्त यह है कि विधेयक में न्यूनतम प्रतिबन्ध हैं जो देश की सुरक्षा की दृष्टि से रखे गये हैं। यदि इन प्रतिबन्धों में और कमी की जा सकती है तो संयुक्त समिति उस पर विचार करेगी।

दूसरा सिद्धान्त यह है कि देश की स्वतन्त्र स्थिति के अनुसार समस्त नागरिकों के वैध हितों की रक्षा का प्रयत्न किया गया है। स्वतन्त्र भारत का नागरिक समस्त विश्व का नागरिक बनने जा रहा है। विधेयक में जो प्रतिबन्ध रखे गये हैं वे इसी बात को ध्यान में रख कर रखे गये हैं। मुझे आशा है कि समिति के सदस्यों के प्रगतिशील विचारों के परिणामस्वरूप विधेयक का स्वरूप और भी उदार हो जाएगा। इसलिये निराश होने का कोई कारण नहीं है।

जहां तक शस्त्रों की परिभाषा का सम्बन्ध है हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि समय की गति के साथ शस्त्र और उनकी उपयोगिता बदलती रही है। पहले जो शस्त्रास्त्र बहुत महत्वपूर्ण समझे जाते उनका आज के नाभिकीय युद्ध में कोई महत्व नहीं रह गया है। इसलिये हमें इस बात पर विचार करना होगा कि किस वस्तु को शस्त्र माना जाए।

हम भारतवासी प्रत्येक व्यक्ति की सद्प्रवृत्तियों में विश्वास करते हैं। इसलिये शस्त्र अधिनियम में इस प्रकार परिवर्तन किया जाना चाहिए कि कोई यह न कहे कि हम अपनी जनता को शस्त्र देने से डरते हैं। जिस तरह से ब्रिटेन तथा अमेरिका जैसे सभ्य देशों में नागरिकों को शस्त्र रखने की अनुमति प्राप्त है उसी प्रकार हमें भी आपने देश में करना चाहिये। यदि इसमें कुछ कठिनाई हो तो थोड़ासा परिवर्तन किया जा सकता है। संयुक्त समिति को इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत विधेयक पर विचार करना चाहिये।

कांग्रेस पचासों वर्ष से शस्त्र अधिनियम के विरुद्ध आवाज उठा रही है। खुशी की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बारह वर्ष पश्चात् हम वैसा करने जा रहे हैं। इसलिये शस्त्र रखने के सम्बन्ध में उदारता की नीति अपनाई जानी चाहिये। मेरे कहने का तात्पर्य यह कदापि नहीं कि हम इतनी उदारता दिखायें कि शान्ति और व्यवस्था के लिये खतरा उत्पन्न हो जाए। अपनी परिस्थितियों का विचार करते हुए हमें एक आदर्श अधिनियम बनाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†श्री सूपकार (सम्बलपुर) : मन्त्री महोदय ने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य अधिनियम के उपबन्धों को उदार बनाना है। परन्तु मुझे सन्देह है कि वह इस प्रयोजन में सफल हो सकेंगे।

विधेयक की उदारता सिद्ध कर` के लिये मंत्री जी ने यह तर्क उपस्थित किया कि आग्नेयास्त्रों के लिये ही लाइसेंसों की आवश्यकता होगी साधारण अस्त्रों के प्रयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि लाइसेंस की मजूरी का उपबन्ध भी बहुत उदार है क्योंकि खण्ड १३ के अनुसार लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी के लिये लाइसेंस मन्जूर करना प्रायः अनिवार्य हो गया है। परन्तु यदि खण्ड १४ में देखा जाय तो ज्ञात होगा कि उसमें कुछ ऐसे प्रतिबन्ध रखे गये हैं जिनके कारण लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी की वही निरंकुश स्थिति हो जाती है जो १८७८ के अधिनियम के अन्तर्गत थी। खण्ड १४(३) में लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए लाइसेंस देने से इंकार कर सकता है यदि वह ऐसा सोच कि कारण बताना लोकहित में न होगा। मैंने अन्य देशों के कानूनों का अध्ययन किया है परन्तु इस प्रकार का उपबन्ध कहीं नहीं मिलता।

विधेयक के खण्ड १८ में प्रार्थी को अपील करने का मौका दिया गया है। परन्तु मेरा निवेदन है कि खण्ड १४ के कारण इस सुविधा का कोई लाभ नहीं रहता। जब लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी कारण बताने से ही इंकार कर देगा तो प्रार्थी अपील किस आधार पर करेगा ?

इसके अतिरिक्त खण्ड ९ में अवयस्कों और नैतिक अपराध के लिये दंडित व्यक्तियों को लाइसेंस दे` से इंकार करने का उपबन्ध है। इस प्रकार लाइसेंस देने के सम्बन्ध में बहुत कठोर प्रतिबंध रखे गये हैं। मेरा नि`दन है कि यह कठोरता कम की जानी चाहिये और लाइसेंस देने में उदारता की नीति अपनाई जानी चाहिये। यह न केवल आत्मरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है वरन् देश की रक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है। अधिकाधिक व्यक्तियों को शस्त्रों के लिये न केवल लाइसेंस ही दिये जाने चाहिये वरन् उन्हें उनका प्रयोग भी सिखाया जाना चाहिये। साथ ही यह भी आवश्यक है कि जो लोग शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करते हैं उन्हें कठोर दंड भी दिया जाना चाहिये।

श्री रुगसुंग सुइसा (बाह्य मनीपुर–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां) : माननीय गृहमंत्री ने कहा कि हम शस्त्रास्त्र अधिनियम को उदार बना रहे हैं। मैं इस कथन से सर्वथा असहमत हूं। यही नहीं मुझे तो इस बात से दुख भी हुआ कि इस प्रकार के विधेयक के सम्बन्ध में ऐसे प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया। कुछ सदस्यों न कहा कि सरकार ने सही दिशा में कदम उठाया है। यह भी सर्वथा गलत है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में प्रतिबन्धों को तनिक भी कम नहीं किया गया है जो किया जाना चाहिये था।

माननीय मंत्री कहते हैं कि न्यूनतम प्रतिबन्ध रखे गये हैं। मेरे विचार से ये प्रतिबन्ध अधिकतम हैं। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ऐसा कह रहा हूं। मैंने १९४९ में अपनी बन्दूक बदलने के लिये प्रार्थनापत्र दिया था परन्तु उसके सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं पता चला है। मेरा निवेदन है कि मेरे जैसे किसानों के लिये शस्त्रों की बहुत आवश्यकता होती है। बहुत से पशु पक्षी हमारी पैदावार खा जाते हैं और कुछ पैदावार चोरी में भी चली जाती है। उनसे रक्षा के लिये शस्त्र बहुत जरूरी हैं। हम उत्पादन बढाने की बात करते हैं परन्तु इस बात का विचार नहीं किया जाता कि अनाज की रक्षा के लिए किसानों को शस्त्र दिये जायें। मेरी पैदावार का कम से कम दस प्रतिशत जंगली जानवर खा जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक माननीय सदस्य ने कहा कि आज जिन शस्त्रों का महत्व है कल उनका उतना महत्व नहीं रहेगा। मेरा निवेदन है कि जब हम वर्तमान शस्त्रों का प्रयोग ही नहीं सीखेंगे तो भविष्य में आने वाले शस्त्रों का प्रयोग कैसे कर सकेंगे क्योंकि व वर्तमान शस्त्रों के उन्नत रूप ही तो होंगे।

इसके अतिरिक्त एक चीज और विचारणीय है। हमारे सीमान्तों पर जो छुटपुट हमले होते रहते हैं उनकी रक्षा के लिये हम सेना पर निर्भर नहीं रह सकते। मेरे विचार से सेना तो तभी उपयोगी हो सकती है जब दोनों ओर से खुल कर सामना हो। परन्तु अभी जिस प्रकार के हमले होते हैं और हमला करके हमलावर भाग जाते हैं ऐसी स्थिति में तो नागरिकों को ही शस्त्रों का प्रयोग सिखाने से काम चल सकता है। इसलिये राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से शस्त्रों का प्रयोग सिखाना बहुत आवश्यक है। हमें गांव वालों में शस्त्रों का वितरण करना चाहिये। यदि निःशुल्क नहीं दे सकते तो रियायती मूल्य पर दिए जाने चाहिए। आप पुलिस पर व्यय करते हैं। यदि गांव वालों को शस्त्र दे दिये जायें तो वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं व अपनी खेती की रक्षा कर सकते हैं। हम विदेशों से अन्न मंगाते हैं। यदि किसानों को शस्त्र दिये जायें तो देश में ही अधिक अन्न उपलब्ध हो सकता है। हमें व्यवहारिक दृष्टि से विचार करना चाहिये। इसलिये ग्रामीण जनता को शस्त्र देना बहुत आवश्यक है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस मौके पर मेरा इस आर्म्स 'एक्ट' के डिटेल्स में जाने का कोई सवाल नहीं था। मैं हाउस को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। जब महात्मा जी ने एक चिट्ठी लिख कर एक अंग्रेज के हाथों उस वक्त की गवर्नमेंट के पास भेजी थी तो उसमें जो सबसे बड़ी शिकायत उन्होंने की थी वह कि उस समय गवर्नमेंट ने हिन्दुस्तान को डिसआर्म कर दिया और इस तरह से सब को एनस्लेव कर दिया। महात्मा जी का मंशा था कि मुल्क की पार्लियामेंट में जो पहला कानून बने वह आर्म्स ऐक्ट को मंसूख करने वाला हो।

मैं स्विटजरलैण्ड में गया तो पता चला कि दुनिया की कोई ताकत पिछली बड़ी लड़ाई में स्विटजरलैण्ड की तरह इसलिये आंख उठा कर नहीं देख सकी कि वहां २४ घंटे के अन्दर मुसल्ला मर्द और औरतों की पांच लाख फौज तैयार हो सकती थी।

जब हम अपना कांस्टीट्यूशन बना रहे थे तो, मैं हाउस को याद दिलाना चाहता हूं, हम फंडामेंटल राइट्स में राइट टू बियर आर्म्स को भी शामिल करना चाहते थे। लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट कहने पर कि आर्म्स ऐक्ट में उसका लिहाज रखा जायेगा, हमने उस राइट को फंडामेंटल राइट्स में दाखिल नहीं किया। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जो बिल बनाया है उसके बारे में मैं कोई खास शिकायत नहीं करना चाहता क्योंकि हमारा और उनका एक ही प्वाइंट आफ व्यू है। लेकिन मैं ज्वाइंट कमेटी के लिये यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह इस बिल को इस लिहाज से देखे कि हम राइट टु बिअर आर्म्स को फंडामेंटल राइट्स में दाखिल करना चाहते थे।

आज हम बंगाल जब की तरफ देखते हैं तो पाते हैं रोज हाउस में यह शिकायत की जाती है कि दो सौ पाकिस्तानी हमारी सरहद में आये और लोगों को लूट मार कर चले गये। इसी तरह से हम आगरे और मुल्क के दूसरे हिस्सों के बारे में पढ़ते हैं कि डाकू आते हैं और लोगों को लूट कर चले जाते हैं और वह उन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक अच्छी गवर्नमेंट इस का यही इलाज कर सकती है कि राइट टू बियर आर्म्स को फंडामेंटल राइट्स हि शामिल कर दे। मैं चाहता हूं कि आजाद हिन्दुस्तान में हर शख्स को आर्म्स रखने का हक होना चाहिये।

सन् १९४६ में हम कांग्रेस के मेम्बरों के पास जो बीस बीस तीस तीस साल से आर्म्स थे उनको उस वक्त की गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया था। क्योंकि वह समझती थी कि यह पबलिक इंटरेस्ट में नहीं है कि हम आर्म रखें। मैं चाहता हूं कि यही बरताव यह सरकार उन लोगों के साथ न कर सके जो कि कांग्रेस के नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि हर हिन्दुस्तानी को आजाद हिन्दुस्तान में आर्म्स रखने का पूरा हक होना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि इस बिल को इसी प्वाइंट आफ व्यू से देखा जाये। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।

†**श्री दातार :** मुझे आश्चर्य है कि अधिकांश माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि लाइसेंस देने की प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाये।

श्री ईश्वर अय्यर ने विधेयक की आलोचना करते हुए कहा कि विधेयक के उपबन्धों में कोई सुधार नहीं किया गया है। मैं उनसे इसी प्रकार की आलोचना की आशा करता था। पर श्री डी० चं० शर्मा ने जो आलोचना की है, उसकी मुझे आशा नहीं थी। श्री शर्मा ने कहा कि स्थिति की वास्तविकता को ध्यान में नहीं रखा गया है। मेरा निवेदन है कि विधेयक को उन्होंने अव्यवहारिक दृष्टि से देखा है और इन बातों का उन्होंने ध्यान नहीं रखा कि उसमें किन-किन बातों का उल्लेख किया गया है।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इस विधेयक के संबंध में हमने राज्य सरकारों की भी राय ली है। अनेक गैर-सरकारी संस्थाओं की राय भी ली है और उसके बाद हमने विधेयक तैयार किया है। संयुक्त समिति इसमें यदि कुछ सुधार करना चाहे तो कर सकती है। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि जो रचनात्मक सुझाव दिये गये हैं, उनको ध्यान में रख कर संयुक्त समिति विधेयक के उपबन्धों पर विचार करेगी।

मुझे खेद है कि श्री अणे ने भी इस विधेयक के संबंध में कुछ ऐसी बातें कही हैं, जैसा कि उन माननीय सदस्यों ने कही थीं, जिन्हें इसके संबंध में गलतफ़हमी है। कुछ बातों का उल्लेख मैं यहां करूंगा।

'शस्त्र' शब्द की परिभाषा के संबंध में लोगों को काफी गलतफहमी है क्योंकि विधेयक में कहा गया है कि आग्नेयास्त्रों के लिये लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि आपात-काल या अन्य किन्हीं स्थितियों में शस्त्रों के प्रयोग आदि पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। इसी कारण 'शस्त्र' शब्द की सामान्य परिभाषा देना आवश्यक था।

आप उन सुधारों की ओर देखिये, जो इस में किये गये हैं। लाइसेंस लेनेकी आवश्यकता केवल आग्नेयास्त्रों के लिये होगी। मुझे खेद है कि माननीय सदस्यों ने इस सुधार की सराहना करने के बजाय उसकी आलोचना की। मैंने यह भी बताया है कि घरेलू सामान को इस विधेयक से अलग रखा गया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने खण्ड ९ का भी उल्लेख किया। इस खण्ड में ऐसे व्यक्तियों श्रेणियों का उल्लेख है, जिन्हें शस्त्र का लाइसेंस देना निषिद्ध है। खण्ड ९(१) (क)(२) में स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक सजा प्राप्त या सजा यापता व्यक्ति आवश्यक रूप से इसके लिये निषिद्ध नहीं माना जायेगा। इस खण्ड में हमने "हिंसात्मक" तथा "नैतिक पतन" संबंधी अपराधों का उल्लेख किया है। अर्थात् इन अपराधों के संबंध में जिन को सजा हो चुकी होगी, उन्हें नहीं दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

एक माननीय सदस्य ने कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के अधीन जमानत आदि मांगी जाती है, अतः अगले उपखण्ड के उपबन्धों को ढीला कर दिया जाये। मेरा निवेदन है कि वह कृपया उपखण्ड (३) को देखें। इसमें सिर्फ उस समय तक ही रोक है, जब तक कि बन्धपत्र या जमानत की अवधि पुरी नहीं होती। यह अवधि पूरी होते ही वे लाइसेंस के लिये पात्र हो सकते हैं। अयोग्यता तो केवल उस अवधि के लिये है। अतः माननीय सदस्यों को जो संदेह है, वह व्यर्थ तथा आधारहीन है।

कुछ माननीय सदस्यों ने किसानों के संबंध में कहा कि उनके लिये कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हम उनके लिये अनेक कदम उठाने जा रहे हैं। श्री पु० र० पटेल ने उनके संबंध में जो सुझाव दिया है, उस पर हम विचार करेंगे।

एक माननीय सदस्य का कहना है कि लाइसेंस देने वाले पदाधिकारी शहरी दृष्किोण के हैं, और वे देहात के रहने वालों के हितों की रक्षा नहीं कर सके। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि अभी तक १८७८ का पुराना अधिनियम था। उस संबंध में कुछ थोड़े से नियम थे और वे भी पूर्ण नहीं थे। इसी कारण सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है और अब समुचित नियम बनाये जायेंगे।

एक माननीय सदस्य ने अनेक ऐसे खण्डों की आलोचना की, जिन के अधीन नियम बनाये जाने वाले हैं। इस संबंध में माननीय सदस्य को प्रत्यायोजित विधान में कही गयी बातों का अध्ययन करना चाहिये। हम मूल उपबन्धों तथा सिद्धान्तों को विधान में से कैसे निकाल सकते हैं। ये सभी मामले प्रक्रिया संबंधी या प्रशासकीय व्योरे संबंधी हैं। हम प्रत्यायोजित विधान की सीमा के बाहर कैसे जा सकते हैं। फिर विधेयक में इन छोटी-छोटी बातों का उल्लेख नहीं किया जा सकता कि प्रार्थनापत्र किस प्रकार का होगा और उस पर कितने का टिकट लगेगा। इन बातों का उल्लेख नियमों में किया जायेगा।

फिर खण्ड ४४(३) में यह भी कहा गया है कि इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों को दोनों सभाओं के पटल पर ३० दिन के लिये रखा जायेगा तथा यदि सभा चाहेगी, तो उनमें आवश्यक संशोधन भी किये जायेंगे। अतः स्पष्ट है कि जो नियम बनाये जायेंगे, उन्हें सभा के सामने अर्थात् माननीय सदस्यों के सामने रखा जायेगा तथा यदि सभा समझेगी तो आवश्यक संशोधन भी किया जायेगा। अतः यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है।

सरकार इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि केवल मांगनेमात्र पर ही लोगों को शस्त्र दे दिये जायें। [illegible]डित [illegible]ाकुर दास भा[illegible]व तो चाहते थे कि मूल अधिकारों में इस बात को रख दिया जाये पर संविधान सभा ने इस बात का स्[illegible]ीकार नहीं किया। जो शर्तें हैं, उनके अधीन रहते हुए भारत का प्रत्येक नागरिक शस्त्र रख सकता है।

इस संबंध में हमारे जो नियम व उपबंध हैं, वह लगभग वैसे ही हैं जैसे अन्य देशों में हैं। हमने अनेक नये उपबंध सम्मिलित करके अपने विधान को समय की मांग के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया है। अतः मेरा निवेदन है कि यह एक उदार विधान है। जो कु[illegible] सीमायें व शर्तें हैं वे न्यूनतम व आवश्यक हैं। सीमा तो रखनी ही होगी उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत व मूल अधिकारों के साथ साथ हमारा उत्तरदायित्व है कि हम राष्ट्र व देश की विधी और व्यवस्था का भी ध्यान रखें।

अतः हम ने जो कुछ भी किया है यह बीच का या सबसे अच्छा मार्ग है जिसके द्वारा हमने लोगों को अधिक अधिकार दिये हैं तथा उनके ऊपर शर्तें व रुकावटें कम लगाई हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि शस्त्र तथा गोला-बारूद सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें ३० सदस्य, अर्थात् श्री बर्मन, श्री नि० सू० मूर्त्ति, श्रीमती मंजुला देवी, श्री विभूति मिश्र, श्री मुहम्मद ताहिर, डा० गो० बा० खेडकर, श्री छ० म० केदरिया, श्री अब्दुल सलाम, श्री रा० सी० अरुमुगम, श्री विद्याचरण शुकल, श्री आचार, श्री मणियंगाडन, श्री भक्त दर्शन, श्री पहाड़िया, श्री रघुवीर सहाय, श्री अन्सार हरवानी, श्री राजय्या, श्री बांगशी ठाकुर, श्री राधाचरण शर्मा, श्री स० चं० सामन्त, श्री रणबीर सिंह चौधरी, श्री मुकर्जी, श्री वारियर, श्री मोहन स्वरूप, श्री श० च० गोडसोरा, श्री फतेह सिंह घोडासर, श्री उ० च० पटनायक, श्री वाजपेयी, श्री दिगे, श्री दातार, इस सभा के हों और १५ सदस्य राज्य सभा के हों ।

कि सामिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को आगामी सत्र के पहले दिन तक अपना प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा से प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों तथा रूपभेदों से साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समति में सम्मिलित हो और राज्य सभा अपने द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम लोक सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) :** श्रीमान आपकी अनुमति से मैं कल अर्थात् २४ अप्रैल, १९५९ को लिये जाने वाले सरकारी कार्य के क्रम के बारे में एक परिवर्तन की सूचना देना चाहता हूं । रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशों सम्बन्धी संकल्प को लिये जाने से पूर्व अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष १९५७-५८ के प्रतिवेदन पर चर्चा होगी ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** (फिरोजाबाद) : संसद् कार्य मंत्री प्रायः इस प्रकार के परिवर्तनों की घोषणा करते रहते हैं । जो माननीय सदस्य इस समय अनुपस्थित हैं, उन्हें इस परिवर्तन का पता कैसे लगेगा । इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह :** यदि इस पर कल चर्चा हुई भी, तो लगभग एक घण्टे ही होगी । कल आधे दिन तो गैर-सरकारी कार्य है, अतः यह सोमवार के लिये स्थगित होगी । इसके लिये ६ घण्टे का समय रखा गया है । यह परिवर्तन इसलिये किया गया है कि कल रेल उपभोक्ता राष्ट्रीय मंत्रणादाता समिति का सम्मेलन है और रेलवे मंत्री व उपमंत्री को समय नहीं मिल सकेगा । अन्यथा सभा को असुविधा में डालने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन सम्बन्धी चर्चा काफी महत्वपूर्ण है। पर जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया कि कुछ कठिनाइयों के कारण ही यह परिवर्तन किया गया है। दूसरे, अधिकांश चर्चा तो सोमवार को ही होगी। अतः मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया है, वह संतोषजनक है।

विदेशों से ऊंची कीमतों पर रेलवे स्लीपरों की खरीद

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** (बलोदा बाजार): हमें विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में रेलवे के स्लीपर मंगाने पड़े हैं। यह आश्चर्य की बात है। क्योंकि हमारे देश में संसार के बहुत बड़े जंगल मौजूद हैं वस्तुतः ये जंगल इतने बड़े हैं कि हम इनसे न केवल अपने देश की आवश्यकता ही पूरी करने में समर्थ हैं, अपितु हम देश में बाहर भी इन स्लीपरों का निर्यात कर सकते हैं। तथापि हमें स्लीपरों के आयात करने की आवश्यकता इस कारण हुई कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में रेलवे को अपनी योजनायें पूरी करने के लिये बहुत बड़ी मात्रा में स्लीपरों की आवश्यकता हुई जो बिना विदेशों से आयात किये पूरी नहीं हो सकती थी। इससे यह स्पष्ट है कि योजना बनाने में त्रुटि हुई है जिसके फलस्वरूप ही हमें इनके आयात की आवश्यकता हुई है। स्लीपरों की आवश्यकता खाद्यान्न की आवश्यकता की तरह नहीं है जो पहिले से ज्ञात नहीं हो सके। हमें वर्षों पहिले इस आवश्यकता का अंदाज लग सकता है और हम इसका अपने देश में प्रबन्ध कर सकते हैं।

इसलिये हमें इस विषय पर तीन दृष्टिकोणों से विचार करना चाहिये। पहिला यह कि क्या आयात करना अनिवार्य था। दूसरा यह कि हमें सुयोजित योजना न बनाने के कारण कितना नुकसान हुआ। तीसरा यह कि क्या हमने ये स्लीपर सस्ती क़ीमतों पर खरीदे हैं। जहां तक पहिले प्रश्न का सम्बन्ध यद्यपि यह कहा जाता है कि देश में स्लीपर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं, तथापि यह सच नहीं है। वास्तव में स्लीपर हमारे देश में उपलब्ध हैं। केवल रेलवे इस बात का प्रयत्न नहीं करती है कि वे समय पर उपलब्ध हो सकें। १९५३ में रेलवे मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिख कर उनसे रेलवे स्लीपर प्राप्त करने में रेलवे से सहयोग करने की अपील की थी। इसके उत्तर में उन्होंने लिखा था कि रेलवे जो क़ीमत स्लीपर के व्यापारियों को दे रही है वह कम है। इसलिये रेलवे को चाहिये कि वे अपनी अधिकतम क़ीमत में वृद्धि करें। इसके पश्चात् जब कि पश्चिमी तट के स्लीपर व्यापारियों ने रेलवे से २०.५० रु० प्रति स्लीपर के हिसाब से क़ीमत मांगी थी, तो रेलवे ने यह क़ीमत इस आधार पर नहीं दी थी कि इससे देश के दामों में अनावश्यक रूप से वृद्धि हो जायेगी। तथापि एक वर्ष पश्चात् रेलवे ने विदेशों से स्लीपर ९ रु० प्रति स्लीपर अधिक देकर आयात किया। इतना ही नहीं जो क़ीमत रेलवे ने लोहे के स्लीपरों के लिये दी है वह और भी अधिक अर्थात् ५७ से ६८ रु० प्रति स्लीपर है। मेरे कथन का आशय यह है कि यदि रेल भारत के व्यापारियों को बाजार क़ीमत चुकाती तो उसे विदेशों से स्लीपर मंगाने की आवश्यकता नहीं होती और इस प्रकार बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होती।

लकड़ी और धातु के स्लीपरों के आयात के सम्बन्ध में जो प्रतिवेदन सभा में रखा गया है उससे ज्ञात होता है कि १९५८-५९ में हम ५ लाख स्लीपरों का आयात कर रहे हैं। यदि हम ने प्रति स्लीपर ९ रु० अधिक दिया तो इसी से अंदाज आ जायेगा कि हम कितनी हानि उठा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

ब्राजील ने स्लीपरों की हम से जो क़ीमत मांगी थी वह इन देशों को दी जाने वाली क़ीमत से कम थी, जिन से हम स्लीपर खरीद रहे हैं। अतः हम जानना चाहते हैं कि वे कौन से कारण थे जिनके कारण हमने ब्राजील से स्लीपर न खरीद कर बर्मा तथा आस्ट्रेलिया से स्लीपर खरीदे।

रेलवे ने देश से स्लीपर प्राप्त करने के उद्देश्य से चार कार्यवाहियां की हैं। पहिली, वे ऐसे जंगलों से स्लीपर कटवाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो पहिले नहीं काटे गये थे। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहूंगा कि रेलवे के प्रयत्नों से कितने जंगल काटे गये और वहां से कितनी लकड़ी प्राप्त हुई। दूसरा प्रयत्न रेलवे का यह रहा है कि उन्होंने अधिक देर तक न टिकने वाली लकड़ी को खरीद भी प्रारम्भ कर दी है। तथापि प्रावकलन समिति और रेलवे सम्बन्धित प्रश्नों का अध्ययन करने से मुझे ज्ञात हुआ कि वस्तुतः जब से यह निश्चय किया गया तब से अधिक देर तक न टिकने वाली और मुलायम लकड़ी की खरीद रेलवे संयंत्रों द्वारा घट गई है। तीसरा तरीका रेलवे ने यह अपनाया कि उन्होंने उल्लिखित आकार में कमी या ृद्धि होने पर भी खरीदने का फैसला किया है तथा देश में लोहे के स्लीपरों क निर्माण में वृद्धि करने का प्रयत्न किया है।

तथापि सबसे मुख्य बात यह थी कि रेलवे राज्य सरकारों के कथनानुसार स्लीपरों की कीमतों में वृद्धि करने को तैयार नहीं हुई। जिससे राज्य सरकारों को अपने वनों की कटाई करने और स्लीपरों के संभरण में वृद्धि करने के लिये कोई प्रोत्साहन पैदा नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में प्रावकलन समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में कहा है कि रेलवे को चाहिये था कि क़ीमतों के सम्बन्ध में वह राज्य सरकार से मिल जुल कर निपटारा कर लेती। क्योंकि समिति ऐसा नहीं समझती कि देश के वन रेलवे की अधिकांश मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं। बम्बई राज्य से स्लीपरों के संभरण के लिये रेलवे बोर्ड ने श्री सी० आर० रंगानाथन् की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। जिसमें कई उच्च पदाधिकारी भी थे। बम्बई सरकार ने रेलवे बोर्ड को यह बताया कि यदि वह दूसरे प्रकार की लकड़ी स्वीकार करने को तैयार हो तो स्लीपरों का लक्ष्य ३,५६,००० स्लीपरों से बढ़ा कर ६ लाख किया जा सकता है। तथापि यह बातचीत निष्फल रही इसका कारण केवल यह था कि बम्बई सरकार ने स्लीपरों की कुछ ऊंची क़ीमत मांगी थी जिसे रेलवे बोर्ड ने स्वीकार नहीं किया लेकिन कुछ ही दिन बाद रेलवे बोर्ड ने उससे भी मंहगे दामों में विदेशों से स्लीपर मंगवाये।

तीसरी योजना में रेल े का और भी तेजी से विकास हो रहा है। अतः रेलवे को बहुत बड़ी संख्या में रेलवे स्लीपरों की आवश्यकता होगी। इसके लिये हमें चाहिये कि हम अभी से आगामी सात वर्षों की आवश्यकता का अनुमान लगा लेवें; जिससे कि फिर हमें आयात करने की आवश्यकता न रहे। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि रेलवे बोर्ड को राज्य सरकारों की सहायता से उन जंगलों की कटाई शुरू करनी चाहिये या वहां तक पहुंचने के साधनों का विकास करना चाहिये जो अभी तक अछूते हैं। देश में लोहे के स्लीपरों को बनाने की क्षमता का विकास किया जाना चाहिये। देश में इस्पात मिलों के खुल जाने के कारण देश में कच्चा लोहा सरलता से मिल सकता है। अतः इस सम्बन्ध में प्रयत्न किया जा सकता है। देश में सीमेंट के स्लीपरों को बनाने के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिये। देश में क्रियोसोटिंग संयंत्रों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये जिससे कि घटिया प्रकार की लकड़ी भी टिकाऊ बनाई जा सके।

इतने पर भी देश में स्लीपरों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। प्रावकलन समिति के अनुसार ७५०० मील में पटरियां बदलने की आवश्यकता है और ८९० मील पर पटरियों के पुरानी होने के कारण गाड़ियां पूरी तेजी से नहीं चलाई जा सकती हैं। अतः मेरा निवेदन है कि भविष्य में

स्लीपरों सम्बन्धी नीति बदलने की तत्काल आवश्यकता है जिससे रेलवे के लिये स्लीपरों की कमी न होने पावे । अतः मैं चाहता हूं कि रेलवे मंत्री सभा में इस सम्बन्ध में तत्काल यह आश्वासन दें कि भविष्य में देश के बाहर से एक भी स्लीपर नहीं मंगाया जायेगा ।

†**श्री कोडियान** (क्विलोन—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभा में जब कभी स्लीपर का प्रश्न उठाया जाता है तो रेलवे मंत्रालय यह कहता है कि देश स्लीपरों के सम्बन्ध में रेलवे की मांगों को पूरा नहीं कर सकता है । यह बात सही है तथापि मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उपलब्ध संसाधनों का ही पूरी तरह उपयोग किया जा रहा है । हमने केरल की लकड़ी के स्लीपर न लेकर आस्ट्रेलिया से स्लीपर मंगाये हैं जब कि हम जानते हैं कि वे स्लीपर हमें केरल की लकड़ी की अपेक्षा ढयोढ़े दाम में पड़ेंगे । इतना ही नहीं हमें इस प्रयोजन के लिये बहुमूल्य विदेशी मुद्रा व्यय करनी होगी जिसकी इस समय इतनी कमी है । उपमंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि देशी स्लीपरों का संभरण घटता जा रहा है । तथा इसका कारण यह बताया गया था कि अन्य कार्यों के लिये लकड़ी की मांग बढ़ जाने के कारण रेलवे के स्लीपरों के लिये लकड़ी उपलब्ध नहीं हो सकती है । यदि ऐसा है तो सरकार ने देश में स्लीपरों के उत्पादन की वृद्धि करने के लिये क्या व्यवस्था की है ।

हमारे देश के २० प्रतिशत भाग में जंगल हैं और उन जंगलों में जो लकड़ी पैदा होती है वह विदेशों के जंगलों के मुकाबले में किसी प्रकार भी घटिया नहीं है । अतः हमें चाहिये कि हम अपने जंगलों में सुधार करें । निसंदेह यह कार्य राज्य सरकारों का है और राज्य सरकारें अपनी योजना अनुसार यह कार्य कर रही हैं तथापि यह कार्य बहुत कठिन और महत्वपूर्ण है अतः केन्द्रीय सरकार का भी यह दायित्व है कि वह इस कार्य में पूरा सहयोग प्रदान करे और वनों में वह लकड़ी पैदा की जाय जोकि बढ़िया और ऊंचे दर्जे की है ।

निसंदेह वनों के सुधार और विकास का दायित्व रेलवे का नहीं है । तथापि रेलवे मंत्रालय को चाहिये कि वह इस सम्बन्ध में एक दीर्घकालीन योजना बनायें । उन्हें अपनी आगामी आवश्यकता का सही अनुमान कर लेना चाहिये और इसे देखते हुए उन्हें चाहिये कि वह राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में अलग-अलग समझौते करें और देखें कि किस राज्य से उन्हें कितनी लकड़ी प्राप्त हो सकती है । इस सम्बन्ध में लकड़ी की किस्म भी महत्वपूर्ण है । तथापि हम घटिया किस्म की लकड़ी को भी परिरक्षण रसायन इत्यादि मिला कर उन्हें बढ़िया प्रकार का बना सकते हैं । इसके लिये हमें क्रियोसोटिंग संयंत्रों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मेरे राज्य में केवल एक क्रियोसोटिंग संयंत्र है उससे उस स्थान की आवश्यकता पूरी नहीं होती है । अतः मेरा निवेदन है कि कालीकट के पास ऐसा ही एक अन्य संयंत्र लगाया जाय । जितना रुपया हम विदेशों से स्लीपर मंगाने में व्यय कर रहे हैं यदि उतना हम उक्त प्रकार के संयंत्रों का बनाने में व्यय करें तो निसंदेह हम बहुत अंशों तक स्वावलंबी हो सकते हैं ।

यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि स्लीपरों की खरीद का तरीका सीधा और सरल होना चाहिये । केवल टैक्नीकल आधार पर हमें स्लीपर नहीं लौटा देने चाहियें । इस बात का प्रयत्न किया

---

†मूल अंग्रेजी में

जाय कि देश में अधिक से अधिक स्लीपरों का उपयोग हो सके। केरल में स्लीपर काटने का उद्योग बहुत। महत्वपूर्ण है केवल कल्लई क्षेत्र में इस काम में ५००० व्यक्ति काम करते हैं। अतः माननीय मंत्री को इस पहल पर भी विचार करना चाहिये और इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि देश की अधिकतम मांग देश से ही पूरी हो।

†**श्री मांणगाडन** (कोटटयम) : मैं श्री कोडियान का आभारी हूं कि उन्होंने केरल से स्लीपरों के संभरण की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। वस्तुत : केरल का कल्लाई टिम्बर यार्ड का दुनिया के लकड़ी के बाजारों में दूसरा नम्बर है। तथा वहां सभी प्रकार की लकड़ी उपलब्ध होती है। यदि वहां के वनों की अच्छी तरह कटाई की जाय तो कम से कम उस प्रदेश के उपयोग के लिये वहां काफी लकड़ी उपलब्ध हो सकती है। लकड़ी की किस्म के सुधार के लिये कियोसोटिंग संयंत्र लगाया जा सकता है। हमारे सामने विदेशी मुद्रा का संकट है अतः हमें चाहिये कि हम स्वदेशी लकडी को विदेशी लकड़ी की अपेक्षा अधिक महत्व दें। यहां तक कि यदि देशी लकड़ी उतनी टिकाऊ नहीं हो ती जितनी विदेशी तो भी हमें देशी स्लीपरों से मिलने वाले रोजगार तथा इसके व्यापार का ध्यान रख कर इन्हें ही पूर्ववतिता प्रदान करनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि बहुत अधिक मात्रा में स्लीपरों के टैंडर मांगने के स्थान में कम मात्रा में स्लीपरों के टेंडर मांगे जाने चाहिये जिससे कम पूंजी वाले लोग भी रेलवे को स्लीपर देने में समर्थ होंगे। मेरा एक सुझाव यह यह कि जिन स्थानों में लकड़ी का उत्पादन होता है वहां और अधिक संयंत्रों की स्थापना की जानी चाहिये।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सं० वें रामस्वामी)** : श्री शुक्ल ने बहुत सी बातें प्रस्तुत की हैं और उन सब का प्रोक्कलन समिति के २१वें प्रतिवेदन में उल्लेख है और २७वे प्रतिवेदन में प्रत्येक बात का सविस्तार उत्तर दिया गया है। अतः मेरा विश्वास है कि उस में दिये गये उत्तर काफी संतोषजनक हैं। जहां तक स्लीपरों का संबंध है, मैं इस विषय में कुछ गलतफ़हमियां दूर कर देना चाहता हूं। मालूम होता है कि ऐसा ख्याल कर लिया गया है कि जब हमें अपने देश में स्लीपर मिलते हैं तो हमने विदेशों से क्यों खरीदते हैं और क्यों धन नष्ट करते हैं। यह बात नितान्त गलत है। मैं सदन को यह बताऊंगा कि जिन हालात में हम थे, उसमें ऐसा करना जरूरी था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल की आवश्यकताओं का अनुमान ३१५ लाख स्लीपर लगाया गया था। औसतन हमें प्रतिवर्ष ७३ लाख स्लीपरों की आवश्यकता होती है। प्रथम दो वर्षों में हमें ५० लाख से कुछ कम स्लीपर प्रति वर्ष प्राप्त हो सके। दो वर्षों में ९९ लाख स्लीपर प्राप्त कर पाये। अतः हम ने आने वाले तीन वर्षों की स्थिति का अन्दाजा लगाया और सविस्तार सोचा विचार के बाद हमारा अनुमान था कि हमें विभिन्न प्रकार के केवल १६४ लाख स्लीपर ही उपलब्ध हो सकेंगे—— ८० लाख लोहे के, १२ लाख इस्पात के, ६१ लाख लकड़ी के और ५ लाख कंकरीट के। यह सब मिला कर १६४ लाख फैलते हैं। इसका अर्थ हुआ कि पंचवर्षीय योजना काल में इस हिसाब से २६३ लाख स्लीपर उपलब्ध होंगे। यह सब एक साथ नहीं, प्रत्युत तीन वर्षों में समय समय पर खरीदे जायेंगे। यह बात भी गलत है कि आंकड़ों का अनुमान लगाने में बहुत ही देरी की गयी है। हमने हिसाब फैलाया और देखा कि इस प्रकार ५२ लाख स्लीपरों की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिये हमने विचार किया। भारतीय रेलवे का एक शिष्टमंडल १६.५ करोड़ रुपये के मूल्य पर ५० लाख स्लीपर खरीदने के लिये बाहर भेजा गया। लेकिन विदेशों से हमें एक करोड़ रुपये के मूल्य पर २२ लाख स्लीपर ही प्राप्त हो सके। हमने १५.५ करोड़ की विदेशी मुद्रा वापिस कर दी। फिर हमें पता चला कि इस्पात स्लीपरों से लकड़ी के स्लीपर मंगाने सस्ते रहेंगे। आज देश में विदेशी विनियम

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सें० वें० रामास्वामी]

का भारी संकट है। हमें हर बात में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उसे बचाना चाहिये। एक बात और ठीक कर दूं कि हमने २० लाख इस्पात स्लीपर नहीं प्रत्युत २ लाख स्लीपर १ करोड़ में खरीदे थे। हमने पश्चिम आस्ट्रेलिया, पूर्वी आस्ट्रेलिया और अमरीका को १२ लाख ब्रॉड गेज के स्लीपरों के और आस्ट्रेलिया को ८ लाख मीटर गेज के स्लीपरों के आर्डर दिये। इन २० लाख स्लीपरों की कुल कीमत ४ करोड़ थी। इस पर भी ३२ लाख की कमी रहीं; इसलिये हमने बर्मा स्टेट टिम्बर बोर्ड को ६० लाख रुपये के मूल्य पर ४½ लाख स्लीपरों का आर्डर दिया। कनाडा से कोलम्बो योजना के अन्तर्गत हमें १२ लाख प्राप्त होने हैं। कुछ 'एक्सप्लोरेटरी' आर्डर हमने आस्ट्रेलिया को दिये हैं। इस प्रकार कुल मिला कर १८ लाख और मिल गये। लेकिन फिर भी १४ लाख की कमी रही। वह स्थिति, जिसके कारण हमें यह टिम्बर खरीदना पड़ा।

देश में टिम्बर की उपलब्धी का जहां तक सम्बन्ध है, उसका उत्तर प्राक्कलन समिति के २७वें प्रतिवेदन के पृष्ठ १६ में दिया गया है। सब वृक्षों को एक ही दिन में तो काटा नहीं जा सकता और स्लीपर तैयार नहीं किये जा सकते। थोड़ा-थोड़ा कर के ही स्लीपर सप्लाई हो सकते हैं ताकि जंगल खाली न हो जायें जिसके नतीजें बाद में भुगतने पड़ें। फिर देश में ही उपलब्ध होने वाले स्लीपरों की भी सीमा है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि देश में हमें २३ से २५ लाख तक स्लीपर प्रति-वर्ष उपलब्ध हो जायेंगे परन्तु आवश्यकता इससे बहुत अधिक है। यानी लगभग ७५ से ८० लाख प्रतिवर्ष की है। मेरे मित्र ने कहा कि आज की कीमतें बहुत अधिक हैं। केरल के माननीय मित्रों ने भी टिम्बर के संभरण की बात की है। माननीय मित्रों ने एक अन्य 'क्रियोसोटिंग' संयंत्र लगाने की बात कही है। इस पर पहले ही दो पारियों में काम हो रहा है। तीसरी पारी की बात थोड़ी कठिन होगी। फिर भी हमने ६०,००० से अधिक स्लीपर और स्वीकार कर लिये हैं और वहां अब दो से अधिक पारियां चालू होंगी। ३० या ४० लाख रुपये लगा कर नया संयंत्र तो तब चालू किया जाय जब कि यह आशा हो कि ३०,४० वर्ष तक काफी संख्या में संभरण होता रहेगा।

मेरा निवेदन है कि चार-पांच वर्ष पूर्व हम केवल दो लाख स्लीपर तैयार कर सकते थे जब कि अब हम १३ लाख तैयार करते हैं। क्षमता बढ़ाने के सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं; इस में कठिनाई क्रिओसोट के उपलब्ध होने की भी है।

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितलद्रुग) : माननीय उपमंत्री महोदय ने जो बातें की हैं उन पर विभिन्न दृष्किोणों से विचार हो सकता है। सब से प्रथम बात हमें यह देखनी चाहिये कि कितनी रेलवे लाइनें ऐसी हैं जिन की मरम्मत होनी चाहिये। दूसरी बात यह कि क्या इस उद्देश्य के लिये जिस सामान की आवश्यकता है, उस सम्बन्ध में हमारा देश आत्मनिर्भर है। तीसरी बात बात यह कि क्या अपेक्षित सामग्री के आयात की आवश्यकता है। चौथे यह कि क्या इस सामग्री को खरीदते समय रेलवे प्रशासन ने पूरी सावधानी से काम लिया ?

हमारे देश में ३५,००० मील की रेलें हैं। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में यह व्यवस्था की गयी थी कि इन रेलों को ठीक करने पर १०० करोड़ रुपये खर्च किये जायें ताकि जनता निर्भय होकर यात्रा कर सके। १९५६-५७ में प्रतिवेदन के अनुसार ४२ लाख रेलवे स्लीपरों का प्रयोग हुआ, उसमें १८ लाख स्लीपर लकड़ी के थे और २४ लाख लोहे के। इस के अगले वर्ष भी २४ लाख लोहे के और २० लाख लकड़ी के स्लीपर प्रयोग हुये। यह बात ठीक है कि हमें अपने आन्तरिक साधनों पर आश्रित रहना चाहिये परन्तु यदि आवश्यकता पूरी न होती हो तो बाहर से चीज लेने में

†मूल अंग्रेजी में

कोई हर्ज नहीं होता। खासकर उस हालत में जब कि रेलवे जैसी आवश्यक सेवाओं का प्रश्न हो तो यह और भी आवश्यक हो जाता है। लकड़ी के स्लीपरों को प्राथमिकता देने के मैं पक्ष में नहीं हूं। लकड़ी के स्लीपर लोहे के स्लीपरों के मुकाबले में कम टिकाऊ होते हैं। चाहे इसमें किसी भी प्रकार की अच्छी से अच्छी लकड़ी का प्रयोग ही क्यों न किया जाय। परन्तु फिर भी यदि इस कार्य के लिये लकड़ी का ही प्रयोग करना हो तो फिर वह उत्तम प्रकार की होनी चाहिये।

रेलवे स्लीपरों को बाहर के देशों से मंगवाने के तो मैं पक्ष में हूं परन्तु रेलवे मंत्रालय को यह देख लेना चाहिये कि आयात अच्छी और लाभदायक शर्तों के अनुसार हो रहा है कि नहीं। खरीद के विशेष सौदे के सम्बन्ध में रेलवे मंत्री को स्वयं यह देखना चाहिये कि हमने ठीक ढंग से तुलनात्मक दरों पर ही सौदा किया है अथवा नहीं। उन्हें यह भी देखना चाहिये कि सामग्री की किसम तो नहीं है और अन्तिम बात यह देखनी चाहिये कि संभरण यथा समय हो गया है या नहीं। यह सब महत्वपूर्ण बातें हैं और जनता की सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से इसकी ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : प्राक्कलन समिति ने इन स्लीपरों की समस्या का अध्ययन किया है और मैं भी इस पर कोई संकीण दृष्टि से विचार करना नहीं चाहता। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से रेलवे मन्त्रालय आत्मनिर्भरता की ओर बडी तेजी से बढ़ता जा रहा है। यदि हम इंजिनों, गाड़ियों और डिब्बों के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयत्न कर रहे हैं तो स्लीपरों की दिशा में भी हमें कदम उठाना चाहिये यदि इस दिशा में कुछ नहीं हुआ तो इसका कारण यही है कि रेलवे मंत्रालय का इस ओर ध्यान ही नहीं गया। मेरे विचार में रेलवे मंत्रालय को इसके लिये कोई योजना बनानी चाहिये ताकि आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। रेलवे मंत्री को विभिन्न राज्यों के वन विभाग के मंत्रियों का सम्मेलन बुलाना चाहिये। इसमें विभिन्न रेलों के प्रबन्धकों को भी बुलाया जाना चाहिये ताकि वह इस दिशा में आवश्यकता का अनुमान लगा सके कि पंचवर्षीय योजना के बाकी काल में कितनी मात्रा अपेक्षित है और यह भी सोचा जाय कि इस आवश्यकता को स्थानीय संभरण द्वारा किस प्रकार पूरा किया जाय। इस प्राविधिक मामले में मैं पड़ना नहीं चाहता कि लोहे के स्लीपर अच्छे होते हैं अथवा लकड़ी के। विचार करने वाली बात यह है कि भारत में इतने जंगल होने पर भी हमें इस मामले में विदेशियों का मुंह क्यों देखना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त रेलवे मंत्रालय की कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयां भी हैं। लोगों को रकम प्राप्त करने में काफी कष्ट का सामना करना होता है, समय पर पैसा नहीं मिलता। इस कारण भी इसके टैंडर लोगों से प्राप्त नहीं होते। हमें अपनी इस प्रक्रिया सम्बन्धी समस्या को थोड़ा सरल बनाना चाहिये। इससे भी शायद हम अन्य देशों के पास जाने के कष्ट से बच जायें। यह ठीक है कि हमारे यहां विदेशी विनिमय की कमी है परन्तु हम अपने माल की खपत भी तो बढ़ाना चाहते हैं। स्लीपरों के मामले में भी हमें आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम बढ़ाने होंगे, स्वदेशी की भावना को प्रोत्साहन देना ही होगा। इसके बिना हम इस दिशा में कुछ प्रगति नहीं कर सकेंगे।

सेठ अचल सिंह (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह बताया गया कि हमारे रेलवे में लाखों स्लीपरों की जरूरत होती है और वे ज्यादातर विदेशों से मंगाये जाते थे। लेकिन अब वह समय आ गया है कि हम को विदेशों से उनको मंगाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हमारे यहां दो-तीन लोहे के कारखाने खुल गये हैं। उनमें लाखों टन आयरन होता है। लेकिन मैं देखता हूं कि अभी हमारे रेलवे बोर्ड में ऐसी भावना नहीं है कि वह इस इंडस्ट्री को हमारे देश में पनपा कर तरक्की दे। मिसाल के तौर

†मूल अंग्रेजी में

[सेठ अचल सिंह]

पर मैं बताऊं कि आगरे में एक फर्म है। उसने १०,००० लोहे के स्लीपर्स सप्लाई करने का ठेका लिया था। वह एक एजुकेशनल आर्डर था जिसका कि उसने हिम्मत कर के लिया। इस वक्त स्लीपर की इंडस्ट्री ज्यादातर कलकत्ते में है, शायद और भी कहीं होती हो। तो उसने हिम्मत करके इस काम को लिया लेकिन जब उसने इस काम को लिया तो उसको पिग आयरन भी नहीं मिला और कोक भी नहीं मिला। कलकत्त की फर्म्स ने यह कोशिश की कि जो मिस्त्री वह कलकत्ते से लाया था उनको भगा दें। इस तरह उस के काम को खराब करने की कोशिश की। लेकिन वह अपने काम में लगा रहा और मिस्त्रियों को लाकर काम जारी रक्खा। उसने ५००० स्लीपर्स तैयार कर दिये और सरकार द्वारा वे पास भी हो गये। लेकिन सप्लाई में १५ रोज की देर हो जाने की वजह से वह जो बाकी ५००० स्लीपर तैयार कर रहा था वे उससे नहीं लिये गये और कहा गया कि ५०० रु० के बजाय ४०० रु० टन के दाम मिलेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से किसी इंडस्ट्री को भी एनकरेजमेंट नहीं होता है। जबकि कलकत्ते वाले ने ५०० रु०टन में रेलवे को स्लीपर्स दिये थे तो आज उनके दाम ४०० रु० टन रह गये हैं। ठीक है, पिग आयरन हमारे यहां होता है इसलिये उनके दाम गिर गये हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री को ठीक ढंग से एनकरेज किया जाय। अगर ऐसा किया गया तो हमको बाहर से स्लीपर्स मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे यहां मैटीरियल बहुत है, काम करने वाले आदमी भी हैं और वे काम को सीख भी गये हैं। मैं रेलवे मिनिस्टर से यह निवेदन करूंगा कि उनको इस इंडस्ट्री को एनकरेज करना चाहिये और प्रोत्साहन देना चाहिये। आज लाखों स्लीपर्स का उपयोग हो सकता है। आगरे में पहले एक कारखाना था आज ८ कारखाने हैं जिन्होंने टैन्डर्स दिये हैं। इसके अलावा उन्होंने जो टेंडर्स दिये हैं वे ४०० रु० टन के हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर गौर करें और अगर वे इस इंडस्ट्री को एनकरेज करें तो हमारी आवश्यकता के स्लीपर हमारे देश में ही हो सकते हैं और हम को उनको बाहर से नहीं मंगाना पड़गा। मैं चाहता हूं कि इस पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाये।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कितने राज्यों की टिम्बर सम्भरण की पेशकश अधिक मूल्य या घटिया किस्म के कारण अस्वीकृत कर दी गयी थीं। क्या स्लीपर की तुलनात्मक कीमत का अन्दाजा लगाया गया है ? जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि आयात कि हुए स्लीपर की कीमत २० रुपये प्रति स्लीपर है। तो क्या यह हिसाब लगाया गया है कि इन्हें रेलवे लाइन तक ले जाने में क्या खर्च आयेगा और राज्यों द्वारा किये गये प्रस्ताव से ये कितने महंगे या सस्ते पड़ेंगे ? तीसरे यह कि हिमालचल प्रदेश, अन्दमान निकोबार जैसे केन्द्र शासित प्रदेशों के जंगलों से अपनी कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या किया जा रहा है। इन स्थानों पर बड़े-बड़े जंगल हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है।

†**श्री बासप्पा** (तिपतुर) : कुछ समय हुआ, मन्त्री महोदय ने कहा था कि कलकत्ता की हनुमान फाउण्ड्री ने खराब स्लीपरों का सम्भरण किया था और उसके बारे में जांच चल रही है। उस जांच के क्या परिणाम रहे हैं ? मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करें कि भद्रावती में लोहे और इस्पात का जो कारखाना है क्या स्लीपरों के सम्भरण के मामले में उसका पूरा प्रयोग किया गया है ?

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : देश में लोहे और इस्पात के उत्पादन की स्थिति अच्छी होती जायेगी क्या फिर भी इतन ज्यादा लकड़ी के स्लीपरों की ज़रूरत पड़ेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** मंत्री जी द्वारा यह बताने की कृपा की जाय कि क्या वेस्ट कोस्ट के संभरणकर्त्ता २०·५० रुपये पर स्लीपर देने को तैयार थे और क्या इस पेशकश को इसलिये रद्द कर दिया था कि इससे भारत की टिम्बर की मंडी का सन्तुलन खराब हो जायेगा और फिर बाद में से स्लीपर ३२ रुपये के भाव से खरीदे गये।

दूसरे, यह बात समझ में नहीं आई कि अन्डमान के जंगलों की लकड़ी सूडान और इंग्लैण्ड में कैसे निर्यात हो गयी। वहां भी इसे रेलवे स्लीपरों के निर्माण में ही प्रयोग किया गया, परन्तु हमें अपने प्रयोग के लिये लकड़ी समुचित मात्रा में प्राप्त ही नहीं हो रही।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** वास्तव में मुझे आशा थी कि चर्चा करते हुये कुछ ठोस सुझाव प्राप्त होंगे। परन्तु देशीय टिम्बर की कीमत बढ़ाने का एक ही अच्छा सुझाव श्री विद्या चरण शुक्ल ने प्रस्तुत किया है। जब मैंने रेलवे मंत्री का पद ग्रहण किया था तो औरों की भांति मैं भी इसी विचार का था कि टिम्बर की आवश्यकताओं के मामले में हमारा देश आत्म निर्भर होगा परन्तु समस्या का गम्भीरता से अध्ययन करने पर मामला इतना सरल नहीं जान पड़ा। युद्धकाल में हमारे जंगलों को बहुत हानि पहुंचा दी गयी थी। जंगल सम्पत्ति को हमें बड़े वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग करना है। यदि हमने एक दो वर्षों में उपलब्ध टिम्बर को बेपरवाही के साथ प्रयोग किया तो आने वाले समय में जितने टिम्बर की हम आशा करते हैं उतना प्राप्त नहीं होगा। इस लाइन के विशेषज्ञों ने जो अनुमान लगाया है उसके अनुसार हमें जंगलों से २३ से २५ लाख तक स्लीपर मिल सकेंगे। यदि हम और परिश्रम करके अगम्य स्थानों पर भी पहुंचे तो यह संख्या एक-दो लाख और बढ़ सकेगी। परन्तु इससे अधिक की आशा जंगलों से करना असम्भव है। परन्तु हमें द्वितीय योजना काल में ही ३१५ लाख तक स्लीपरों की आवश्यकता है। १९५७-५८ में यह संख्या १९ लाख थी और १९५८-५९ में हमें २४ लाख तक प्राप्त होन की आशा है।

प्रश्न पूछे गये हैं कि इन स्लीपरों के लिये देशी टिम्बर को अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिये क्या कुछ किया जा रहा है। टिम्बर पर देश के बहुत से काम आधारित हैं। केवल रेलवे स्लीपरों के लिये ही इनकी जरूरत नहीं होती। गाड़ियों और डिब्बों को बनाने के लिये भी टिम्बर चाहिये और इसके अतिरिक्त भी कई कामों के लिये टिम्बर की आवश्यकता होती है। रेलवे के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य विभागों में भी टिम्बर का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी क्षेत्र में भी इसकी आवश्यकता होती है और इस सब के लिये देश के संसाधन वही सीमित हैं।

कुछ इस प्रकार के टिम्बर हैं जिनका प्रयोग केवल रेलवे में ही होता है, जैसे चीड़ इत्यादि, जो केवल रेलव स्लीपरों के ही काम आता है। इसके अतिरिक्त केरल की तरह के टिम्बर की भी किस्में हैं जिसे घटिया दर्जे का टिम्बर समझा जाता है। केरल में तो जिस प्रकार का टिम्बर अधिकतर उपलब्ध होता है, इसे यदि तीन-चार महीनों रखा जाय तो खराब हो जाता है। गत तीन-चार वर्षों से हमने टिम्रब की किस्मों को बढ़ाने का यत्न किया है जिन्हें रेलवे के स्लीपरों के लिये उपयोग किया जा सके और जैसा कि उपमंत्री महोदय ने कहा, इसके द्वारा हमने २ लाख से बढ़ा कर १३ लाख स्लीपर तैयार किये हैं। परन्तु 'क्रियोसोटिंग' संयंत्र द्वारा इस टिम्बर को ठीक करने की कोशिशश करने से पता चला है कि यह टिम्बर अन्य सख्त प्रकार के देशी टिम्बर तथा अन्य देशों से आयात किये टिम्बर के मुकाबले में अच्छा नहीं है।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री जगजीवन राम]

देश का सख्त किस्म का टिम्बर १५, २० वर्ष चलता है परन्तु अच्छी किस्म का नरम टिम्बर केवल १२ वर्ष तक ही चल सकता है । इसके अतिरिक्त कीड़ा भी इसी टिम्बर में लग जाता है । अतः महत्वपूर्ण बात यह है कि कीमतों का मुकाबला करते समय हम यह सब तथ्य भी अपने सामने रखें । इसके साथ ही मैं यह भ्रांति भी दूर कर देना चाहता हूं कि देश में टिम्बर तो उपलब्ध है, परन्तु रेलवे को वह स्वीकार नहीं और उन्होंने विदेशों से टिम्बर आयात करना आरम्भ कर दिया है । यह गलत बात है । मैं पुनः कहता हूं कि जो टिम्बर रेलवे स्लीपरों के लिये प्रयुक्त होता है, उसे उस कीमत पर खरीद लिया जायेगा जो कि राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित की गयी है । श्री शर्मा ने यह कहा है कि कई बार कीमतों की अदायगी में दफ्तरों के चक्कर काटने के कारण देरी हो जाती है और यही कारण है कि टेंडर प्राप्त नहीं हो रहे । केरल में कुछ हद तक हम टिम्बर का सम्भरण गैर-सरकारी संभरणकर्ताओं द्वारा करते हैं, वरना ज्यादातर हम राज्य सरकारों के द्वारा ही टिम्बर प्राप्त करते हैं । टिम्बर सम्भरण अधिकारी तथा राज्य सरकारों के अन्य जंगल के अधिकारी परस्पर टिम्बर की कीमत और किस्म का निर्णय कर देते हैं और एक विशेष समय के लिये यह काम होता रहता है । इस प्रकार के काम समय से बहुत काफी पहले कर लिये जाते हैं । केरल सरकार भी सम्भरण कर रही है और जब यह प्रश्न उत्पन्न हुआ था तो सारी कहानी सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी, यद्यपि उन लोगों को सारी कथा का ज्ञान था । जब हम ने टेंडर मांगे तो एक अजीब बात यह थी कि जो दाम कल्लाई व्यापारियों ने मांगे थे, वही दाम अपने-अपने टेंडरों में सभी व्यापारियों ने मांगे थे । यह दाम केरल सरकार के निर्धारित दामों से अधिक थे । अतः रेलवे ने गैर-सरकारी सम्भरणकर्ताओं को अधिक दाम देने से इन्कार कर दिया । हम तो वही दाम देने को तैयार थे, जिसका निश्चय केरल सरकार से हो गया था । कुछ लोगों से मिलने के बाद मेरा यह मत हो गया है कि रेलवे प्रशासन ने टेंडरों को अस्वीकृत करके बहुत ही बुद्धिमत्ता की बात की है । बाद में ये लोग उसी निर्धारित कीमत पर टिम्बर देने को तैयार हो गये और इस खींचा-तानी में कुछ समय अवश्य लग गया ।

रेलवे टिम्बर मार्केट में सब से बड़ा ख़रीदार है । यदि हम टिम्बर की ख़रीद बन्द कर दें तो टिम्बर का भाव एक दम गिर जाये । अतः मांग प्रस्तुत करते समय सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है । हमारी आवश्यकता, अन्य विभागों और लोगों की छोटी-छोटी आवश्यकताओं के मुकाबले में बहुत अधिक है और हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर हो जायें । एक बात स्पष्ट है कि लकड़ी के स्लीपरों के मामले में सब कुछ करने पर भी हम निकट भविष्य में आत्मनिर्भर नहीं हो सकेंगे । एक दो अथवा पांच वर्षों में जंगलों का निर्माण तो हो नहीं सकता । श्री शर्मा ने जो यह सुझाव दिया है कि हमें विभिन्न प्रकार के प्रयोग में आने वाले टिम्बर को देश में उगाने की व्यवस्था करनी चाहिये । इस सम्बन्ध में एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि रेलवे लाइनों के दोनों तरफ जहां भी स्थान हो विभिन्न प्रकार के टिम्बरों को उगाने का प्रबन्ध किया जाये । इस प्रकार २०, ३० अथवा ५० वर्षों में हम रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे ।

सारा प्रश्न यह है कि स्लीपरों के आयात की आवश्यकता थी अथवा नहीं । जैसा कि उपमंत्री ने कहा है, रेलवे ने सब बातों को सोच समझ कर विदेशों से इस्पात स्लीपरों के आयात का निर्णय किया है और इसके लिये १५ करोड़ ५० लाख का विदेशी विनिमय अलग रख लिया गया है । दो लाख इस्पात स्लीपर खरीदे गये थे परन्तु हमें पता चला कि लकड़ी के स्लीपर सस्ते रहेंगे । और देश के सभी प्रकार के उपलब्ध स्लीपर एकत्रित करने पर भी हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की

अपेक्षित मात्रा को पूरा नहीं कर सकते थे । मेरे मित्र श्री अचल सिंह जी ने कहा है कि अगर ढलाई-घर (फाउन्ड्री) बनाये जायें तो स्लीपर उपलब्ध हो सकेंगे । परन्तु इसके लिये हमें कच्चे लोहे की जरूरत होगी । अतः हमें स्लीपरों का आयात करना पड़ता है । अब प्रश्न यह है कि स्लीपर लकड़ी के लिये जायें अथवा इस्पात के । इस्पात के स्लीपरों पर हमें अधिक विदेशी विनिमय खर्च करना पड़ता । इस्पात के स्लीपरों पर लकड़ी के स्लीपरों के मुकाबले में ४ करोड़ के स्थान पर १५ करोड़ ५० लाख रुपये खर्च करने पड़ते ।

इस मामले में देखना यह है कि आयात किये हुए स्लीपरों का जो दाम हम ने दिया है, वह ठीक है कि नहीं । संसार के सभी देशों से इसके टेंडर मांगे जाते हैं और फिर विशेषज्ञों द्वारा लकड़ी की जाति आदि बातों का अच्छी प्रकार परीक्षण और देशी माल और विदेशी माल की तुलना के पश्चात टेंडरों को स्वीकार किया जाता है । हमारे देश की कीमतों से इन स्लीपरों की दी गयी कीमत अधिक नहीं है । लागत बीमा भाड़ा सहित कीमत तो कुछ अधिक होती है । जहाज़ भाड़ा व्यय सहित कीमत में परिवहन का खर्चा भी है । काम के स्थान तक सामान पहुंचाने का खर्चा तो देशी स्लीपरों पर भी लगता ही है, जैसा कि विदेशी स्लीपरों पर है । यह तो सामान्य बात है । मेरे माननीय मित्र श्री शुक्ल ने ब्राजील के स्लीपरों के बारे में पूछा । उसकी एक मनोरंजक कहानी है । कोई हमें बड़े ही सस्ते दामों पर स्लीपर देना चाहता था । हमारे अधिकारी मामले की तह तक जाने को उत्सुक हो गये । क्योंकि उनका विचार था कि इतने सस्ते दामों पर कोई भी देश स्लीपर नहीं दे सकता । प्रथम बात यह कि उन्होंने हमें माल के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी विस्तार से नहीं बताई और बहुत बार मांग करने पर वह उपलब्ध नहीं हुई । हम ने भारत सरकार की सब से अधिकृत एजन्सी द्वारा इसकी जांच करने का निर्णय किया । हमें पता चला कि पेशकश करने वाले सज्जन जांच पूर्ण होने से पूर्व ही देश से जा चुके थे । और यह सज्जन काई विदेशी थे, जो अपने आप को एक पत्रकार और लेखक बताते थे । वह मुझे मिलना चाहते थे, परन्तु मैंने उन्हें मिलने से इन्कार कर दिया था । अन्ततोगत्वा कहने का तात्पर्य यह कि मैं और अन्य सभी विशेषज्ञ इस बात से सन्तुष्ट हैं कि हम ने जो कीमत अदा की है, वह ठीक ही है । शायद अन्य कोई देश भी स्लीपरों के मामले में इतना अच्छा सौदा नहीं कर सकता ।

कच्चा लोहा जिस अनुपात से देश में उपलब्ध है, उस को देखते हुए ढाले हुए लोहे के स्लीपरों के निर्माण की क्षमता तो देश में बढ़ी है । लगभग ४० लाख स्लीपर प्रति वर्ष तैयार हो सकते हैं, यदि कच्चा लोहा पूरी मात्रा में मिले जैसे ही हमें और कच्चा लोहा उपलब्ध होगा उत्पादन क्षमता और भी बढ़ेगी । लोहे के ढले स्लीपरों की कीमत कच्चे लोहे की कीमत पर निर्भर होती है एक टन कच्चे लोहे को ढाले गये स्लीपरों में बदलने के लिये सब मिला कर लगभग १४६ रुपये प्रति टन व्यय होता है । इसी आधार पर हम ने टेंडर मांगे थे और इसी आधार पर स्लीपरों का निर्माण हो रहा है । श्री अचल सिंह जी ने जिस मामले का उल्लेख किया है, वह निर्माता निर्धारित समय और निर्धारित दामों पर माल नहीं दे सका । हम ने काफी नर्मी दिखाई । जब उस ने यह कहा था कि अमुक तिथि तक वह इतने स्लीपर दे देगा तो हम ने उसकी बात मान ली थी । उसके बाद कच्चे लोहे की कीमत कम हो गयी । हम उसे वह ही कीमत देना चाहते थे जो कीमत नये दाम से फैलती थी । मूल्य कम होने पर अधिक कीमत दिये जाने की सरकार से आशा नहीं की जानी चाहिये अतः सेठ अचल सिंह जी को यह शिकायत नहीं करनी चाहिये थी । चालू वर्ष में २ लाख ५ हजार टन से हमें ३१ लाख बड़ी लाइन के स्लीपर प्राप्त हो जायेंगे । परन्तु हम चाहते हैं कि हमें और अधिक कच्चा माल मिले और हम और अधिक स्लीपर बना सकें । परन्तु प्राविधिक मत लकड़ी के स्लीपरों के पक्ष में है ।

[श्री जगजीवन राम]

वनों के आयोजित विकास के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हम ने टिम्बर परामर्शदाता को राज्य सरकारों के पास भेजा। मेरे पूर्वाधिकारी महोदय ने राज्य सरकारों से इस बारे में लिखा पढ़ी की थी। मैं ने स्वयं दो बार मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया और जब-जब भी मैं किसी राज्य में गया मैं ने स्लीपरों के निर्माण की वृद्धि पर जोर दिया। परन्तु कुछ सीमायें हैं और केवल कीमतों का ही प्रश्न नहीं है। स्लीपरों के सम्भरण के लिये राज्य सरकारों ने हमारे साथ करार किये हैं। चालू वर्ष में आंध्र सरकार ४५,००० आसाम ११,१०,०००, बिहार १,३५,०००, हिमाचल प्रदेश ५०,००० जम्मू और काश्मीर ९ लाख, केरल ५८,०००, मद्रास १५,०००, मैसूर ५,२५,०००, उड़ीसा १,६७,०००, पंजाब २५००, उत्तर प्रदेश ६,६५,०००, और पश्चिमी बंगाल, ३१,००० स्लीपर देंगे। बम्बई और मध्य प्रदेश में हम टेंडरों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र से खरीदेंगे। बाकी राज्यों में हम अपने करार के अनुसार गैर-सरकारी निर्माताओं से स्लीपर नहीं खरीद सकते। इस सम्बन्ध में कीमतों के बारे में भी राज्य सरकारों से तय हो चुका है। हम इसके लिये प्रति स्लीपर १ रुपये से १/८/- तक लाभांश भी देते हैं। यदि कोई राज्य सरकार निश्चित मात्रा से अधिक सम्भरण करती है तो हम उन के मामले में टिम्बर की कीमत में भी वृद्धि स्वीकार कर लेते हैं। परन्तु इस मामले में दो-तीन वर्षों में वनों का प्रयोग कर आत्म-निर्भर नहीं हो सकते। तीसरी योजना तक तो कोई आशा दिखाई नहीं देती। फिर भी हम वनों के विकास को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, परन्तु फिलहाल हमें अपने काम के लिये अन्य साधनों का ही आश्रय लेना होगा।

हम ने सीमेन्ट के ठोस स्लीपरों के प्रयोग का भी निर्णय किया है। हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी को हम ने इसी प्रकार के ५०,००० स्लीपरों का आर्डर दिया है। हम उसका प्रयोग करना चाहते हैं। यदि हम इस में सफल हो गये तो और स्थानों पर भी इसका प्रयोग करेंगे। सीमेन्ट तो हमारे पास पर्याप्त है परन्तु उसके निर्माण के लिये क्षमता अपेक्षित है। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम अपनी आवश्यकताओं को अधिक से अधिक देश के साधनों से ही पूरी करने का प्रयत्न करेंगे। जो आर्डर दिये जा चुके हैं, वह तो हैं ही, अब आगे से कोई स्लीपर विदेशों से आयात नहीं किये जायेंगे। मेरा अपना मत यह है कि जहां तक सम्भव हो, देश के साधनों से ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिये। अंडेमान में भी जंगल हैं, वहां से भी हमें जो कुछ प्राप्त हो रहा है हम ले रहे हैं। इससे पूर्व सूडान को टिम्बर देने का उन का कोई करार था, यद्यपि उन्होंने अधिक माल का सम्भरण नहीं किया।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, २४ अप्रैल, १९५९/४ वैशाख १८८१ शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

[गुरुवार, २३ अप्रैल, १९५९ / ३ वैशाख, १८८१ (शक)]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		६१६३—८९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१९९६	भाखड़ा नंगल परियोजना की फालतू मशीनों का निबटारा	६१६३—६४
१९९७	बम्बई में तेलवाहक पोतों में टक्कर	६१६५
१९९८	इरविन हस्पताल, नई दिल्ली	६१६५—६७
२०००	रक्सौल हवाई अड्डा	६१६७—६८
२००२	दिल्ली में विश्व कृषि मेला	६१६८—७१
२००३	वंशधारा परियोजना	६१७१—७२
२००४	रेलवे लाइनों के कारण पानी जमा हो जाना	६१७२—७३
२००५	झींगा मछलियां	६१७३—७४
२००६	अन्तर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य वर्ष	६१७४—७६
२००७	केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग	६१७६—७७
२०१०	प्रकाश स्तम्भों के लिये उपकरणों का निर्माण	६१७७
२०११	मनीपुर में चावल का समाहार	६१७८
२०१२	दक्षिणी खाद्य ज़ोन	६१७८—८०
२०१३	गोहाटी हवाई अड्डे पर राडार	६१८१
२०१४	दिल्ली में गेहूं के भाव में वृद्धि	६१८१—८३
२०१५	रेंड बांध परियोजना	६१८३—८४
२०१६	संसद् सदस्यों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	६१८५—८७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
२९	तेज़पुर से जहाज़ की अप्राधिकृत उड़ान	६१८७—८९
प्रश्नों के लिखित उत्तर		६१८९—६२१५
तारांकित प्रश्न संख्या		
१९९९	वनस्पति तेलों की कीमतें	६१८९
२००१	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधिकारियों की योग्यतायें	६१८९
२००८	गुदीवाड़ा-भीमवरम लाइन	६१८९—९०

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
तारांकित प्रश्न संख्या	
२००६ बर्मा का चावल	६१६०
२०१७ सहकारी ढंग पर मछली बेचना	६१६०
२०१८ दक्षिण रेलवे के लिये कोयला	६१६०–६१
२०१६ मनीपुर में मैदा का संभरण	६१६१
२०२० ईंधन उपभोग समिति	६१६१
२०२१ भाखड़ा-नंगल परियोजना के अधीन सिंचाई तथा विद्युत् कार्य	६१६१
२०२२ लद्दाख में भेड़ पालन केन्द्र	६१६२
अतारांकित प्रश्न संख्या	
३४२४ भूमि जल की खोज	६१६२–६३
३४२५ पश्चिम रेलवे पर प्रतीक्षालय	६१६३–६४
३४२६ डीज़िल कार	६१६४
३४२७ भ्रष्टाचार के मामले	६१६४
३४२८ पंजाब में ग्राम जल संभरण योजनायें	६१६४–६५
३४२६ पंजाब में लघु सिंचाई परियोजनायें	६१६५
३४३० मद्रास सर्किल के डाक तथा तार कर्मचारियों के क्वार्टर	६१६५
३४३१ अन्तर्राष्ट्रीय माल यातायात	६१६५–६६
३४३२ चकबन्दी	६१६६
३४३३ खरीदे गये जहाज़	६१६६
३४३४ पंजाब में नगर जल संभरण योजनायें	६१६७
३४३५ गांवों में परिवार नियोजन	६१६७–६८
३४३६ विश्व स्वास्थ्य संगठन	६१६८
३४३७ विशाखपटनम् पत्तन का विकास	६१६८
३४३८ विमान दुर्घटना	६१६६
३४३६ उड़ीसा में तपेदिक नियन्त्रण	६१६६
३४४० गाड़ियों का लेट चलना	६२००
३४४१ रेलों में जुर्म	६२००
३४४२ डाक तथा तार विभाग में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी	६२०१
३४४३ टमाटर के उप-उत्पाद	६२०१
३४४४ गवर्नर जनरल/राष्ट्रपति द्वारा रेलवे कर्मचारियों की नौकरियों की समाप्ति	६२०१

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
३४४५ जनरल मैनेजरों द्वारा रेलवे कर्मचारियों की नौकरियों की समाप्ति . . .	६२०१–०२
३४४६ पूर्वोत्तर रेलवे में कर्मचारियों का प्रत्यावर्त्तन	६२०२
३४४७ दिल्ली परिवहन उपक्रम .	६२०२
३४४८ रेलवे के नौकरी सम्बन्धी नियम	६२०२
३४४६ विलिंगडन और सफदरजंग अस्पताल	६२०३
३४५० रेलवे के यात्री भाड़े	६२०३
३४५१ पाथरकण्डी-धरमनगर रेल लाइन	६२०३
३४५२ रामगंगा परियोजना .	६२०४
३४५३ उत्तर अन्दमान के बन .	६२०४
३४५४ दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजपथ	६२०५
३४५५ यात्री भाड़े पर कर .	६२०५
३४५६ चूहों के विरुद्ध अभियान	६२०६
३४५७ तम्बाकू का उत्पादन .	६२०६
३४५८ पैसे डाले बिना सार्वजनिक टेलीफोनों का उपयोग	६२०६
३४५६ केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के लिये ट्रैक्टर .	६२०७
३४६० दुर्ग, भिलाई और रूरकेला में निर्माण भत्ते का भुगतान	६२०७
३४६१ कानपुर में रेलवे मजिस्ट्रेट और रेलवे कर्मचारियों में झगड़ा	६२०७
३४६२ उत्तर रेलवे पर डीज़ल इंजन .	६२०८
३४६३ हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों को रेल द्वारा मिलाना	६२०८
३४६४ दक्षिण रेलवे पर डीज़ल रेल कारें .	६२०८–०६
३४६५ उत्तर प्रदेश में नगरीय जल-संभरण योजनायें	६२०६–१०
३४६६ रेलवे मंत्रालय में मंत्रणा समितियां	६२१०
३४६७ उत्तर रेलवे पर तार कर्मचारी	६२१०
३४६८ हिन्दी तार कर्मचारी .	६२११
३४६६ मनीपुर में भू-कर सम्बन्धी सर्वेक्षण	६२११
३४७० चिकित्सा प्रतिनिधियों का सम्मेलन	६२११–१२
३४७१ शिमला स्टेशन पर प्रतीक्षालय	६२१२
३४७२ बूचड़खाने	६२१२

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
३४७३ पार्सल डिब्बे में आग . . .	६२१२–१३
३४७४ दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में भू-संरक्षण उपाय	६२१३
३४७५ दामोदर घाटी निगम अधिनियम का संशोधन .	६२१३–१४
३४७६ दामोदर-घाटी निगम और भागग्राही राज्यों में समझौता	६२१४
३४७७ जहाज़ों की मरम्मत करने की सुविधायें	६२१४–१५
३४७८ सड़क परिवहन	६२१५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . .	६२१५

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी गयी :—

(१) दिनांक ९ अप्रैल, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४३२ में प्रकाशित राजस्थान खाद्यान्न (सीमा पर लाने ले जाने पर रोक) आदेश, १९५९ ।

(२) दिनांक १४ अप्रैल, १९५९ की अधिसूचना संख्या ४५० में प्रकाशित मध्य प्रदेश खाद्यान्न (सीमा पर लाने ले जाने पर रोक) आदेश, १९५९ ।

राज्य-सभा से सन्देश	६२१५–१६

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना दी :—

(१) कि लोक-सभा द्वारा १२ फरवरी, १९५९ को पारित भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक को राज्य-सभा ने अपनी २१ अप्रैल, १९५९ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

(२) कि राज्य-सभा ने २० अप्रैल, १९५९ की अपनी बैठक में जन-गणना (संशोधन) विधेयक को पारित कर दिया है ।

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक सभा-पटल पर रखा गया . .	६२१६

सचिव ने जनगणना (संशोधन) विधेयक, १९५९ को, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा-पटल पर रखा ।

विषय	पृष्ठ
विधेयक पारित . . .	६२१६—२०
परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय प्रकाश स्तम्भ (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित हुआ।	
विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत .	६२२०—४६
गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) ने प्रस्ताव किया कि शस्त्र विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।	
विदेशों से ऊंची कीमतों पर स्लीपरों की खरीद के बारे में चर्चा . .	६२४६—५६
श्री विद्या चरण शुक्ल ने विदेशों से ऊंची कीमतों पर स्लीपरों की खरीद के बारे में चर्चा उठाई। रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई।	

शुक्रवार, २४ अप्रैल, १९५९/४ वैशाख, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि—

कोयला श्रेणीकरण बोर्ड (निरसन) विधेयक पर विचार तथा उसे पारित करना; अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर विचार; बन्दरों के निर्यात के बारे में श्री मोहन स्वरूप द्वारा प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प पर आगे चर्चा और अंग्रेजी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के बारे में संकल्प पर भी चर्चा।